ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक
समसामयिकी

फरवरी 2019 अंक 1

विषय सूची

फरवरी 2019
अंक-1

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-18

- सुभाष चन्द्र बोस : एक निडर देशभक्त
- कौशल विकास : एक विश्लेषण
- नए भारत के निर्माण में भारतीय डायस्पोरा का योगदान
- ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट-2019
- बढ़ती असमानता और भारत
- भारतीय विमानन क्षेत्र और विजन 2040
- सैन्य आधुनिकीकरण : चुनौतियाँ और संभावनाएँ

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 19-26

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 27-31

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 32-40

सात महत्वपूर्ण तथ्य 41

सात महत्वपूर्ण संगठन 42-43

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 44

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. सुभाष चन्द्र बोस : एक निडर देशभक्त

चर्चा का कारण

हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती पर लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान याद-ए-जलियाँ संग्रहालय (जलियांवाला बाग और प्रथम विश्व युद्ध पर संग्रहालय) और 1857 (प्रथम स्वतंत्रता संग्राम) पर संग्रहालय और भारतीय कला पर दृश्यकला संग्रहालय का भी उद्घाटन किया।

पृष्ठभूमि

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आजाद हिंद फौज द्वारा अंडमान निकोबार में फहराए गए तिरंगे के 75 साल पूरे होने पर वहां का दौरा किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने तीन द्वीपों का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने की घोषणा की थी। अंडमान में मौजूद हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया। वर्तमान में संग्रहालय का उद्घाटन इसी की एक अगली कड़ी है।

संग्रहालय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें

- इस संग्रहालय में नेताजी द्वारा इस्तेमाल की गई लकड़ी की कुर्सी और तलवार रखी गयी है।
- इसके अतिरिक्त इस संग्रहालय में आजाद हिन्द फौज (आईएनए) से संबंधित पदक, बैज, वर्दी और अन्य वस्तुएँ शामिल हैं।
- आजाद हिन्द फौज (आईएनए) के शीर्ष अधिकारियों कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह तथा मेजर जनरल शाहनवाज खान पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया था और उसकी सुनवाई लाल किले में ही हुई थी यही कारण है कि लाल किले में इस संग्रहालय को बनाया गया है।
- इस संग्रहालय में नेताजी पर स्वामी विवेकानंद और श्री अरबिंदो का उनके जीवन पर प्रभाव दर्शाया गया है।
- इसके अलावा काँग्रेस के साथ अनुभव, उनका आजादी में योगदान, आजाद हिन्द फौज का निर्माण तथा दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को आजाद हिन्द फौज के साथ जोड़ने के उनके प्रयासों को दर्शाया गया है।
- संग्रहालय में आने वाले लोगों को बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के लिए संग्रहालय को डिजाइन किया गया है, जिसमें फोटो, पेंटिंग, अखबार की कटिंग, प्राचीन रिकॉर्ड, ऑडियो-वीडियो क्लिप, एनिमेशन व मल्टीमीडिया की सुविधा की व्यवस्था की गई है।

परिचय

सुभाष चंद्र बोस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और करिश्माई व्यक्तियों में से एक थे। उनकी देशभक्ति, स्वतंत्रता के लिए आह्वान और वांछित लक्ष्य हासिल करने से पहले न रूकने की प्रतिबद्धता के कारण वे युवाओं के लिए एक नायक के समान हैं। अपने राष्ट्रवादी स्वभाव और नेतृत्व की विशेषता के कारण, महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने उन्हें नेताजी के रूप में संबोधित किया।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म 23 जनवरी, सन् 1897 को ओड़िशा के कटक शहर में हिन्दू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था। उनके पिता कटक शहर के मशहूर वकील थे। अंग्रेज सरकार ने उनके पिता को रायबहादुर का खिताब दिया था। उन्होंने प्रेसीडेंसी कॉलेज से स्नातक किया। 16 वर्ष की आयु में वे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की शिक्षाओं से प्रभावित हुए। फिर उन्हें भारतीय सिविल सेवा की तैयारी के लिए उनके माता-पिता द्वारा इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया गया। 1920 में उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की, लेकिन अप्रैल 1921 में भारत में स्वतंत्रता आंदोलनों को देखते हुए उनका मोह सिविल सेवा से भंग हो गया और वे देश को स्वतंत्र कराने के लिए जुट गए।

सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

सिविल सेवा छोड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के साथ जुड़ गए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गाँधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। महात्मा गाँधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार भिन्न-भिन्न थे लेकिन वे यह अच्छी तरह जानते थे कि महात्मा गाँधी और उनका मकसद एक ही है, यानी देश की आजादी। सबसे पहले गाँधीजी को राष्ट्रपिता कह कर नेताजी ने ही संबोधित किया था।

वह एक युवा शिक्षक और बंगाल कांग्रेस के स्वयंसेवकों के कमांडेंट बन गए। उन्होंने 'स्वराज' नामक अखबार निकालना शुरू किया। 1927 में, जेल से रिहा होने के बाद, बोस काँग्रेस पार्टी के महासचिव बने और जवाहरलाल नेहरू के साथ स्वतंत्रता संग्राम के लिए अग्रसर हो गये।

1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिसने व्यापक औद्योगीकरण की नीति तैयार की। हालाँकि, यह गाँधीवादी आर्थिक विचार के अनुरूप नहीं था, जो कुटीर उद्योगों की धारणा से जुड़ा था।

दूसरी बार कांग्रेस में रहते हुए सुभाष चन्द्र बोस के अध्यक्ष पद को लेकर 1939 में गाँधीजी के साथ मनमुटाव हुआ। दरअसल उन दिनों यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छाये हुए थे। सुभाष चन्द्र बोस चाहते थे कि इंग्लैण्ड की इसी कठिनाई का लाभ उठा कर भारत को स्वतंत्रता संग्राम के

लिए प्रदर्शन अधिक तीव्र कर देना चाहिए। उन्होंने अध्यक्ष पद पर रहते हुए इस दिशा में कदम भी उठाया परंतु गाँधीजी इससे सहमत नहीं थे। 1939 में काँग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उन्होंने गाँधीजी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभि सीतारमैय्या को हरा दिया था। महात्मा गाँधी ने इसे अपनी नैतिक हार मानी, नतीजतन पूरी काँग्रेस कार्य समिति ने इस्तीफा दे दिया। मजबूर होकर सुभाष चन्द्र बोस ने भी काँग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल का गठन किया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था।

विचारधारा

सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि गाँधी की अहिंसा की रणनीति भारत की स्वतंत्रता के लिए पर्याप्त नहीं होगी। उन्होंने एक अलग राजनीतिक दल, 'ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक' की स्थापना की।

सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भगवतगीता अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। बोस के अनुसार भारत के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा विकल्प है। उन्होंने जातिवाद को नकारा व पारस्परिक सौहार्द्र पर बल दिया। वे सच्चे देशभक्त थे। उनके लिए टिप्पणी होती थी कि अगर उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए शैतान से हाथ मिलाना पड़े तो वह ऐसा करेंगे। इस प्रकार उन्होंने भारत के लिए बिना शर्त आजादी की वकालत की।

भारत की आजादी में योगदान

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय आजाद हिन्द फौज का गठन किया गया, जिसे इन्डियन नेशनल आर्मी या आईएनए के नाम से भी जाना जाता है। रास बिहारी बोस जो भारत से भागकर जापान में रह रहे थे, ने दक्षिण-पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों के सहयोग से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। जब जापान ने ब्रिटिश सेना को हराकर दक्षिण-पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों पर कब्जा कर लिया तो लीग ने भारतीय युद्धबंदियों को मिलाकर इंडियन नेशनल आर्मी को तैयार किया ताकि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाई जा सके। ब्रिटिश भारतीय सेना में अधिकारी रहे जनरल मोहन सिंह ने इस आर्मी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

इसी दौरान 1941 में सुभाष चन्द्र बोस भारत से भाग निकलने में सफल हुए। 1943 में वे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व करने के लिए सिंगापुर आये और इंडियन नेशनल आर्मी (आजाद हिन्द फौज) का पुनर्गठन किया ताकि वह भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त कराने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। आजाद हिन्द फौज में लगभग 45,000 सैनिक शामिल थे, जिनमें भारतीय युद्धबंदियों के अलावा वे भारतीय भी शामिल थे जो दक्षिण-पूर्व एशिया के अनेक देशों में बस गए थे।

21 अक्टूबर, 1943 में सुभाष चन्द्र बोस, जिन्हें अब नेताजी के नाम से जाना जाने लगा था, ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार (आजाद हिन्द) के गठन की घोषणा कर दी। जापान ने अंडमान द्वीपों पर कब्जा कर लिया था इस कारण नेताजी अंडमान आ गए और वहां भारतीय झंडे का ध्वजारोहण किया। 1944 के आरम्भ में आजाद हिन्द फौज (आईएनए) की तीनों इकाइयाँ भारत के उत्तर-पूर्वी भाग पर हुए हमले में भाग लिया ताकि ब्रिटिशों को भारत से बाहर किया जा सके।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन ने जापानी सरकार को भारत के मित्र के रूप में नहीं देखा। उसकी सहानुभूति जापानी हमलों के शिकार हुए देशों के लोगों के प्रति थी। हालाँकि,नेताजी का मानना था कि जापान के समर्थन,आजाद हिन्द फौज के सहयोग और देश के अन्दर होने वाले विद्रोह के द्वारा भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़कर फेंका जा सकता है। आजाद हिन्द फौज का 'दिल्ली चलो' का नारा और 'जय हिन्द' की सलामी देश के अन्दर और बाहर दोनों जगह भारतीयों की प्रेरणा की स्रोत बन गई और भारत की स्वतंत्रता के लिए नेताजी ने दक्षिण-पूर्व एशिया में रह रहे सभी धर्मों और क्षेत्रों के भारतीयों को एकत्र किया।

आजाद हिन्द फौज को छोड़कर विश्व इतिहास में ऐसा कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता, जहाँ तीस-पैंतीस हजार युद्धबन्दियों ने संगठित होकर अपने देश की आजादी के लिए ऐसा प्रबल संघर्ष छेड़ा हो।

महिला सशक्तिकरण में योगदान

सुभाष चन्द्र बोस इस तथ्य से भलीभाँति परिचित थे कि स्त्रियाँ पूरे समाज की केन्द्र बिन्दु हैं। अतः आधुनिक तथा प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण के लिए इस सामाजिक धुरी को चुस्त-दुरुस्त करना होगा और यदि समाज में स्वदेश प्रेम की धारा को प्रवाहित करना है तो स्त्रियों के हृदय में स्वदेश प्रेम की भावना को जागृत करना होगा। स्त्रियों को सशक्त करने का नेताजी का यह अभियान सिर्फ मानसिक स्तर पर नहीं था, अपितु शारीरिक स्तर पर भी था।

यही करण था कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की गतिविधियों में भारतीय महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी। आजाद हिन्द फौज में महिला रेजीमेंट का गठन किया गया, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में थी। इसे रानी लक्ष्मीबाई रेजीमेंट कहा जाता था। इस प्रकार आजाद हिन्द फौज के माध्यम से महिलाएँ भारत के लोगों के लिए एकता का प्रतीक और वीरता का पर्याय बन गयी।

विदेशी संबंध

सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया था। वह 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे। यूरोप में यह दौर हिटलर के नाजीवाद और मुसोलिनी के फासीवाद का था। नाजीवाद और फासीवाद का निशाना इंग्लैंड था, जिसने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर एकतरफा समझौते थोपे थे। भारत पर भी अँग्रेजों का कब्जा था और इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई में नेताजी को हिटलर और मुसोलिनी के रूप में भविष्य का मित्र दिखाई पड़ रहा था। उनका मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ कूटनीतिक और सैन्य सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। एक वक्त ऐसा भी आया जब नेताजी की नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें अपनी सेना में मनचाहा पद देने की पेशकश की थी, लेकिन नेताजी ने हिटलर के प्रस्ताव को सहजता से अस्वीकार कर दिया था।

साहित्य में योगदान

- अपने संघर्षपूर्ण एवं अत्यधिक व्यस्त जीवन के बावजूद नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्वाभाविक रूप से लेखन के प्रति भी उत्सुक रहे। अपनी अपूर्ण आत्मकथा 'ऐन इंडियन पिलग्रिम' के अतिरिक्त 'द इंडियन स्ट्रगल' नामक एक पुस्तक भी लिखी, जिसका लंदन से ही प्रथम प्रकाशन हुआ था। यह पुस्तक काफी प्रसिद्ध हुई थी।
- इसके अतिरिक्त नेताजी ने अपने बहुआयामी स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में अनगिनत पत्र लिखे, भाषण दिये एवं रेडियो के माध्यम से भी उनके व्याख्यान प्रसारित हुए। पत्रों की एक बड़ी मात्रा उनके निजी जीवन से भी सम्बद्ध रही फिर उन्होंने स्वराज अखबार शुरू किया। बोस ने कलकत्ता नगर निगम के सीईओ के रूप में भी काम किया।

नेताजी की मृत्यु

जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण करने के कुछ दिनों बाद ही नेताजी की एक हवाई दुर्घटना में मौत की खबर आई, जिसकी पुष्टि आज भी नहीं हो पाई है।

निष्कर्ष

- नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्वकालिक नेता थे, जिनके विचारों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है।
- सन् 1947 के बाद आज हमारे देश में मानव मूल्यों का ह्रास, चारित्रिक पतन, स्वार्थपरता, आदर्शहीनता, राजनीतिज्ञों का भ्रष्टाचार तथा अपराधी प्रवृत्ति, अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई, साधनहीनों और किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याएँ, राजनीति में जाति और धर्म का प्रदर्शन बरकरार है। इस संदर्भ में हमें नेताजी द्वारा बताये गये कल्याणकारी मार्गों पर चलना चाहिए।
- नि:संदेह इसके लिए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के विचारों तथा उनकी प्रतिबद्धताओं का गहन अध्ययन उपयोगी साबित हो सकता है।
- उनके विचार, कर्म और आदर्श अपनाकर राष्ट्र वह सब कुछ हासिल कर सकता है, जिसका वह हकदार है।
- नेताजी के जीवन से यह भी सीखने को मिलता है कि हम देश सेवा किसी भी स्तर पर कर सकते हैं।
- नेताजी के जीवन के कई और पहलू हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। वे एक सफल संगठनकर्ता थे। उनकी वाक्य-शैली में जादू था और उन्होंने देश से बाहर रहकर 'स्वतंत्रता आंदोलन' चलाया। नेताजी मतभेद होने के बावजूद भी अपने विरोधियों का मान-सम्मान करते थे। उनकी व्यापक सोच आज की राजनीति के लिए आवश्यक विषय बन सकता है।
- उनकी प्रासंगिकता ही है कि वर्तमान में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को संग्रहालय द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास-महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, मुद्दे।
- स्वतंत्रता संग्राम-इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति/ उनका योगदान।

■

2. कौशल विकास : एक विश्लेषण

संदर्भ

वर्ष 2016 में भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कौशल परिषदों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए कौशल विकास मंत्रालय द्वारा शारदा प्रसाद समिति का गठन किया था। इस समिति द्वारा सुझाए गए सिफारिशों को 27 दिसम्बर, 2018 तक लागू किया जाना था। किन्तु अभी तक इन सिफारिशों को सरकार अमल में नहीं ला सकी है।

परिचय

प्रत्येक देश के विकास की जड़ें उस देश के लोगों पर ही आधारित होती हैं। भारत तेज गति से विकसित हो रही विश्व की विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे आगे है, जिसका कारण भारत की विशाल और बड़ी आबादी है। भारत में लगभग 1.3 मिलियन आबादी निवास करती है, अन्य देशों की तुलना में वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों का सबसे बड़ा समूह भी यही पर है। इस प्रकार यह विशाल मानव संसाधन और उत्तरोत्तर कार्यात्मक कौशल विकास योजना भारत को विकसित राष्ट्रों में सबसे आगे ले जा सकती है। भारत में विश्व की कुल युवा आबादी का लगभग 50% युवा आबादी निवास करता है, जिसे एक बार प्रशिक्षित कर दिया जाए तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि कार्यबल और कौशल विकास ही किसी देश के विकास को गति प्रदान करता है और इससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एसडीजी की रिपोर्ट-2018 से ज्ञात होता है कि विश्व की 42% आबादी युवा है, इसके साथ ही वैश्विक बेरोजगारी की दर 13% है। इस स्थिति को कम करने का एक तरीका इन युवाओं का कौशल विकास ही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर 6.32% है जो वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित 5.6% की वैश्विक बेरोजगारी दर से अधिक है।

भारत के संदर्भ में

भारत में आज 65% कार्यशील युवा आबादी है इस जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ इस युवा आबादी को कुशल बनाकर ही उठाया जा सकता है इस प्रकार यह आबादी न केवल अपना विकास करेगी बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी सहयोग करेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम 'कौशल भारत अभियान' का उद्देश्य भारतीय युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाना है। आर्थिक संकट के मद्देनजर 1991 में भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। यह वही समय था जब भारत को अपने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली में बदलाव लाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं हो पाया। 21वीं शताब्दी के शुरूआत में हमारे सामने नई चुनौतियाँ तथा अवसर परिलक्षित हुए जब हमारी अर्थव्यवस्था 7-8% की दर से बढ़ रही थी इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था में कुशल श्रमशक्ति की मांग बढ़ने लगी। वर्ष 2004-05 आईटीआई स्कूलों/कॉलेजों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। वर्ष 2007-08 में विश्व बैंक ने 280 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट सहायता भारत को दी जिससे सरकारी आईटीआई स्कूलों का आधुनिकीकरण किया जा सके। उद्योगों से कुशल श्रमशक्ति की माँग इतनी अधिक थी कि सरकार ने उसी वर्ष कौशल विकास योजना के तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया। लोगों को कौशल विकास में भाग लेने तथा निजी क्षेत्र को सार्वजनिक, निजी तथा साझेदार कंपनियों के साथ जोड़ने के लिए वर्ष 2008 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की गई। इस निगम का उद्देश्य निजी उद्योगों के लिए संसाधन जुटाने, बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के साथ-साथ बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना था। प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में कौशल विकास पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय परिषद (Prime Minister National Council on Skill Development) का गठन किया गया।

स्किल इंडिया मिशन क्या है?

15 जुलाई 2015 को एमएसडीई (MSDE) के द्वारा "स्किल इंडिया" मुहिम की शुरूआत की गई। इस मुहिम का लक्ष्य देश के युवाओं के कौशल वर्द्धन के लिए अवसर पैदा करना।

कौशल भारत अभियान के 5 स्तंभ हैं-

1. माध्यमिक विद्यालय/पॉलिटेक्निक
2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
3. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)- यह अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
4. 16 मंत्रालय ज्यादातर अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तथा
5. उद्यम-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले नियोक्ता।

स्किल इंडिया की विशेषताएँ:

- युवाओं में कौशल विकास को इस तरह से विकसित किया जाएगा जिससे रोजगार मिलने में आसानी हो और वे अपना खुद का व्यापार स्थापित कर सकें।
- रियल एस्टेट, परिवहन, कंस्ट्रक्शन, गहनों के उद्योग, बैंकिंग, पर्यटन इत्यादि क्षेत्रों में कौशल को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी, जिससे हमारे युवा सिर्फ देश की ही नहीं, बल्कि दूसरे देश जैसे कि अमेरिका, जपान, चीन, जर्मनी, रूस और पश्चिम एशिया की जरूरतें भी पूरी कर सकें।
- ग्रामीण भारत कौशल के अन्तर्गत पूरे भारत में दिये जाने वाले प्रशिक्षण एक समान होंगे।
- मूल भाषा, उम्र और जरूरत के अनुरूप योजनाएँ शुरू की जाएंगी जिसमें भाषा, बातचीत के तरीके, प्रबंधन, व्यवहार, नौकरी या व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- लोगों को सिखाने के लिए खेल, सामूहिक चर्चा, व्यावहारिक अनुभव और कई सारे नए तरीके अपनाए जायेंगे।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)

नवगठित कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। इसके तहत 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाया जाना है। कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) और उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित होगा। कार्यक्रम के तहत तृतीय पक्ष आकलन संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन और प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशिक्षुओं को नकद पारितोषिक दी जाएगी। नकद पारितोषिक औसतन 8,000 रूपए प्रति प्रशिक्षु होगी।

कार्यक्रम की उपलब्धियाँ:

- पीएमकेवीवाई (2.0) योजना पहले वर्ष में कार्यान्वयन के सफल होने के बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2016 से 2020 तक, चार सालों के लिए 12,000 करोड़ रुपये के व्यय के साथ देश के 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए पीएमकेवीवाई (2.0) योजना बनाई।
- पीएमकेवीवाई (1.0) योजना की शुरूआत 2015 में एक प्रायोगिक रूप में हुई, इस दौरान पीएमकेवीवाई (1.0) ने 375 रोजगार सूची में से 18 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया।
- पीएमकेवीवाई (2.0) बड़ी संख्या में दूरदर्शी युवाओं को मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण सहयोगियों/ प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से लघु अवधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) लेने में सक्षम बनाता है, जिसमें जनजातीय समुदाय, विकलांगता और अन्य वंचित युवाओं वाले व्यक्ति भी शामिल हैं।
- यह योजना 250 से ज्यादा रोजगार सूची के लगभग 38 सेक्टर कौशल परिषद से संबंधित लघु अवधि के प्रशिक्षण (एसटीटी), विशेष परियोजनाओं (एसपीएल) और आरपीएल चलाता है, जो कि उद्योग क्षेत्र का विविध और संपूर्ण प्रतिनिधित्व है।
- सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम पीएमकेवीवाई ने 2018 में सफलतापूर्वक लगभग 10 लाख प्लेसमेंटों का पंजीकरण किया है। जिसमें महिलाओं ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए 5 लाख से अधिक पंजीकरण कराकर पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है।
- मंत्रालय के अनुसार कौशल भारत कार्यक्रम के तहत पिछले तीन सालों में 2.5 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया।
- पिछले दो सालों में 450 से ज्यादा प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) संचालित किए हैं, जहां कौशल विकास के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा मुहैया कराया गया है।
- उद्योग और प्रशिक्षण भागीदार पारिस्थितिकी तंत्र की मदद से 2018 के अंत तक देश के 700 जिलों में पीएमकेके बनाए जाएंगे।
- अगले एक तिमाही (जुलाई, अगस्त, सितंबर) में एक लाख कुशल छात्रों को उद्यमशीलता से जोड़ने का लक्ष्य रख गया है।
- इस योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख उम्मीदवारों (पीएमकेवीवाई-I के तहत 19 लाख, पीएमकेवीवाई-II 2016-20 के तहत अब तक 27.5 लाख) को प्रशिक्षण दिया गया।

स्किल इंडिया मिशन की समीक्षा

- स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत साल 2016 से 2020 के बीच एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इस योजना के तहत लक्ष्य के आधे युवाओं को रोजगार नसीब तक नहीं हुआ। आंकड़ों के अनुसार प्रशिक्षण हासिल करने वालों में से सिर्फ एक तिहाई को ही रोजगार मिल पाया है।
- कौशल विकास योजना के तहत महज 33 लाख युवाओं को ही प्रशिक्षण दिया गया और उनमें से भी सिर्फ 20 लाख को सर्टिफिकेट सौंपे गये हैं।
- इसके अलावा अगर युवाओं को नौकरी की मिलने की बात की जाए तो उनमें से सिर्फ 10 लाख युवाओं को ही नौकरी मिल पाई।
- इस योजना के तहत व्यापक तौर पर लघु अवधि के कौशल पाठ्यक्रमों का संचालन किया गया और इसलिए प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दर कम रही।
- कई युवाओं का कहना है कि वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करने के एक साल के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिला। जबकि कई ऐसे युवा अब भी सड़कों पर घूम रहे हैं जिनकी ट्रेनिंग काफी पहले खत्म हो चुकी है लेकिन उन्हें प्रमाणपत्र अभी तक नहीं दिया गया है।
- आंकड़ों के अनुसार कौशल विकास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 4.14 लाख युवाओं को प्रमाणपत्र दिया गया। जबकि 5.70 लाख युवाओं ने प्रशिक्षण हासिल किया था। लेकिन नौकरी की बात करे तो केवल 28 फीसदी युवाओं को ही नौकरी मिल पाई।

असफलता के कारण

शारदा प्रसाद समिति के अनुसार इस योजना के तहत प्रशिक्षुओं को 5 हजार से 12 हजार रुपये का प्रोत्साहन दिया जाता था। इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के माध्यम से 18 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने और 12 लाख लोगों को अतिरिक्त मान्यता देने का लक्ष्य रखा गया था, जो आवश्यकता से अधिक था।

इस परियोजना के दूसरे चरण में 2020 तक 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया

गया जो आवश्यकता के हिसाब से बहुत कम था। इन 1 लाख युवाओं में 60 हजार युवाओं को नए सिरे से प्रशिक्षण देना था जबकि 40 लाख युवाओं को आरपीएल के तहत पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया था।

समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार की महत्वाकांक्षी योजना को शुरू करने से पहले परिणाम का आकलन करने और रोजगार मुहैया कराने एवं उद्योग संबंधी कौशल जरूरतों को पूरा करने के दोहरे उद्देश्य की सफलता का पता लगाने के लिए पीएमकेवीवाई 2015 (योजना के पहले चरण) का कोई आकलन नहीं किया गया।

व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली के समक्ष चुनौतियाँ

- एक व्यावहारिक व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रणाली का न होना, उदाहरण के लिए पढ़े-लिखे व्यक्ति का कौशल विकास न होना और कुशल व्यक्ति का अनपढ़ होना। शैक्षणिक रूप से वंचित जैसे- स्कूल छोड़ने वाले एससी/एसटी, अल्पसंख्यक व आर्थिक रूप से वंचित आदि।
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली का राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप न होना, उदाहरण के लिए सरकार का ध्यान लघु अवधि के पाठ्यक्रमों पर केन्द्रित रहा है जो उद्योग की जरूरतों के अनुरूप नहीं है।
- राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्वामित्व की कमीः एमएसडीई में 17 मंत्रालयों के साथ-साथ राज्य सरकारें भी कार्यरत हैं अर्थात् एक समान राष्ट्रीय प्रशिक्षण मानकों का पालन नहीं किया जाता है।
- बजट का आवंटन प्रशिक्षण क्षमता के अनुरूप न होने से गुणवत्ता के साथ समझौता किया जाता है अर्थात् गुणवत्ता रहित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- देश में अपर्याप्त प्रशिक्षण संस्थान।
- कोई विश्वसनीय राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रमाणन प्रणाली का न होना।

निष्कर्ष

एक राष्ट्र की सफलता हमेशा उसके युवाओं की सफलता पर निर्भर करती है और कौशल भारत अभियान इन युवाओं के बहुत सारे लाभ और अवसरों को सुनिश्चित करेगा। वह समय दूर नहीं है जब भारत एक कुशल समाज के रूप में विकसित होगा जहाँ सभी के लिए समृद्धि और गरिमामय जीवन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

प्रत्येक बच्चे के लिए स्कूली शिक्षा के 10 वर्ष अनिवार्य होने चाहिए चाहे वह बच्चा किसी जाति, धर्म, पंथ, क्षेत्र का हो या उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।

- एमएसडीई राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होना चाहिए तथा NSDA, DGE और SSCs की मदद से विकसित होना चाहिए साथ ही जहाँ जरूरत हो वहाँ मंत्रालयों को भी शामिल करना चाहिए या परामर्श लेना चाहिए।
- एसएससी को इसे लागू करने के लिए नियोक्ताओं के साथ मिलकर काम करना चाहिए, साथ ही नियोक्ताओं को काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- एक राष्ट्रीय कौशल विकास कोष की (प्रतिपूर्ति उद्योग योगदान- Reimbursable Industry Contribution-RIC) स्थापना की जानी चाहिए। जिसमें जो भी नियोक्ता कंपनी 10 या उससे अधिक लोगों को रोजगार दे रही है तो उनके वेतन का 2% योगदान RIC में होना चाहिए।
- राष्ट्रीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाने की आवश्यकता है साथ ही इसकी समय-समय पर समीक्षा एक स्वतंत्र निकाय या तीसरे पक्ष द्वारा किया जाना चाहिए।
- सबसे पहले कौशल अंतराल को पहचानने की जरूरत है जिसमें पेशेवर ज्ञान, पेशेवर कौशल और जिम्मेदारी प्रमुख होना चाहिए।
- सॉफ्ट स्किल्स को प्रशिक्षण का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए जिनमें- पारस्परिक व्यवहार, टीम वर्क, ओरेशन (Oration) प्रजेन्टेशन, प्रॉबलम सॉल्विंग, सकारात्मक रवैया आदि के साथ-साथ, कम्प्यूटर और डिजिटल साक्षरता, गुणवत्ता प्रबंधन, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा अंग्रेजी में निपुणता आदि को शामिल किया जाना चाहिए।
- प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक रूपरेखा बनायी जानी चाहिए जिसमें योग्यता, पढ़ाये जाने वाले विषयों, शिक्षा कौशल प्रमाणन (Certification) आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- रोजगार संबंधित जानकारियाँ/सुविधाएँ देने वाली सभी संस्थाओं का आधुनिकीकरण करना और इनको मार्गदर्शक, परामर्श और रोजगार सुविधा केन्द्र के रूप में विकसित करना।
- पुराने अधिनियमों जैसे- एप्रेन्टिस एक्ट (1961) को समाप्त कर, उनके स्थान पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण मानकों को लागू करना साथ ही इसमें सम्मिलित संस्थाओं की जिम्मेदारी को तय किया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

3. नए भारत के निर्माण में भारतीय डायस्पोरा का योगदान

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में 15 वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। ऐसा पहली बार हुआ है, जब यह तीन दिवसीय कार्यक्रम 9 जनवरी के बजाय 21 से 23 जनवरी के बीच आयोजित किया गया। इस साल के प्रवासी भारतीय दिवस का विषय 'नये भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका' है। मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जबकि नॉर्वे के सांसद हिमांशु गुलाटी विशिष्ट अतिथि थे। वहीं न्यूजीलैंड के सांसद कंवलजीत सिंह बख्शी 'गेस्ट ऑफ ऑनर' थे।

परिचय

हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इसका लक्ष्य भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को पहचान दिलाने से है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरूआत 2003 से हुई है और तब से लेकर हर वर्ष भारत सरकार के

द्वारा तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन में विदेश में रह रहे उन भारतीयों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल कर भारत का नाम विश्व पटल पर गौरवान्वित किया हो। देश का नाम रौशन करने वाले ऐसे लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा जाता है। इसके अलावा इस सम्मेलन में प्रवासी भारतीयों से जुड़े मामलों और समस्याओं पर भी विचार किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा हर साल 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करने का निहितार्थ यह है कि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से साल 1915 में स्वदेश वापस लौटे थे।

पृष्ठभूमि

प्रवास की संकल्पना, प्राचीन सभ्यताओं के समय से ही अस्तित्व में है। वैदिक सभ्यता से लेकर 18वीं शताब्दी तक इसका स्वरूप भारत में प्रायः ज्ञानार्जन के लिए, लोक कल्याण के लिए और धार्मिक अभिप्रायों से किए जाने वाले प्रवास का रहा है। प्रवासी भारतीयों के साथ भारत का औपचारिक संबंध तो था ही लेकिन एक निकटवर्ती, घनिष्ठ और आत्मिक जुड़ाव की आवश्यकता बहुत लम्बे समय से महसूस की जा रही थी। नवम्बर, 1977 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक समारोह में सरकार ने जोर देकर कहा था कि दूर-दराज के देशों में बसे भारतवंशियों के साथ हमें अपना रिश्ता और प्रगाढ़ करना चाहिए। प्रवासी भारतीयों के साथ अपने जुड़ाव को प्रगाढ़ करने के लिए किस प्रकार की नीतियाँ बनाई जाएँ, कौन-से साधन अपनाए जाएँ और किस प्रकार का तंत्र तैयार किया जाए, इस पर चर्चा होती रही। फलस्वरूप 18 अगस्त, 2000 को डॉ. लक्ष्मी मल्ल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन विदेश मंत्रालय ने किया। समिति ने 20 से अधिक देशों का प्रत्यक्ष दौरा करके, विश्व भर के यथा-संभव अधिकतम प्रवासी भारतीय संगठनों एवं पूर्व राजनयिकों से बातचीत करके और अपने संचित ज्ञान एवं अनुभव के आधार 19 दिसम्बर, 2001 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ प्रवासी भारतीय दिवस 09 जनवरी को मनाए जाने और प्रति वर्ष प्रवासी भारतीय सम्मान दिए जाने की सिफारिशें भी शामिल थीं।

प्रवासी भारतीय दिवस का उद्देश्य

- अप्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति सोच, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ ही उनकी अपने देशवासियों के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए मंच उपलब्ध कराना है।
- विश्व के सभी देशों में अप्रवासी भारतीयों का नेटवर्क बनाना।
- युवा पीढ़ी को अप्रवासियों से जोड़ना।
- विदेशों में रह रहे भारतीय श्रमजीवियों की कठिनाइयों को जानना तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करना।
- भारत के प्रति अनिवासियों को आकर्षित करना।
- निवेश के अवसर को बढ़ाना।

प्रवासी भारतीय दिवसः वर्तमान स्थिति

- वाराणसी में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस में प्रवासी भारतीयों ने नया भारत बनाने के सपने को साकार करने में पूरा सहयोग देने का संकल्प लिया। भारत में साइबर क्षमता का विकास, कचरा प्रबंधन, सस्ती और सुलभ सौर ऊर्जा, संकट में फँसे प्रवासी भारतीयों के कल्याण में सामुदायिक संगठनों का योगदान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि मुद्दों के विकास पर प्रवासी भारतीयों ने अपनी क्षमता के अनुसार इसमें सहयोग देने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।
- भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों की सहायता के लिए इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, ई-माइग्रेट पोर्टल और मदर पोर्टल शुरू किया गया है। जिससे विदेशों में जाने वाले भारतीयों को मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- भारत सरकार प्रवासी भारतीयों के लिए पासपोर्ट, वीजा, PIO और OCI कार्ड को लेकर भी तमाम प्रक्रियाओं को आसान करने का प्रयास कर रही है।
- भारत दुनिया भर में दूतावासों को पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट से जोड़ रहा है। इसके अलावा ई-पासपोर्ट जारी करने की दिशा में भी काम चल रहा है।
- पासपोर्ट के साथ-साथ वीजा से जुड़े नियमों को भी सरल किया जा रहा है। e-VISA की सुविधा मिलने से समय की बचत भी होगी और परेशानियों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा।
- प्रविंद जगन्नाथ ने प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को अंतिम रूप देने सहित द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर सहमति व्यक्त की।
- स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भागीदारी परियोजनाओं के नए प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग और उसके विस्तार करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई।

भारतीय डायस्पोरा

डायस्पोरा एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है बीज बिखेरना। यह उन लोगों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जो रोजगार, व्यापार या किसी अन्य प्रयोजन से अपनी जन्मभूमि छोड़ देते हैं और विश्व के दूसरे भागों में निवास करते हैं।

भारतीय डायस्पोरा से तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो भारतीय गणराज्य की सीमा से अन्य देशों में विभिन्न कारणों एवं उद्देश्यों से उत्प्रवास कर गये। इसके तहत उनके वंश को भी शामिल किया जाता है। भारतीय डायस्पोरा के अंतर्गत प्रवासी भारतीय (NRI) तथा पीआईओ (PIO) को शामिल किया जाता है।

अप्रवासी भारतीय (NRI): अप्रवासी भारतीय ऐसे डायस्पोरा को कहा जाता है जो भारतीय नागरिकता धारण करते हुए भी भारत में नहीं रह रहे हैं। अप्रवासी भारतीय जिन्हें विदेशी नागरिकता प्राप्त है, को लगभग वही सुविधाएँ प्राप्त होंगी जो भारतीयों को प्राप्त है।

भारतीय मूल के लोग (PIO): पीआईओ उत्प्रवास कर गये ऐसे भारतवंशियों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर ली है।

भारतीय डायस्पोरा और उनका योगदान

भारत के करीब 1.56 करोड़ लोग विदेशों में रह रहे हैं जो दुनिया के कुल प्रवासियों का लगभग 6 फीसदी है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (International Organisation for Migration) की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक भारतीय (35 लाख) संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं जो विदेशों में रहने वाले कुल भारतीयों का 22.4 फीसदी है। इसके बाद अमेरिका 20 लाख (12.8 फीसदी), सऊदी अरब 19 लाख, कुवैत 10 लाख, ब्रिटेन 7 लाख (4.5 फीसदी) तथा इतने ही भारतीय ओमान में रहते हैं।

विदेशों में रह रहे भारतीय डायस्पोरा के लोग भारत के प्रत्येक क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे-

भारत में भेजा हुआ धन (Remittances): भारत विदेशों से मिलने वाले धन के मामले में विश्व में शीर्ष पर है। वर्ष 2018 में जारी विश्व

बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी भारतीयों द्वारा लगभग 69 अरब रुपये भारत में भेजे गये। विश्व बैंक के अनुसार इस रेमिटेंस से देश की घरेलू गरीबी को कम किया जा सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ अन्य उत्पादक गतिविधियों के निवेश को बढ़ाया जा सकता है। बालश्रम में कमी करने के साथ-साथ उद्यमशीलता में वृद्धि की जा सकती है।

डायस्पोरा और ज्ञान: भारतीय डायस्पोरा अपना अहम योगदान, ज्ञान साझा करने के क्षेत्र में दे सकते हैं जिसमें अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा तथा शैक्षणिक आदान-प्रदान शामिल हैं।

विदेशों में भारतीय वस्तुओं की माँग में वृद्धि: प्रवासी भारतीयों ने अपने देशों में भारतीय वस्तुओं की माँग को बढ़ावा दिया है। इसमें खाने के सामान, फैशन से लेकर भारतीय मनोरंजन उद्योग तक शामिल हैं। इससे भारतीय निर्यात विशेषकर हथरकघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

अनुसंधान एवं अन्वेषण: प्रवासी भारतीय अनुसंधान एवं विकास और अन्वेषण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि भारत के स्टार्टअप प्रोजेक्ट और उनके एनआरआई मेंटर को एक मंच पर लाया जाए।

घरेलू निवेश: भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और रेमिटेंस नियमों में काफी सुधार किया है। जिसके तहत प्रवासी भारतीयों द्वारा किया जाने वाला निवेश घरेलू निवेश माना जाएगा न कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इस कदम से प्रवासी भारतीयों के लिए भारत में निवेश करना आसान हो जाता है। इससे भारत में निवेश और विदेशी मुद्रा के प्रवाह में तीव्र वृद्धि होगी, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता मिलेगी। इसके अलावा प्रवासी भारतीय, भारत में संचालित स्वच्छ भारत अभियान, नमामिगंगे आदि प्रमुख कार्यक्रमों में योगदान दे सकते हैं।

सरकारी प्रयास

प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएँ और उनकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1. **भारत को जाने कार्यक्रम (केआईपी):** यह कार्यक्रम छात्रों और भारतीय मूल के पेशेवर लोगों को भारत भ्रमण करने के लिए मंच प्रदान करता है जिससे वह अपने विचार, आशाएँ और अनुभव साझा कर सकें और समकालीन भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर सकें।
2. **भारत अध्ययन कार्यक्रम (एसआईपी):** भारत अध्ययन कार्यक्रम (एसआईपी) के अंतर्गत प्रवासी भारतीय युवाओं को भारत के इतिहास, विरासत, कला, संस्कृति, सामाजिक राजनैतिक, आर्थिक विकास आदि से परिचित कराने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में लघु अवधि के पाठ्यक्रम कराये जाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसंधान और शैक्षणिक अनुकूलन पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।
3. **प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (एसपीडीसी):** वर्ष 2006-07 प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (एसपीडीसी) की शुरूआत की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत भारतीय मूल के प्रवासियों और गैर प्रवासी भारतीय छात्रों को इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, प्रबंधन, पत्रकारिता, होटल प्रबंधन, कृषि और पशुपालन आदि विषयों में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष चार हजार अमेरिकी डॉलर तक की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस योजना का क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
4. **मूल जड़ों की खोज:** भारत में पीआईओ द्वारा उनके मूल वंश के खोज को सुगम बनाने के लिए प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय ने अक्टूबर, 2008 से "मूल जड़ों की खोज" नामक योजना संचालित की है।
5. **महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई):** सरकार ने उत्प्रवासन जाँच अपेक्षित (Emigration check required) पासपोर्ट रखने वाले विदेशी भारतीय कर्मकारों के लिए महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना नामक एक पेंशन और जीवन बीमा निधि आरंभ की है।
6. **प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई):** इस योजना के तहत विदेशों में रोजगार के लिए प्रवासियों के संरक्षकों (पीओई) द्वारा विदेश गमन की अनुमति मिलने के बाद रोजगार के लिए विदेश गये भारतीय प्रवासी की मृत्यु अथवा विकलांगता पर नामित/आधिकारिक व्यक्ति को 10 लाख रुपये का जीवन बीमा दिया जाता है।

चुनौतियाँ

- खाड़ी देशों में जाने वाले श्रमिकों के साथ कंपनियाँ धोखाधड़ी करती हैं।
- काम के दौरान मालिकों द्वारा उनके पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिए जाते हैं, उन्हें पूरी मजदूरी नहीं दी जाती है।
- भारतीय दूतावासों से उन्हें समय पर पर्याप्त मदद नहीं मिल पाती है।
- भारत लौटने पर उन्हें कस्टम अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाता है।
- अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण कर चुके भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत आगमन के लिए विदेशियों की तरह वीजा लेना पड़ता है।
- प्रवासियों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक चिंताओं के समाधान के लिए भारत में उन्हें बहुत भटकना पड़ता है।
- रेमिटेंस का उपयोग हमेशा लाभकारी उद्देश्यों के लिए नहीं होता है। उदाहरण के लिए खालिस्तान आन्दोलन के लिए विदेशी फंडिंग की गई थी जिससे भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा।
- इसके अलावा मध्य-पूर्व के देशों में आर्थिक मंदी आने के कारण कई देशों ने भारतीयों से अपने अनुबंध समाप्त कर लिए, जिसके कारण इन श्रमिकों को भारत लौटना पड़ा।
- अनिवासी/प्रवासी भारतीयों को ओसीआई कार्ड प्राप्त करने, भारत में छूट गई अपनी अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा और यहां चलने वाले मुकदमों में बार-बार पेश होने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

भारत सरकार का प्रयास यह होना चाहिए कि प्रवासी भारतीय दिवस केवल एक आर्थिक गतिविधि बनकर न रह जाए अपितु इसका सरोकार, प्रवासी भारतीयों की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भावनात्मक चिंताओं से भी बना रहे।

इसके लिए न केवल प्रवासी भारतीय समुदाय की विशालता, विविधता और उपलब्धियों को भी भारतीय जनता के समक्ष रखना होगा। भारत को न केवल उनकी समस्याओं तथा अपेक्षाओं को भी समझना होगा बल्कि अपने नीतिगत ढांचे में और बदलाव लाकर प्रवासियों के प्रति अनुकूल वातावरण बनाकर तथा उनकी सेवाओं का लाभ उठाते हुए उनके भारत के साथ गहरे अनुराग को सराहा जाना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

■

4. ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट–2019

चर्चा का कारण

हाल ही में वैश्विक जोखिम परिदृश्य के संदर्भ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, 2019 (Global Risk Report-2019) जारी किया गया। विदित हो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी वार्षिक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, 2019 का 14वाँ संस्करण जारी किया है।

परिचय

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्विस अधिकारियों द्वारा इसे एक पब्लिक प्राइवेट सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है।

इसका मिशन विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है।

विश्व आर्थिक मंच की स्थापना वर्ष 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लॉस एम श्वाब द्वारा की गई थी। उस वर्ष यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन प्रौद्योगिकी संगठन के सौजन्य से इस संगठन की पहली बैठक हुई थी।

इस फोरम के द्वारा प्रत्येक वर्ष दावोस (स्विट्जरलैण्ड) में शीतकालीन समय में बैठक आयोजित की जाती है।

दावोस में भारत की स्थिति

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्ष 1997 के बाद दावोस जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं।
- इसके पहले वर्ष 1997 में श्री एच.डी. देवगौड़ा दावोस गए थे।

वर्तमान सम्मेलन में विश्व के लगभग 60 बड़े उद्योगपति और व्यापारियों ने भाग लिया जिसमें 20 भारतीय थे। सम्मेलन में विश्व आर्थिक मंच ने अपनी वार्षिक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का 14वाँ संस्करण जारी किया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि विश्व आर्थिक मंच इसके अलावा भी कई अन्य रिपोर्ट जारी करती है, जैसे-

- जी.जी.जी.आर. (Global Gender Gap Report)
- जी.सी.आर. (Global Competitiveness Report)
- जी.एच.सी.आर. (Global Human Capital Report)
- टी.टी.सी.आर. (Travel and Tourism Competitiveness Report)
- आई.जी.डी.आर. (Inclusive Growth and Development Report)

वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2019 के मुख्य तथ्य

- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, 2019 में वैश्विक जोखिम परिदृश्य को दर्शाया गया और इस संदर्भ में कार्यवाही हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है।
- इस वर्ष की रिपोर्ट में "what if" (क्या हो अगर) शब्दों की एकश्रृंखला शामिल की गई है, जिसमें भविष्य में आने वाले जोखिमों जैसे कि- क्वांटम कंप्यूटिंग, मौसम में तात्कालिक परिवर्तन, मौद्रिक लोकलुभावनवाद (Monetary Populism), भावनात्मक रूप से उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य संभावित जोखिमों पर चर्चा की गई है।
- रिपोर्ट में वर्तमान वैश्विक जोखिम सर्वेक्षण के परिणामों को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, शिक्षा और नागरिक समाज से लगभग 1,000 सदस्यों द्वारा दुनिया के सामने आने वाले जोखिमों का आकलन किया गया है।
- वैश्विक जोखिमों के मानवीय कारणों और प्रभावों पर विशेष ध्यान देते हुए दुनिया भर में मनोवैज्ञानिक तनाव के बढ़ते स्तर पर सकारात्मक कदम उठाने पर भी बल दिया गया है।

1. **पर्यावरण-** वार्षिक वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में पर्यावरणीय जोखिम पर चिंता व्यक्त करते हुए आने वाले दस वर्षों में वैश्विक स्तर पर मौसम एवं जलवायु परिवर्तन नीति की विफलता को सबसे गंभीर खतरा बताया गया है।

   इस संदर्भ में एक स्वतंत्र विकास संगठन जर्मनवॉच द्वारा हाल ही में जलवायु जोखिम सूचकांक, 2019 जारी किया गया। सूचकांक में मौत और आर्थिक नुकसान के मामले में मौसमी घटनाओं (तूफान, बाढ़, भयंकर गर्मी इत्यादि) के मात्रात्मक प्रभाव का विश्लेषण किया गया।

- विश्लेषण के अनुसार वर्ष 1998-2017 के दौरान भारत में 73,212 लोग मौसमी घटनाओं के शिकार बने और इसी समयावधि में मौसमी घटनाओं के कारण भारत की वार्षिक औसत मौतों की संख्या लगभग 3,660 थी।
- जनसंख्या के समायोजन के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल को सूची में भारत के ऊपर रखा गया है।
- रिपोर्ट में वर्ष 2017 में इन तीन देशों में हुई भारी बारिश का भी जिक्र किया गया है, जिसने 4 करोड़ लोगों को प्रभावित किया और जिसके कारण लगभग 1,200 मौतें हुई।
- म्यांमार और पाकिस्तान जो 1998-2017 की सूची में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले 15 देशों में शामिल थे, वर्ष 2017 की सूची में क्रमशः 69वें और 33वें स्थान पर हैं। इन घटनाओं के निम्न कारण वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में बताए गए हैं-
  - जलवायु परिवर्तन को कम करने को लेकर प्रभावी उपायों को लागू करने में सरकारों की विफलता।
  - प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ जैसे- भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, भू-चुंबकीय तथा तूफान की बारम्बारता।
  - मानव निर्मित पर्यावरणीय क्षति और आपदाएँ।

2. **जैव विविधता-** दुनिया में कुल कितनी प्रजातियाँ हैं यह ज्ञात से परे है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार इनकी संख्या 30 लाख से 10 करोड़ के बीच है। विश्व में 14,35,662 प्रजातियों की पहचान की गयी है। यद्यपि बहुत-सी प्रजातियों की पहचान अभी भी होना बाकी है। पारितंत्रों के क्षय के कारण लगभग 27,000 प्रजातियाँ प्रति वर्ष विलुप्त हो रही हैं। इनमें से ज्यादातर ऊष्णकटिबंधीय छोटे जीव हैं। अगर जैव विविधता क्षरण की वर्तमान दर कायम रही तो विश्व की एक-चौथाई प्रजातियों का अस्तित्व सन 2050 तक समाप्त हो जायेगा।

रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि प्रजातीय विविधता में 1970 के पश्चात् 60% की कमी आयी है जिसके चलते मानव खाद्य शृंखला प्रभावित हुई है और स्वास्थ्य समस्या बढ़ी है। इसको लेकर वैश्विक स्तर पर वैश्विक जोखिम से निपटने पर बल दिया गया है।

3. **भू-राजनीतिक-** रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक (Geo-political) और भू-आर्थिक (Geo-economic) समस्याओं की पृष्ठभूमि पर चिंता व्यक्त की गयी है।

   गौरतलब है कि हाल ही में रूस, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती भू-राजनैतिक प्रतिस्पर्धा इन राष्ट्रों के बीच सैन्य-राजनैतिक विरोध में वृद्धि व व्यापार युद्ध और मध्य-पूर्व में 'महायुद्ध' की संभावना 2019 की सबसे बड़ी चिंताएं हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है कि 2019 में विश्व को सैन्य-राजनीतिक विरोध, व्यापार युद्ध जैसे बड़े संकटों का सामना करना पड़ेगा।

   अध्ययन में अमेरिका व चीन के बीच व्यापार युद्ध में व्यापक विस्तार को लेकर विरोध में वृद्धि, मध्य-पूर्व में महायुद्ध, रूस व पश्चिमी देश के बीच रिश्तों का पतन, यूरेशिया में हॉटस्पॉट को हटाना, अलगाववाद व जातीय संघर्षो में वृद्धि, साइबर खतरों में मजबूती व उद्‌भव, नए हथियारों की दौड़ की शुरूआत और विशाल परमाणु व प्रौद्योगिकी आपदाओं के जोखिम को चिह्नित किया गया। इन वैश्विक जोखिमों के मूल में कई कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जैसे-

   - विश्व अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण की जगह बंद अर्थव्यवस्था पर बल दिया जाना। अगर कालांतर में इस तरह की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है तो भू-राजनैतिक व्यवस्था संकट में पड़ सकती है।
   - कमजोर शासन, भ्रष्टाचार व राजनीतिक गतिरोध के परिणामस्वरूप भू-राजनीतिक महत्व वाले देश में शासन करने में रुकावट आना।
   - आर्थिक, भू राजनीतिक व अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में क्षेत्रीय व वैश्विक संस्थानों की अक्षमता।
   - राज्यों के बीच द्विपक्षीय या बहुपक्षीय विवाद का आर्थिक, सैन्य, साइबर, सामाजिक और अन्य संघर्षों को बढ़ावा देना है। जिसकी पुष्टि समय-समय पर राज्यों के बीच संघर्ष के रूप में सामने आती रहती है।

4. **आतंकवादी हमले-** हाल ही में बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमले बढ़े हैं। इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा, सैन्य तख्तापलट, नागरिक संघर्ष आदि की घटनाएँ भी बलवती हुई हैं।

   उल्लेखनीय है कि गत् वर्षो में विश्व के दो तिहाई देशों में आतंकवादी हमले हुए। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित 10 देशों में भारत भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक-2016 में भारत (स्कोर-7.48) को आठवाँ स्थान प्राप्त हुआ था।

   आतंकवाद से हुई मौतों में तीन चौथाई मौतें इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान में हुई हैं। सर्वाधिक प्रभावित देशों में आतंकवाद का मुख्य कारण आंतरिक संघर्ष को रिपोर्ट में बताया गया है।

5. **आर्थिक जोखिम-** आईएमएफ द्वारा हाल ही में 2019 एवं 2020 के लिये वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर क्रमशः 3.5 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत कर दिया गया। जिसकी वजह से मौजूदा अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का बढ़ता स्तर, महँगाई की दर में कमी तथा वित्तीय बाजारों में सकारात्मक दृष्टिकोण के आसार नजर ना आना बताया गया है। साथ ही संरक्षणवाद भी एक चुनौति के रूप मे सामने आयी है जो वैश्वीकरण की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है।

   बहरहाल, वैश्विक व्यापार नीतियों में यदि संरक्षणवाद की अवधारणा पनपी तो अनेक देशों के भुगतान संतुलन बिगड़ सकते हैं। सामान्य तौर पर आर्थिक असमानता बढ़ने की भी संभावना आईएमएफ को नजर आ रही है। साथ ही टेक्नोलॉजी के जरिये पूँजी प्रधान औद्योगिक वातावरण पनपने से श्रमिकों की औसत वेतन पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। इस प्रकार वर्तमान में आर्थिक व्यवस्था में उतार-चढ़ाव बढ़ रहा है, जिसके निम्न कारण रिपोर्ट में बताए गए हैं-

   - अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक शून्य मुद्रास्फीति या अपस्फीति का बने रहना।
   - प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय संकट का बढ़ना।
   - एक निरंतर उच्च स्तर की बेरोजगारी और कार्यरत जनसंख्या की उत्पादक क्षमता को कम करके आँकना।
   - कानूनी ढाँचे के बाहर बड़े पैमाने पर गतिविधियाँ जैसे कि अवैध वित्तीय प्रवाह, कर चोरी, मानव तस्करी, जालसाजी आदि का होना।
   - ऊर्जा कीमत में बढ़ोतरी होना।
   - प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तरों में असहनीय वृद्धि का होना आदि।

6. **नागरिक समाज-** समाज का निर्माण व्यक्तियों के समूह से होता है। राज्य की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि व्यक्ति साध्य है और समाज साधन, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वर्तमान रिपोर्ट में व्यक्ति और समाज के इस ताने-बाने पर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक जोखिमों से मानवीय पक्ष विचलित हो रहा है। दुनिया भर में, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ अनुमानतः 700 मिलियन लोगों

को प्रभावित कर रही हैं। इन समस्याओं की विकरालता में निम्न कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

- खराब नियोजित शहर, शहरी फैलाव से संबंधित बुनियादी ढाँचे, सामाजिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ पैदा कर रहे हैं।
- इन क्षेत्रों में खाद्य की अपर्याप्तता भी एक अन्य समस्या बनी हुई है।
- संघर्ष, आपदाओं, पर्यावरण और आर्थिक कारणों से बड़े पैमाने पर अनैच्छिक प्रवास बढ़ा है।
- प्रमुख सामाजिक आंदोलन या विरोध जैसे- दंगे आदि राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बाधित कर रहे हैं।
- वहीं आबादी आर्थिक गतिविधियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं।
- हाल ही में बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या कवक जो संक्रामक रोगों के अनियंत्रित प्रसार का कारण बने हैं। उदाहरण- स्वाइन फ्लू, काला ज्वार आदि।

7. **जल संकट-** पूरी दुनिया में जल संकट गहरा रहा है। आने वाले कुछ सालों में देश और दुनिया में चारों और पानी का संकट गहराने वाला है। इस बात की पुष्टि विश्व जोखिम रिपोर्ट में की गई है।

   शोध के मुताबिक 2020 तक पूरी दुनिया में पीने की पानी की कमी की समस्या और गहराएगी। 2025 तक 3.4 बिलियन लोगों को पीने के पानी की कमी से जूझना होगा। वहीं भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कहा जाता है कि भारत खतरे के केंद्र में होगा। भारत में दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी रहती है लेकिन पीने लायक पानी के स्रोत सिर्फ 4 प्रतिशत ही है। ऐसे में बढ़ते हुए खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है।

8. **प्रौद्योगिकी-** प्रौद्योगिकी वैश्विक जोखिम परिदृश्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। किन्तु डेटा धोखाधड़ी और साइबर हमलों में गत वर्षो में वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल भी इस बात की पुष्टि हुई कि साइबर हमले महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के लिए जोखिम पैदा कर रहे हैं।

   इस प्रकार कहा जा सकता है कि साइबर निर्भरता जो महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (जैसे इंटरनेट, उपग्रहों, आदि) और नेटवर्क से बाहर निकलने के लिए भेद्यता बढ़ाती है, उसमें व्यापक बाधाएँ आ रही हैं। बड़े पैमाने पर साइबर हमले भू-राजनीतिक तनाव का कारण बन रहे हैं। साथ ही निजी या आधिकारिक डेटा का गलत प्रयोग हो रहा है।

   रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कृत्रिम बुद्धि, भू-इंजीनियरिंग और सिंथेटिक जीव विज्ञान जैसे तकनीकी विकास के प्रतिकूल परिणाम मानव, पर्यावरण और आर्थिक क्षति का कारण बन रहे हैं।

9. **आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी और चौथी औद्योगिक क्रांति-** वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में चौथी औद्योगिक क्रांति से आने वाली बाधाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। ये बाधाएँ निम्न समस्या उत्पन्न कर सकती है-
   - कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रभाव नौकरियों से जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह की मशीन बनाई जाती है, जो लोगों की तरह सोचने की क्षमता रखती है और बिना थके कोई भी कार्य कर सकती है तो ऐसी स्थिति में लोगों की जगह इन्हीं मशीनों को कार्य करने के लिए रखा जाएगा। ऐसा करने से ये मशीन लोगों की जगह ले लेंगी और बेरोजगारी बढ़ेगी।
   - इस बात में कोई संदेह नहीं है कि नई-नई तकनीकों के आने से लोगों के अंदर आलस्य आ गया है। लोग इन मशीनों पर ज्यादा निर्भर रहने लगे हैं। वहीं सोच और समझ रखने वाली मशीनों के आने से लोग सोचने और समझने में भी ज्यादा जोर नहीं दे पाएंगे। काम को आसानी और जल्द करने के इरादे से इन मशीनों पर ही निर्भर रहेंगे, जिससे लोगों की सोचने की क्षमता पर भी असर पड़ेगा।
   - अमेरिका की एक शोध कंपनी एचएफएस रिसर्च के अध्ययन में इस बात की पुष्टि हुई है कि कृत्रिम बौद्धिमता के बढ़ते उपयोग का असर करीब 7 लाख नौकरियों पर पड़ेगा। वर्ष 2022 तक इस क्षेत्र में काम करने वाले कम कुशल कारीगरों की नौकरी जाने की संभावना है।
   - गौरतलब है कि ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग बढ़ने से भारत के सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीओ उद्योग में कम कुशलता वाले कर्मियों की संख्या 2016 में घटकर 24 लाख रह गई है जो 2022 में मात्र 17 लाख रह जाएगी।

वैश्विक जोखिम प्रतिवेदन का महत्व

- यह प्रतिवेदन वर्ष दर वर्ष विश्व भर में जोखिम के परिदृश्य में होने वाले परिवर्तनों को बताता है और वैश्विक विध्वंसकारी जोखिमों (catastrophic risks) की जानकारी देता है।
- यह प्रतिवेदन पता लगाता है कि कौन-सा जोखिम किस तरह दूसरे जोखिम से जुड़ा हुआ है।
- प्रतिवेदन का उद्देश्य वैश्विक जोखिम को कम करने के लिए अनेक हितधारकों का सहयोग लेने की आवश्यकता के प्रति जागरूकता फैलाना है।

आगे की राह

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि विश्व जोखिम की तरफ बढ़ रहा है ऐसे में इन समस्याओं के समाधान के लिए वैश्विक स्तर पर मजबूत पहलों की व साझी जिम्मेदारी की जरूरत है। इस संदर्भ में यहाँ कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है, जैसे-

- वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने हेतु सामरिक भागीदारी को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए।
- प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समानता एवं न्याय के सिद्धांतों के आधार पर वैश्विक और आर्थिक शासन प्रणाली में सुधार लाने की साझी वचनबद्धता व्यक्त किया जाना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए बिना किसी अपवाद के सभी देशों के लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही अन्य देशों की सुरक्षा की कीमत पर कुछ देशों की सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामूहिक प्रयासों से वैश्विक वित्तीय संकट का सफलतापूर्वक मुकाबला किया जा सकता है। ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है तथा जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक हित के मुद्दे का समाधान किया जा सकता है।

- अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती पर रोक लगाए जाए तथा बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों और मानव जाति के कल्याण हेतु किये जाने चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने हेतु प्रयासों को तेज करना चाहिए। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवादरोधी नीति तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1267, 1373 और 1540 सहित संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबद्ध संकल्पों का क्रियान्वयन काफी कारगर साबित हो सकता है।
- जलवायु परिवर्तन की समस्या का मुकाबला करने के लिए प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की तात्कालिकता पर बल देते हुए इस संदर्भ में विभिन्न राज्यों के साझे परन्तु भिन्न दायित्वों एवं अलग-अलग क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया जाने चाहिए।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आज की आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन और नई तकनीकों से जुड़े खतरों के बारे में आज जो भी आवश्यक चुनौतियाँ हैं, उन्हें केवल समन्वित कार्यवाई के माध्यम से ही हल किया जा सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।
- भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

5. बढ़ती असमानता और भारत

चर्चा का कारण

हाल ही में इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप, ऑक्सफेम ने अपनी वार्षिक असमानता रिपोर्ट जारी की है। ''पब्लिक गुड या प्राइवेट वेल्थ'' (Public Good or private Wealth) शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार कुछ अमीर लोगों की संपत्ति लगातार बढ़ रही है, जबकि गरीबों की बड़ी आबादी की संपत्तियों में लगातार गिरावट आ रही है।

परिचय

ऑक्सफेम की रिपोर्ट सबसे गरीब लोगों पर विश्व में पूँजीवाद के बढ़ते प्रभाव की याद दिलाती है। इन आँकड़ों से पता चलता है कि इस तरह की आय असमानता लाखों लोगों को दयनीय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इन आँकडों को देखने के बाद भी कई नेता ऐसे हैं जो अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए और अधिक नव उदारवाद (Neo liberalism) की आवश्यकता है। वहीं आर्थिक विकास की प्रणाली साझा करने तथा उत्पादन और स्वामित्व के ढ़ाँचे को बदलने में अधिकांश देशों में कोई प्रतिबद्धता नहीं है।

इस तरह की असमानता और ज्यादा बढ़ सकती है, यदि हम उन वृहद आर्थिक नीतियों का अनुसरण करते रहें जो सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन का समर्थन नहीं करती है।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में विश्व के 26 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति दुनिया के आधी आबादी (लगभग 3.8 अरब लोगों) की संपत्ति के बराबर है। साथ ही दुनिया भर के अरबपतियों की संपत्ति में पिछले साल 12 प्रतिशत अर्थात 2.5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। वहीं दुनियाभर में मौजूद गरीब लोगों की 3.8 बिलियन आबादी की संपत्ति में 11 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। इस प्रकार गरीबों की आय में प्रत्येक दिन 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट देखी गई।

भारत के संदर्भ में ऑक्सफेम इंटरनेशनल ने कहा है कि यह ''नैतिक रूप से क्रूर'' है जहाँ भारत में गरीब लोग दो वक्त की रोटी और बच्चों की दवाओं के लिए जूझ रहे हैं- वहीं कुछ अमीरों की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा यदि 1 प्रतिशत अमीर और देश के अन्य लोगों की संपत्ति में यह अंतर बढ़ता गया तो इससे देश की सामाजिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी।

भारत के संदर्भ में रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु-

आर्थिक असमानता: भारत की शीर्ष 10 प्रतिशत आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 77.7 प्रतिशत हिस्सा है। इनमें से भी सिर्फ एक प्रतिशत आबादी के पास ही देश की कुल संपत्ति का 51.33 प्रतिशत हिस्सा है। भारत की 60 प्रतिशत आबादी के पास देश की सिर्फ 4.8 प्रतिशत संपत्ति है तथा देश के शीर्ष 9 अमीरों की संपत्ति 50 प्रतिशत गरीब आबादी की संपत्ति के बराबर है।

भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 2018 में प्रतिदिन 2,200 करोड़ रुपये का इज़ाफा हुआ है। इसी दौरान देश के शीर्ष एक प्रतिशत अमीरों की संपत्ति में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि 50 प्रतिशत गरीब आबादी की संपत्ति में महज 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल देश में 18 व्यक्ति नए अरबपति बने। इसी के साथ भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 119 हो गयी है। उनकी संपत्ति पहली बार बढ़कर 400 अरब डॉलर (28 लाख करोड़) को पार कर गई।

लिंग असमानता: भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, साथ ही देश के 119 अरबपतियों में केवल 9 महिलाएँ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक असमानता से सबसे ज्यादा महिलाएँ प्रभावित हो रही हैं। ऑक्सफेम रिपोर्ट के अनुसार भारत की महिलाएँ घर और बच्चों की देखभाल संबंधी बिना भुगतान वाले जो काम करती हैं उसका मूल्य देश की जीडीपी के 3.1% के बराबर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरी इलाकों में- महिलाएँ प्रतिदिन 312 मिनट ऐसे कार्यों में लगी हैं जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं मिलता है और ग्रामीण महिलाएँ प्रतिदिन 291 मिनट ऐसे कार्यों में लगी हैं जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं मिलता है। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में पुरुष केवल 29 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 32 मिनट प्रतिदिन बिना भुगतान वाले कार्यों में लगे रहते हैं।

- रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला और पुरुषों के वेतन में 34% का अंतर है, इसके अलावा धर्म, जाति, वर्ग, उम्र और लिंग जैसे कारक भी महिलाओं के प्रति असमानता के लिए जिम्मेदार हैं।
- ऑक्सफेम की इस रिपोर्ट में ग्लोबल जेंडर

गैप इंडेक्स 2018 में भारत की 108वीं रैंकिंग का भी जिक्र किया गया है। वर्ष 2006 के मुकाबले इसमें सिर्फ 10 पायदान की कमी आयी है। इस संदर्भ में अभी भी भारत अपने पड़ोसी देश चीन और बांग्लादेश से पीछे हैं।

- ऑक्सफेम की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की महिलाएँ साल भर में 710 लाख करोड़ रुपये (10 लाख करोड़ डॉलर) के मेहनताने के बराबर, ऐसे काम करती हैं जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान प्राप्त नहीं होता है।

सार्वजनिक व्ययः ऑक्सफेम के अनुसार वर्ष 2018 से 2022 के दौरान भारत में रोजाना 70 नए करोड़पति बनेंगे। ऑक्सफेम इंडिया के कार्यकारी अधिकारी के अनुसार सरकारें स्वास्थ्य, सेवा और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं का वित्तपोषण कम करके असमानता को बढ़ा रही हैं। वहीं दूसरी ओर कंपनियों और अमीरों पर कम कर लगा रही हैं साथ ही साथ कर चोरी को रोकने में नाकाम रही हैं।

स्वास्थ्य देखभालः भारत में सरकारों की अनदेखी के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में गिरावट आयी है। इसी का लाभ उठाते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर ने अपना दबदबा बढ़ाया है। उच्चतम गुणवत्ता वाली निजी चिकित्सा देखभाल केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास भुगतान करने के लिए पैसा है। देश चिकित्सा हब के रूप में विकसित हो रहा है और दुनिया में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य देखभाल उन लोगों के लिए उपलब्ध हैं जो इसके लिए सक्षम हैं। वहीं वर्तमान समय में स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च का स्तर विश्व में कम है। भारत सहित दक्षिण एशिया में स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की लोगों तक पहुँच की तुलना में खराब गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं से लोगों की अधिक मृत्यु होती है। सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना में 80 प्रतिशत भुगतान निजी प्रदाताओं को जाता है।

शीघ्र मृत्युः भारत में अमीर परिवारों के बच्चों की तुलना में गरीब परिवारों के बच्चों की मृत्यु दर उनके पहले जन्म दिवस में तीन गुणा ज्यादा है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मरने की दर में हाल के वर्षों में लगभग सभी देशों में गिरावट आयी है। गरीब लोगों में मुख्यतः लड़कियों और महिलाओं पर असमानता का प्रभाव दूसरों की तुलना में अधिक पड़ता है।

शिक्षा क्षेत्र में निजीकरणः स्वास्थ्य सेवा की तरह ही, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण भी एक बड़ी समस्या है। इन दिनों शिक्षा क्षेत्र में निजीकरण का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है आए दिन निजी शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं। परिणामस्वरूप सरकारी और गैर सरकारी सभी प्रकार के संस्थानों की फीस में तीव्र वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके कारण देश का एक बहुत बड़ा तबका धीरे-धीरे शिक्षा तथा उच्च शिक्षा से दूर होता जा रहा है।

आय पर करः रिपोर्ट के अनुसार सरकार को असमानता में कमी लाने के लिए अमीरों से अधिक धन जुटाने के प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। उदाहरण के लिए सबसे अमीरों पर उनकी संपत्ति का सिर्फ 0.5% अतिरिक्त कर लगाने से जो धनराशि प्राप्त होगी, उससे लगभग 262 मिलियन (स्कूलों से बाहर) बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी जिससे 3.3 मिलियन लोगों की जान बचायी जा सकेगी।

भारत में बढ़ती आय असमानता के कारण

भारत में विभिन्न कारणों से आय के वितरण में असमानता बढ़ी है। कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

- **बेरोजगारीः** भारत में एक बड़ी जनसंख्या के आय में कमी का मुख्य कारण बढ़ती बेरोजगारी, अल्प रोजगार सृजन तथा श्रम की उत्पादकता में कमी है। श्रम उत्पादकता में कमी का तात्पर्य आर्थिक विकास की कम दर से है जो लोगों में बड़े पैमाने पर गरीबी और असमानता का मुख्य कारण है। वास्तव में असमानता, गरीबी और बेरोजगारी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या यू कहें कि एक-दूसरे के पूरक हैं। चूंकि नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया के माध्यम से पर्याप्त रोजगार सृजन नहीं किया जा सका है, इसलिए अधिकांश लोगों की आय स्तर में वृद्धि नहीं हो पायी है।
- **कर चोरीः** भारत में व्यक्तिगत आयकर दरें बहुत अधिक हैं। उच्च कर की दर कर चोरी को बढ़ावा देती है और एक समानान्तर अर्थव्यवस्था को जन्म देती है। भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था आधिकारिक अर्थव्यवस्था की तरह मजबूत है। आय और धन के वितरण में व्याप्त असमानता के लिए कर की उच्च दरें जिम्मेदार हैं। कर चोरी के कारण आय अनुचित तरीके से कुछ लोगों के हाथों में संकेन्द्रित हो रही हैं।
- **प्रतिगामी करः** अप्रत्यक्ष कर से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है लेकिन अप्रत्यक्ष करें प्राकृतिक रूप से प्रतिगामी होती हैं। ऐसे करों पर सरकार की बढ़ती निर्भरता ने भी अधिक से अधिक आर्थिक असमानता उत्पन्न की है।
- **नई कृषि रणनीतिः** इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में नई कृषि रणनीति ने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया है, साथ ही कृषि उत्पादकता में भी व्यापक वृद्धि हुई है लेकिन इस उच्च उत्पादकता का लाभ मुख्य रूप से धनी किसानों और भूस्वामियों को ही मिला है। इस दौरान भूमिहीन श्रमिकों और सीमान्त किसानों की आर्थिक स्थिति में काफी गिरावट देखी गई है। भारत में अधिकांश किसानों को उच्च कृषि उत्पादकता का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में आय के वितरण में असमानता बढ़ी है।
- **मुद्रास्फीतिः** भारत में असमानता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति के दौरान कुल लाभ कमाने वालों को फायदा होता है तथा अधिकांश मजदूरों को हानि होती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति अधिक असमानता के लिए जिम्मेदार है। मुद्रास्फीति के दौरान कीमतों में वृद्धि देखी जाती है लेकिन वास्तविक मूल्य (मुद्रा के मूल्य में) में गिरावट होती है, इस प्रकार मुद्रास्फीति से गरीबों के जीवनस्तर में गिरावट आती है क्योंकि क्रय शक्ति में गिरावट होती है।
- **प्रचलित असंगठित अर्थव्यवस्थाः** इसमें कोई संदेह नहीं है कि कीमतों में वृद्धि के कारण असमानता में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति के दौरान संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मजदूरी अधिक मिलती है जो आंशिक रूप से मूल्य वृद्धि के प्रभाव को और बढ़ावा देता है लेकिन असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के वेतन में वृद्धि नहीं होती है। इससे उनके वास्तविक आय में गिरावट होती है। इस तरह अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख क्षेत्रों- संगठित और असंगठित के बीच आय के वितरण में असमानता बढ़ती है।

असमानता का प्रभाव

- भारत में 1990 के बाद प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6 गुना वृद्धि हुई है। 1990 में जहाँ प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 1, 130 डॉलर थी, वहीं वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 6,572 डॉलर तक पहुँच गया है। 1.3 बिलियन से

अधिक आबादी के जीवन प्रत्याशा, शिशु और मातृ मृत्यु दर, स्वच्छता, स्कूल शिक्षा के औसत वर्षों तथा महिला साक्षरता में व्यापक वृद्धि और सुधार हुआ है। बढ़ती आर्थिक वृद्धि ने लोगों के रहन-सहन के स्तर में काफी सुधार किया है लेकिन इस सुधार का प्रभाव या फैलाव समान रूप में नहीं हुआ है।

- उच्च आय, असमानता तथा वर्ग विभाजन को रोकती है, इसके अलावा यह गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेष रूप से मध्यम वर्ग की आय में वृद्धि लोकतांत्रिक संरचनाओं और संस्कृति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन भारत में बढ़ती आय असमानता से मध्यम वर्ग के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है।
- वर्ष 2011 में मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति क्षमता प्रतिदिन 10-20 डॉलर थी, तब भी भारत ने मध्यम वर्ग को अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया। जबकि मलेशिया, इंडोनेशिया और चीन ने अपने मध्यम वर्ग को अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए कई रियायतें दीं।
- कुछ धनी लोग अभिनव योजनाओं का उपयोग करके कर देने से बच जाते हैं और भारत की राजनीतिक प्रणाली को भी प्रभावित करते हैं। इस व्यवस्था से सरकार राजस्व प्राप्त करने से वंचित रह जाती है। वो राजस्व जो आय असमानता, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों में सुधार के लिए आवश्यक होता है, वह करों के माध्यम से सरकार तक नहीं पहुँच पाता है। सार्वजनिक सेवाओं में भारत की स्थिति पहले से ही दयनीय है। वर्तमान में जीडीपी का 2.7% धन शिक्षा और मात्र 1.2% ही स्वास्थ्य पर खर्च हो पाता है, जबकि चीन में स्वास्थ्य और शिक्षा पर आवंटित धन उसके जीडीपी का क्रमशः 4.3 और 5.4% है।
- आय असमानता अनेक प्रकार के सामाजिक बुराई को जन्म देती हैं, जैसे विभिन्न वर्गो में संघर्ष, सामाजिक सामंजस्य में कमी और हिंसा में वृद्धि आदि। आय असमानता न केवल गरीबों को प्रभावित करती है बल्कि अन्य वर्गों के प्रति अपराध को बढ़ावा देती है।
- विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी लिंग असमानता सूचकांक (Gender Gab Index) में भारत का स्थान 149 देशों में 108 है। स्कूली शिक्षा, पूंजी, श्रमबल की भागीदारी तथा सकल राष्ट्रीय आय के मामले में भारतीय महिलाएँ पुरुषों की तुलना में काफी पीछे हैं। असमानता का यह संचयी प्रभाव उनके खराब स्थिति के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है।

आगे की राह

पिछले तीन दशकों में शानदार आर्थिक विकास ने भारत को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1990 और 2016 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में 7% की दर से वृद्धि हुई है। भारत वर्तमान में चीन और अमेरिका के बाद क्रय शक्ति क्षमता के मामले में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है लेकिन भारत में इस बढ़ती अर्थव्यवस्था के मुख्य लाभ उच्च श्रेणी के ही लोगों तक सीमित रही। साथ ही अन्य पिछड़े वर्गों, एसटी/एससी की तुलना में गरीबी की दर में कमी उच्च वर्गों में ही देखी गई है। धन या आय के संकेन्द्रण को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्यतः आर्थिक विकास दर, जनसांख्यिकीय रुझान, बचत दर, वैश्वीकरण, विरासत और सरकार की नीतियाँ शामिल हैं। सरकारों को कर चोरी से निपटने, उचित कराधान को लागू करने तथा सार्वजनिक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। साथ ही निगमों के लाभ तथा धनी व्यक्तियों को भी प्रभावी कर के दायरे में शामिल करना चाहिए।

महिलाओं और लड़कियों के मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अलग से नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है। साथ ही सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण को कम से कम किया जाना चाहिए। इसके लिए महिलाओं के पारंपरिक कार्य (घर और परिवार की देखभाल) को समाप्त किया जाना चाहिए, साथ ही इसके द्वारा किये गये कार्यों के लिए भुगतान भी किया जाना चाहिए।

भारत की विशाल जनसंख्या के जीवन-स्तर में सुधार के लिए आर्थिक विकास जरूरी है। आर्थिक विकास के पड़ने वाले समान प्रभावों, जैसे आय वितरण द्वारा मापा जाता है। लोगों के दीर्घकालिक विकास के रुझान और सामाजिक आर्थिक कल्याण का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत विश्व के अमीर देशों में से एक है, फिर भी आय के अत्यधिक असमान वितरण के परिणामस्वरूप औसतन भारतीय अपेक्षाकृत गरीब हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।
- समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न मुद्दे।
- उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिकी नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।

■

6. भारतीय विमानन क्षेत्र और विजन 2040

चर्चा का कारण

हाल ही में केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने हाल ही में वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन, 2019 में विजन 2040 दस्तावेज जारी किया। वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा फिक्की के साथ मिलकर यह आयोजन करवाया गया। वर्ष 2019 के लिए इसका विषय "फ्लाइंग फॉर ऑल" रखा गया।

ग्लोबल एविएशन समिट एक व्यापक मंच है, जो विमानन क्षेत्र में निर्माताओं, निवेशकों, विक्रेताओं, अंतरिक्ष उद्योग, बैंकिंग संस्थानों तथा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के वैश्विक नेताओं को जोड़कर वैश्विक उड्डयन तंत्र को सफल बनाने के लिए कार्य करता है।

विजन-2040 के मुख्य बिंदु

- भारत में नागर विमानन उद्योग के विजन 2040 दस्तावेज के मुताबिक, आने वाले समय में देश के पास अपना किराये पर विमान लेने का उद्योग होगा।
- वर्ष 2040 तक भारत द्वारा कर संरचना और पट्टे पर विमान देने की प्रक्रिया वैश्विक स्तर के बराबर होगी या फिर उससे भी ज्यादा

लुभावनी होगी।

- दस्तावेज में बताया गया है कि 2040 में हवाई यात्रियों की संख्या छह गुना बढ़कर करीब 1.1 अरब होने का अनुमान है।
- वहीं 2040 में ऐसे करीब 190-200 हवाई अड्डे हो सकते हैं, जिनमें परिचालन हो रहा होगा।
- यह विजन ड्रोन (Drones), एयर टैक्सी (Air Taxis), वोलोकॉप्टर (Volocopters), नए जेट (New Jets) और अल्ट्रा-लाइट एरियल इलेक्ट्रिक वाहनों (Ultra-light aerial electric vehicles) आदि की नवीनतम अवधारणा को विकसित करने का अवसर देगा।
- उल्लेखनीय है कि दूर से संचालित विमान (आरपीए), जिसे आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है, विमानन में अगली बड़ी क्रांति है। सरकार ड्रोन की विशाल क्षमता को स्वीकार कर चुकी है और भारत को दुनिया के ड्रोन हब के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है।
- भारत में विमानन रखरखाव, मरम्मत और ओवर ऑल (MRO) उद्योग का वर्तमान बाजार आकार लगभग 700-800 मिलियन डॉलर आंका गया है, जो 2020 तक 1.2 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- अगले दो दशकों में, वैश्विक वाणिज्यिक विमान बेड़े का आकार लगभग 4% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की उम्मीद है। वहीं 2018 से 2040 के बीच वैश्विक स्तर पर लगभग 45,000 नए विमान वितरित किए जाने की संभावना है।
- वर्तमान समय में भारत में 1,000 से ज्यादा विमानों की डिलिवरी लंबित है। बेड़ों में शामिल वाणिज्यिक विमानों की संख्या 2018 में 622 से बढ़कर 2040 में 2,359 हो सकती है।
- वित्त वर्ष 2017-18 में भारत में हवाई यात्रियों की संख्या 18.7 करोड़ थी, जिन्होंने भारत से बाहर या फिर बाहर से भारत अथवा भारत के अंदर यात्रा की। वहीं भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण 125 से अधिक हवाईअड्डों का परिचालन करता है। उल्लेखनीय है कि भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा विमानन बाजार है।

उड़ान

21 वीं सदी को कनेक्टिविटी का युग कहा जाता है, जहाँ भौतिक दूरियाँ समाप्त होती जा रही है। तकनीकी नवाचारों और तेज गति वाले संचार के चलते वैश्विक गांव की अवधारणा आज एक वास्तविकता बन गई है। इस वास्तविकता में महत्वपूर्ण भूमिका हवाई संपर्क की रही है। हर देश की सरकार इस महत्व को भली-भाँति समझ रही है। भारत ने इस दिशा में कदम उठाते हुए उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना की शुरूआत की, ताकि हवाई यात्रा आम लोगों के लिए भी सहज हो सके। उड़ान देश में क्षेत्रीय विमानन बाजार को विकसित करने की दिशा में एक नवोन्मेषी कदम है। यह नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (National Civil Aviation Policy - NCAP) का भी एक महत्त्वपूर्ण घटक है।

गौरतलब है कि यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है जो क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं लाभप्रद उड़ानों को बढ़ावा देने पर बल देती है ताकि आम आदमी वहनीय कीमत पर हवाई यात्रा कर सके। इस योजना के तहत मौजूदा हवाई-पट्टियों एवं हवाई अड्डों के पुनरुत्थान के माध्यम से देश के उन हवाई अड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान किया जाएगा जिनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इस दिशा में उलेखनीय कार्य गत वर्षो में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया गया है। यह मंत्रालय नागरिक उड्डयन के क्रमिक विकास और विस्तार के लिये योजनाओं के विकास और विनियमन हेतु राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण के लिये जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है। इसका कार्य हवाई अड्डे की सुविधाओं, हवाई यातायात सेवाओं और यात्रियों तथा कार्गो (माल की गाड़ी) की देख-रेख करना है।

जहाँ तक नागरिक उड्डयन क्षेत्र में भारत के लाभ की बात है तो 2014 में भारत की जीडीपी में इसका 8.9 बिलियन डॉलर का योगदान था। वहीं भारत का घरेलू हवाई यातायात दक्षिण एशिया में कुल एयरलाइन यातायात का 69 प्रतिशत है। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, 2018 में भारत को हवाई परिवहन बुनियादी ढांचे में दुनिया के 140 देशों में से 53 वें स्थान पर रखा गया है।

स्मरणीय हो कि भारत में 450 से अधिक हवाई अड्डे और हवाई क्षेत्र हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) का लक्ष्य 2020 तक देश भर में लगभग 250 हवाई अड्डों का निर्माण करना है।

विजन 2040 के फायदे

- इस योजना के द्वारा नागरिकों को वायुयात्रा की कनेक्टिविटी मिलेगी।
- यह सभी हितधारकों के लिए एक स्पर्द्धा की स्थिति प्रदान करेगा।
- रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
- क्षेत्रीय हवाई संपर्क और बाजार का विस्तार करने में जहाँ केंद्र सक्षम होगा वहीं राज्य सरकार को दूरदराज क्षेत्रों के विकास, व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में लाभ प्राप्त होगा।
- वायुयात्रा कनेक्टिविटी से भविष्य में दूर-दराज के इलाकों में चिकित्सीय सेवाएँ बेहतर होने की उम्मीद है।
- हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को सुनिश्चित करने, आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में विकास कर महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने एवं इनमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।
- यह विजन देश के भीतरी प्रदेशों में पर्यटन और रोजगार निर्माण को प्रमुख गति देने का काम करेगी। हैलीकॉप्टरों और छोटे विमानों को लाने से दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों, द्वीपों और देश के अन्य क्षेत्रों में यात्रा में लगने वाला समय काफी घट जाएगा। उल्लेखनीय है कि हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए वायु यातायात का ही सहारा लिया जाता है, क्योंकि यहां रेल या सड़क मार्गों का अभाव है। वायु परिवहन द्वारा डाक सामग्री भी तीव्रता से गंतव्य तक पहुंचायी जा सकती है।
- हमारे देश में 80% विमान यात्रा मेट्रो शहरों के बीच ही होती है। इसमें भी सबसे ज्यादा यात्री दिल्ली-मुंबई के बीच यात्रा करते हैं। ऐसे में इस प्रकार का उड्डयन तंत्र विकसित करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
- यह भविष्य के हवाई अड्डों (Airports), बचाव और सुरक्षा (Safety & Security), वित्तपोषण और पट्टे (financing & leasing) हेतु सतत विकास (Sustainable Development) एवं सामानों जैसे- कार्गो (cargo), रसद (Logistics) आदि को सुगमता से संचालित करने में सक्षम होगी।

चुनौतियाँ

- यद्यपि 1947 के बाद से देश में हवाई यातायात के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की गयी है फिर भी स्थिति को पूर्णतः संतोषप्रद नहीं माना जा सकता (विशेषतः विकसित

देशों के साथ तुलना करने पर)।

- कई बड़े शहरों में अभी भी वायु सेवाएं नहीं पहुंच सकी हैं। विमान में यात्रा करने वालों में बड़े उद्योगपतियों तथा नौकरशाहों का मात्र छोटा-सा समूह ही शामिल है। हालाँकि सरकार द्वारा उड़ान पहल की घोषणा की जा चुकी है बावजूद उसके उल्लेखनीय सफलता हासिल नही हुई है।
- उन चुनौतियों की पहचान व उसका समाधान नहीं किया गया है जिसकी वजह से वायुयात्रा कनेक्टिविटी में रूकावट आती है।
- भारत की वायुयात्रा के विस्तार की योजनाओं में सबसे बड़ी बाधा उच्च ईंधन तथा विमानों के मूल्य के सम्बंध में विदेशी स्रोतों पर निर्भरता होना है। ज्ञातव्य है कि एयर इंडिया को कई विदेशी कंपनियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विमानपत्तन आधार संरचना के लिए भारी निवेश, व्यापक सेवा खर्च, पुनर्स्थापन तथा पुनर्नवीकरण की आवश्यकता होती है।
- भारत में इस क्षेत्र में मांग बढ़ने के बाद हवाई अड्डों का निर्माण के कार्य किया जाता है, जो विमानन उद्योग के विकास में देरी का एक मुख्य कारण है।
- हवाई अड्डों की निम्न स्थिति समस्या को विकराल बनाती है इसके साथ वायु नेविगेशन प्रबंधन, वायु यातायात नियंत्रण, एयरलाइन स्लॉट की प्रतीक्षा करना आदि भी समस्याए पैदा करती हैं।
- एक अन्य मुख्य चुनौती भारतीय पायलटों की कमी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में, भारत में विदेशी पायलटों की औसत संख्या 300 से अधिक रही है जिनको एयरलाइंस द्वारा उनकी सेवा के लिए बड़ी रकम दी गई।
- उड़ान योजना की सफलता भी सिमित रही है इस योजना के तहत चयनित किए गए 134 हवाई अड्डों में अभी तक कार्य चल रहा हैं।
- अन्य परिवहन प्रणालियों जैसे रेलवे, बसों आदि की तुलना में विमानन क्षेत्र पर भारी कर हैं।
- एक बार जब एयरलाइंस टिकटों की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो लोग रेलवे और परिवहन के अन्य साधनों पर निर्भर हो जाते हैं जिससे वित्तीय दबाव विमानन क्षेत्र पर बढ़ जाता है।
- ग्लोबल एविएशन सेक्टर, वर्तमान में, अच्छा नहीं कर पा रहा है, इसका एक और कारण भारत में रखरखाव और मरम्मत संगठनों (एमआरओ) की अनुपस्थिति का होना है। उल्लेखनीय है कि इंडियन एयरलाइंस अपने बेड़े के रखरखाव के लिए विदेशी संगठनों पर निर्भर रहती है, जो रखरखाव के लागत को बढ़ाती है।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारतीय विमानन में 2035 तक 1.0 से 1.2 मिलियन कामगारों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि अगले 10 वर्षों में लगभग 0.25 मिलियन लोगों को कुशल होने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना सरकार के समक्ष एक चुनौती है।

उपाय

वायुयान यातायात का तीव्रतम साधन है। भारत जैसे विशाल भौगोलिक भूभाग तथा व्यापक जलवायविक व भू-प्रादेशिक विविधता वाले देशों में वायु परिवहन का महत्व काफी बढ़ जाता है चूँकि भारत के प्रमुख वाणिज्यिक एवं औद्योगिक केंद्र एक-दूसरे से अत्यधिक दूरी पर स्थित हैं इसलिए वायु परिवहन आंतरिक सम्पर्क के अतिरिक्त, दूसरे देशों के साथ सम्पर्क जोड़ने की दृष्टि से भी परमावश्यक हो जाता है। ऐसे कई कारक हैं, जो भारत को वायु यातायात के विकास हेतु एक अनुकूल अवस्थिति बनाते हैं।

भारत का मौसम वर्ष के अधिकांश भाग में साफ रहता है जिससे विस्तृत मैदानी भाग वायुयान उतरने के लिए उपयुक्त समतल भूमि उपलब्ध कराते हैं।

- विकसित देशों से सब लेते हुए मांग की प्रत्याशा में हवाई अड्डों का निर्माण किया जाए।
- शहरों में एक से अधिक हवाई अड्डे यातायात को आसान बनाने में मदद करेंगे। उदाहरण के तौर पर लंदन में इस तरह की पहली की जा चुकी है जहाँ कई हवाई अड्डे संचालित हैं।
- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना को वैकल्पिक अपेक्षित समर्थन दिया जाना चाहिए।
- उड्डयन कराधान के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। इससे उड्डयन क्षेत्र में लंबित कार्य सही समय पर हो सकेगा।
- रखरखाव और मरम्मत संगठन (एमआरओ) भारत में शुरू किया जाना चाहिए।
- एयर ट्रैफिक कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम के कुशल कामकाज के लिए और एयरक्राफ्ट में सुरक्षा के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए।
- एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) सहित सभी पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाया जाना चाहिए।
- समयबद्ध तरीके से UDAN पहल के तहत नियोजित हवाई अड्डों को पूरा किया जाए साथ वित्तीय और बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया जाए।
- मेट्रो हवाई अड्डों पर विमान पार्किंग के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में वृद्धि की जाए। साथ ही विमानन सुरक्षा को प्राथमिकता दिया जाए।

आगे की राह

भारतीय विमानन का विजन 2040 'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) के सपने को साकार करने में काफी कारगर हो सकती है। इस मार्ग में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार निजी कंपनियों, उद्योग और विमानन सेवा से जुड़े अन्य हितधारकों को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। भारत को दुनिया भर में विमानन क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के साथ मिलकर तकनीक हस्तांतरण पर जोर देना होगा, इसके अलावा भी सही नीतियों और निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, भारत न केवल बैठक विजन 2040 लक्ष्यों को पार कर सकता है बल्कि दुनिया को पर्यटन व निवेश क्षेत्र में अपनी ओर आकर्षित भी कर सकता है।

इस क्षेत्र को अच्छी गति से बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर प्रयास करना होगा। इसके अलावा बुनियादी ढ़ाँचे के निर्माण में गति बढ़ानी होगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- बुनियादी ढांचाः ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

■

7. सैन्य आधुनिकीकरण : चुनौतियाँ और संभावनाएँ

चर्चा का कारण

हाल ही में जनरल विपिन रावत ने कहा है कि सैन्य साजो-सामान खरीदने के लिए भारतीय सेना में से तकरीबन 1.5 लाख सैनिकों की छटनी की जा सकती है। इससे 5000 से 7000 करोड़ रुपये की बचत की जा सकेगी, जिसका इस्तेमाल सैन्य आधुनिकीकरण और अत्याधुनिक हथियार खरीदने में किया जायेगा।

परिचय

एक विकासशील देश जो अपने नागरिकों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, गरीबी जैसे महत्वपूर्ण आयामों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है, उस देश की प्राथमिकता में सुरक्षा संभवतः अंतिम आवश्यकता सूची में होता है। फिर भी कोई सरकार जो इस तरह के कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है, जो वर्तमान समय में बदलते सामरिक समीकरण तथा भौतिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा खतरों की अनदेखी नहीं कर सकती है। इस तरह के खतरे भारत जैसे देश में सामान्य से कहीं ज्यादा हैं उदाहरण के लिए चीन व पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती है। भारत को पड़ोसी देशों से आंतरिक तथा बाहरी दोनों खतरों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के पास एक मजबूत सैन्य संगठन है। किन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की कमी, बदलते सामरिक दृष्टिकोण के मद्देनजर पर्याप्त आधुनिकीकरण का अभाव तथा कम रक्षा बजट इसे अपने इष्टतम् लाभ प्राप्त करने से रोकता है।

आवश्यकता क्यों?

भारत में सैन्य आधुनिकीकरण की आवश्यकता को निम्न बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

- 2018 के बजट में रक्षा विभाग को पिछले दो दशकों में कुल बजट का 12.22 फीसद का सबसे छोटा हिस्सा मिला। यह उम्मीद के विपरीत रहा, क्योंकि भारत का रक्षा बजट अब अमेरिका, चीन और ब्रिटेन के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा बजट है।
- गौरतलब है कि 1988 में रक्षा पर खर्च किए गए जीडीपी कुल 3.18 फीसदी से बाद के वर्षों में खर्च में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जो अब वैश्विक स्तर पर 2-2.5 फीसद के मुकाबले भारत का सैन्य खर्च लगभग 1.6 फीसद है। जबकि चीन रक्षा पर 2.1 फीसद खर्च कर रहा है, जबकि पाकिस्तान अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2.36 फीसदी रक्षा के लिए आवंटित कर रहा है।
- सेना के बजट को इसलिए भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कुल रक्षा बजट का 83 फीसदी सैन्य कर्मियों के वेतन और भत्ते में खर्च होता है। ऐसी स्थिति में आधुनिकीकरण और पूंजीगत व्यय के लिए बहुत कम बजट बचता है। पिछले कुछ वर्षो में भारत के रक्षा संबंध बजट में आवंटित बजट का बहुत कम भाग खर्च हो पाया है, लगभग 7000 करोड़ रुपये का उपयोग ही नहीं हुआ है।
- आर्मी के पूर्व वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल शरथ चंद ने रक्षा मामलों पर संसद की समिति को बताया कि भारतीय सेना के पास मौजूदा 68 फीसदी सैन्य उपकरण बेहद पुराने हैं और महज 8 फीसदी उपकरण ही अत्याधुनिक हैं साथ ही बताया कि सैन्य आधुनिकीकरण के लिए 21,338 करोड़ रुपये का आवंटन भी अपर्याप्त है।
- अगर सैन्यकर्मियों की संख्या में कमी की जाती है तो इतनी बड़ी तादाद में नौकरियों को समाप्त करने से अतिरिक्त राजस्व की बचत होगी, जिसका इस्तेमाल हथियार खरीदने में किया जा सकता है। साथ ही हथियारों के रख-रखाव पर भी ज्यादा खर्च किया जा सकेगा।
- सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में जो कदम तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है, वह काफी पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। आज तकनीक और प्रौद्योगिकी के जमाने में दुनिया के तमाम देश जिस तरह के अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित हो रहे हैं, उनके मुकाबले भारत अभी भी काफी पीछे है।
- भारतीय फौज की गिनती दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना के तौर पर होती है, लेकिन वर्तमान समय में संख्याबल के बजाय अत्याधुनिक हथियारों की अहमियत ज्यादा है क्योंकि भविष्य में जिस तरह के युद्धों की परिकल्पना हो रही है, उनमें सैनिकों से ज्यादा भूमिका हथियारों की होगी।
- सेना को अत्याधुनिक बनाने की जरूरत इसलिए भी है कि हमारे दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन परमाणु शक्ति संपन्न हैं।

सरकारी प्रयास

सेना के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-

- डोकलाम में चीन और भारत की सेनाओं के बीच गतिरोध के परिणामस्वरूप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम उठाये गए।
- तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र और डोकलाम ट्राई-जंक्शन के पास चीन द्वारा आधारभूत ढाँचे को मजबूत करने पर भारत सरकार ने करीब 3600 किलोमीटर लंबे भारत-चीन सीमा से लगे क्षेत्र में सड़कों एवं पुलों के निर्माण के साथ ही महत्वपूर्ण सैन्य हवाई ठिकानों को मजबूत करने और निगरानी बढ़ाने जैसे लंबित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी दिखाई है।
- डोकलाम गतिरोध के बाद एक और महत्वपूर्ण कदम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की अध्यक्षता में एक संस्थागत तंत्र ''डिफेंस प्लानिंग कमेटी'' (डीपीसी) का गठन किया जाना है। डीपीसी को देश के समक्ष उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए एक ''कार्ययोजना'' तैयार करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति एवं सिद्धांत का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।
- यद्यपि 2018 की सबसे प्रमुख पहल भारतीय सेना में व्यापक सुधार का निर्णय था, जिसका उद्देश्य युद्ध लड़ने की क्षमताओं को बढ़ाना तथा चीन एवं पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर उत्पन्न संभावित चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटना है।
- वर्ष 2018 के दौरान सेना ने अपनी इंफैंट्री के आधुनिकीकरण के लिए एक बड़ी खरीद को अंतिम रूप दिया था। इसके तहत बड़ी मात्रा में हल्की मशीन गन, बैटल कारबाइन और असाल्ट राइफल की खरीद करीब 40 हजार करोड़ रुपये की लागत से की जा रही है।
- पिछले वर्ष सेना ने M-777 होवित्जर और

K-9 वज्र की खरीद की। उल्लेखनीय है कि यह बोफोर्स तोप खरीदे जाने के बाद पहली तोप खरीद थी।

- समुद्री मोर्चे पर नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपने युद्धपोतों की मौजूदगी को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया है। इसके साथ ही वर्ष 2018 के दौरान 35 बहुपक्षीय और द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किये गये।
- नौसेना के आधुनिकीकरण अभियान के तहत सरकार ने 56 नये पोतों को शामिल करने की मंजूरी दी है। यह उन 32 पोतों के अलावा हैं जिनका निर्माण किया जा रहा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा, ''2050 तक हमारे पास 200 पोत, 500 विमान होंगे जिससे हम एक विश्व स्तरीय नौसेना होंगे।''
- वर्तमान में नौसेना के पास 130 पोत हैं। परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को सेवा में शामिल किया गया। भारत और अमेरिका ने एक प्रमुख समझौता 'कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी सिक्युरिटी एग्रीमेंट' किया जो भारतीय सशस्त्र बलों को अमेरिका से महत्वपूर्ण सैन्य प्रौद्योगिकी हासिल करने तथा संचार तंत्र तक पहुँच बनाने में मदद करेगा।
- वायु सेना ने पाकिस्तान और चीन से एकसाथ निपटने की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में अपनी तैयारियों का जायजा लेने के लिए गत अप्रैल में अखिल भारत सैन्य अभ्यास किया था। सरकार ने इसके साथ ही रूस से S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली खरीद के लिए 40 हजार करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर किये थे।
- वायु सेना ने 114 लड़ाकू विमान खरीद की प्रक्रिया शुरू की है जो कि उसके आधुनिकीकरण के लिए लंबे समय से लंबित अभियान का हिस्सा रहा है।

आलोचना

- सैन्य आधुनिकीकरण के लिए सेना के संख्याबल में कटौती की जाय, यह पूरी तरह से अनुचित है क्योंकि भारत में जहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत और शिक्षा पर 3 प्रतिशत से कम खर्च होता है, वहाँ यह मान लेना कि सेना में कटौती से ही बड़ी रकम प्राप्त की जा सकती है यह समझ से परे है।
- पिछले 5 वर्षों में भारत में रोजगार सृजन लगभग नगण्य रहा है। ऐसे में इस तरह के कदम उठाने से बहुत से लोगों की नौकरी छिन जाएगी फिर जिनकी छँटनी होगी वो आगे क्या करेंगे, इसकी कोई रूपरेखा सरकार द्वारा नहीं बनायी गई है। नतीजा यह होगा कि सैनिकों में असंतोष बढ़ेगा।
- किसी भी सेना की कार्यशैली में बदलाव समय की माँग होती है। हालाँकि बदलाव होना चाहिए लेकिन सबसे पहले हमें आधुनिक हथियारों का आयात तथा विनिर्माण करना चाहिए। एक तरफ हम बदलाव तीव्र गति से नहीं कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सेना में छँटनी होने से राष्ट्रीय सुरक्षा को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- भारत में अधिकांश सैनिक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जिन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में छँटनी होने से उनके परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।
- उन्नत हथियार प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता में परिवर्तन यथा रोबोटिक्स, स्वायत्त प्रणाली और मानवीय बुनियादी ढाँचे में सुधार मानव शक्ति को कम करता है, किन्तु इस मामले में भी भारत विकसित देशों से काफी पीछे है।
- यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सेना पुनर्गठन में मानव संसाधन की पूँजी कमजोर न हो क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन को प्रशिक्षित करने में कई वर्ष लग जाते हैं तथा काफी धन भी व्यय होता है।

भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की चुनौतियाँ

थल सेना, नौसेना और वायु सेना तीनों की जरूरतें भले ही अलग-अलग हों मगर चुनौतियाँ और उनके सामने आ रही बाधाएँ लगभग एक जैसी ही हैं। कुछ चुनौतियाँ निम्न हैं-

थल सेना की चुनौतियाँ- पुराने पड़ चुके साजो-सामान एवं मानव संसाधन प्रबंधन बड़ी चुनौतियाँ हैं। सेना के मौजूदा 68 प्रतिशत साजो-सामान पुराने पड़ चुके हैं और ये युद्ध में इस्तेमाल के लायक नहीं रह गए हैं। चीन से सटी सीमा पर सड़कों और ढाँचागत सुविधाओं के लिए भी बजट की कमी आड़े आ रही है। रक्षा बजट इस समय देश की जीडीपी का 1.6 फीसदी है, जो 1962 के चीन युद्ध के बाद सबसे कम है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार सैन्य बजट जीडीपी का कम से कम 2.6 फीसदी होना चाहिए।

लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की कमी- बजट की कमी और रक्षा खरीद में सालों-साल देरी का ही नतीजा है कि आज सेना के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर की भारी कमी है। हालाँकि अमेरिका से 15 चिनूक और 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं, मगर ये पर्याप्त नहीं हैं।

साइबर कमांड की अनुपलब्धता- ध्यातव्य है कि आज के ज्यादातर हथियार और सैन्य उपकरण नेटवर्क केंद्रित हैं और इसमें हल्की सी चूक हमारी सैन्य प्रणाली को ठप्प कर सकती है। बेशक नए जमाने की इस जंग से निपटने के लिए साइबर कमांड और तकनीकी किलेबंदी की दिशा में काम चल रहा है, मगर यह चीन जैसे प्रतिद्वंद्वी की तुलना में बहुत पीछे है। सेनाओं के आधुनिकीकरण पर अमल की बात तो दूर इसकी शुरूआत भी नहीं हुई है।

मानव संसाधन- सातवाँ वेतन आयोग लागू होने और वन रैंक वन पेंशन के बाद यह दबाव बढ़ा कि मानव संसाधन का प्रबंधन कैसे किया जाए, वहीं दूसरी ओर सैन्य अफसरों और जवानों के बीच सामने आ रही समस्याएँ भी सेना के मानव संसाधन प्रबंधन की नई चुनौती हैं। सैनिकों में आत्महत्या के मामले भी कम नहीं हो रहे हैं। एक आँकड़े के मुताबिक 2016 में सेना के जेसीओ व समकक्ष रैंक के 100 सैन्यकर्मियों ने आत्महत्या की है। आधारभूत अवसंरचनाओं का अभाव तथा मोर्चे पर कठिन ड्यूटी सेना की मनोदशा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

वायु सेना के सामने चुनौतियाँ- नए दौर की जंग में दुश्मन पर धावा बोलकर उसे अचरज में डालने के लिहाज से ही नहीं, बल्कि जंग जीतने के लिए वायु सेना की भूमिका सबसे अहम हो गई है। अब युद्ध आमने-सामने सैनिकों की जंग नहीं रह गये हैं, बल्कि मिसाइल और लड़ाकू विमान की प्रहार क्षमता जंग जीतने का आधार बन गई है। अफगानिस्तान और इराक की जंग इसके नवीनतम उदाहरण हैं। हालाँकि भारत के लिए चीन और पाकिस्तान की दोहरे मोर्चे की चुनौती में भारतीय वायु सेना की भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मगर लड़ाकू विमानों की खरीद में देरी होने से वायु सेना को कई मोर्चों पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांस से बेहद आधुनिक परमाणु हमले की क्षमता वाले 36 रॉफेल जेट की खरीद में देरी इसका एक उदाहरण है। भारतीय वायु सेना के पास 44 स्क्वाड्रन होने चाहिए, मगर इस समय उसके पास करीब 32

बेड़े हैं जो अगले कुछ सालों में घटकर 28 रह सकते हैं। वायु सेना के एक दस्ते (Squadron) में 18 लड़ाकू जेट होते हैं। मिग-21, मिग-27 जैसे विमान काफी पुराने पड़ चुके हैं, जिन्हें रिटायर कर दिया जाना चाहिए था, मगर इनका और मिग-29 का अपग्रेडेशन कर वायु सेना अपना काम चला रही है।

स्वदेशी तेजस की हालत ये है कि इसकी उत्पादन दर काफी धीमी है इसके अलावा इंजन से लेकर ज्यादातर इसके पार्ट्स विदेशी हैं। ये कारगर तो हैं मगर जल्दी ही आउटडेटेड हो जाएंगे। चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वी आज पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैयार करने में लगे हैं, वहीं भारत में इनकी रफ्तार बेहद धीमी और चिंताजनक है।

नौसेना की चुनौतियाँ- भारतीय नौसेना की भी पराक्रम को लेकर दुनिया में अपनी खास पहचान है। मगर नौसेना भी युद्धपोतों, पनडुब्बी और विमानवाहक पोतों की कमी से जूझ रही है। नौसेना में नए युद्धपोत शामिल तो हो रहे हैं लेकिन उनकी रफ्तार इतनी तेज नहीं है। समुद्र में चीन की बढ़ती गतिविधियाँ खासकर दक्षिण चीन सागर में उसका अधिकार जमाना भारतीय नौसेना के लिए चुनौती से कम नहीं है।

आगे की राह

सरकार को सेना में बदलाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा समीक्षा का आयोजन करना चाहिए तथा सेना में विद्यमान चुनौतियों के समाधान के लिए एक योजना बनानी चाहिए जिसमें हथियारों की तकनीक के साथ-साथ बुनियादी ढाँचे को भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप फेर बदल किया जा सके।

सेना के पुनर्गठन के साथ सैनिकों की संख्या घटाने को लेकर शेतकर कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए इस पर अमल किये जाने की आवश्यकता है। रक्षा क्षेत्र की योजनाओं के निर्माण के लिए नये संस्थागत तंत्र के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में रक्षा योजना कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। सैन्य खरीद के लिए वित्तीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण किए जाने की आवश्यकता है।

रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन चैनल नीति के तहत प्रक्रियात्मक रियायतें दिए जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान समय में युद्ध परंपरागत न होकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस) साइबर युद्ध आदि का रूप ग्रहण कर रहा है। इसलिए सेना का आधुनिकीकरण अब समय की माँग है और भारत जैसे देश के लिए सेना का आधुनिकीकरण अति आवश्यक है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन-संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध।
- विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

सुभाष चन्द्र बोस : एक निडर देशभक्त

प्र. भारत की आजादी में सुभाष चन्द्र बोस के योगदान की चर्चा करते हुए उनके कार्यों की सम्यक् विवेचना कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- सुभाष चन्द्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
- भारत की आजादी में योगदान
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती पर लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान याद-ए-जलियाँ संग्रहालय (जलियांवाला बाग और प्रथम विश्व युद्ध पर संग्रहालय) और 1857 (प्रथम स्वतंत्रता संग्राम) पर संग्रहालय और भारतीय कला पर दृश्यकला संग्रहालय का भी उद्घाटन किया।

परिचय

- सुभाष चंद्र बोस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और करिश्माई व्यक्तियों में से एक थे। उनकी देशभक्ति, स्वतंत्रता के लिए आह्वान और वांछित लक्ष्य हासिल करने से पहले न रूकने की प्रतिबद्धता के कारण वे युवाओं के लिए एक नायक के समान हैं। अपने राष्ट्रवादी स्वभाव और नेतृत्व की विशेषता के कारण, महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने उन्हें नेताजी के रूप में संबोधित किया।
- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म 23 जनवरी, सन् 1897 को ओड़िशा के कटक शहर में हिन्दू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था। उनके पिता कटक शहर के मशहूर वकील थे।
- 1920 में उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की, लेकिन अप्रैल 1921 में भारत में स्वतंत्रता आंदोलनों को देखते हुए उनका मोह सिविल सेवा से भंग हो गया और वे देश को स्वतंत्र कराने के लिए जुट गए।

सुभाष चन्द्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

- सिविल सेवा छोड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के साथ जुड़ गए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गाँधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। महात्मा गाँधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार भिन्न-भिन्न थे लेकिन वे यह अच्छी तरह जानते थे कि महात्मा गाँधी और उनका मकसद एक ही है, यानी देश की आजादी। सबसे पहले गाँधीजी को राष्ट्रपिता कह कर नेताजी ने ही संबोधित किया था।
- वह एक युवा शिक्षक और बंगाल कांग्रेस के स्वयंसेवकों के कमांडेंट बन गए। उन्होंने 'स्वराज' नामक अखबार निकालना शुरू किया। 1927 में, जेल से रिहा होने के बाद, बोस काँग्रेस पार्टी के महासचिव बने और जवाहरलाल नेहरू के साथ स्वतंत्रता संग्राम के लिए अग्रसर हो गये।
- 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिसने व्यापक औद्योगीकरण की नीति तैयार की। हालाँकि, यह गाँधीवादी आर्थिक विचार के अनुरूप नहीं था, जो कुटीर उद्योगों की धारणा से जुड़ा था।

भारत की आजादी में योगदान

- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय आजाद हिन्द फौज का गठन किया गया, जिसे इन्डियन नेशनल आर्मी या आईएनए के नाम से भी जाना जाता है। रास बिहारी बोस जो भारत से भागकर जापान में रह रहे थे, ने दक्षिण-पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों के सहयोग से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। जब जापान ने ब्रिटिश सेना को हराकर दक्षिण-पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों पर कब्जा कर लिया तो लीग ने भारतीय युद्धबंदियों को मिलाकर इंडियन नेशनल आर्मी को तैयार किया ताकि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाई जा सके। ब्रिटिश भारतीय सेना में अधिकारी रहे जनरल मोहन सिंह ने इस आर्मी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- 21 अक्टूबर, 1943 में सुभाष चन्द्र बोस, जिन्हें अब नेताजी के नाम से जाना जाने लगा था, ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार (आजाद हिन्द) के गठन की घोषणा कर दी। जापान ने अंडमान द्वीपों पर कब्जा कर लिया था इस कारण नेताजी अंडमान आ गए और वहां भारतीय झंडे का ध्वजारोहण किया। 1944 के आरम्भ में आजाद हिन्द फौज (आईएनए) की तीनों इकाइयाँ भारत के उत्तर-पूर्वी भाग पर हुए हमले में भाग लिया ताकि ब्रिटिशों को भारत से बाहर किया जा सके।
- आजाद हिन्द फौज को छोड़कर विश्व इतिहास में ऐसा कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता, जहाँ तीस-पैंतीस हजार युद्धबन्दियों ने संगठित होकर अपने देश की आजादी के लिए ऐसा प्रबल संघर्ष छेड़ा हो।

निष्कर्ष

- सन् 1947 के बाद आज हमारे देश में मानव मूल्यों का ह्रास, चारित्रिक पतन, स्वार्थपरता, आदर्शहीनता, राजनीतिज्ञों का भ्रष्टाचार तथा अपराधी प्रवृत्ति, अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई, साधनहीनों और किसानों

द्वारा की जा रही आत्महत्याएँ, राजनीति में जाति और धर्म का प्रदर्शन बरकरार है। इस संदर्भ में हमें नेताजी द्वारा बताये गये कल्याणकारी मार्गो पर चलना चाहिए।

- नि:संदेह इसके लिए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के विचारों तथा उनकी प्रतिबद्धताओं का गहन अध्ययन उपयोगी साबित हो सकता है।
- उनके विचार, कर्म और आदर्श अपनाकर राष्ट्र वह सब कुछ हासिल कर सकता है, जिसका वह हकदार है।
- नेताजी के जीवन के कई और पहलू हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। वे एक सफल संगठनकर्ता थे। उनकी वाक्य-शैली में जादू था और उन्होंने देश से बाहर रहकर 'स्वतंत्रता आंदोलन' चलाया। नेताजी मतभेद होने के बावजूद भी अपने विरोधियों का मान-सम्मान करते थे। उनकी व्यापक सोच आज की राजनीति के लिए आवश्यक विषय बन सकता है।
- उनकी प्रासंगिकता ही है कि वर्तमान में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को संग्रहालय द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। ■

कौशल विकास : एक विश्लेषण

प्र. ''कौशल भारत अभियान अब केवल घरेलू बाजार तक ही सीमित नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जोखिमों को कम करने और अवसरों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के देशों के साथ सक्रिय रूप से संलग्न है'' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- संदर्भ
- परिचय
- स्किल इंडिया क्या है?
- स्किल इंडिया की विशेषताएँ
- कार्यक्रम की उपलब्धियाँ
- स्किल इंडिया मिशन की समीक्षा
- निष्कर्ष

संदर्भ

- वर्ष 2016 में भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कौशल परिषदों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए कौशल विकास मंत्रालय द्वारा शारदा प्रसाद समिति का गठन किया था। इस समिति द्वारा सुझाए गए सिफारिशों को 27 दिसम्बर, 2018 तक लागू किया जाना था। किन्तु अभी तक इन सिफारिशों को सरकार अमल में नहीं ला सकी है।

परिचय

- प्रत्येक देश के विकास की जड़ें उस देश के लोगों पर ही आधारित होती हैं। भारत तेज गति से विकसित हो रही विश्व की विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे आगे है, जिसका कारण भारत की विशाल और बड़ी आबादी है। भारत में लगभग 1.3 मिलियन आबादी निवास करती है, अन्य देशों की तुलना में वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों का सबसे बड़ा समूह भी यही पर है। इस प्रकार यह विशाल मानव संसाधन और उत्तरोत्तर कार्यात्मक कौशल विकास योजना भारत को विकसित राष्ट्रों में सबसे आगे ले जा सकती है। भारत में विश्व की कुल युवा आबादी का लगभग 50% युवा आबादी निवास करता है, जिसे एक बार प्रशिक्षित कर दिया जाए तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं।

स्किल इंडिया क्या है?

- 15 जुलाई 2015 को एमएसडीई (MSDE) के द्वारा "स्किल इंडिया" मुहिम की शुरूआत की गई। इस मुहिम का लक्ष्य देश के युवाओं के कौशल वर्द्धन के लिए अवसर पैदा करना।
- कौशल भारत अभियान के 5 स्तंभ हैं-
  - माध्यमिक विद्यालय/पॉलिटेक्निक
  - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
  - राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)- यह अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
  - 16 मंत्रालय ज्यादातर अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तथा
  - उद्यम-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले नियोक्ता।

स्किल इंडिया की विशेषताएँ

- युवाओं में कौशल विकास को इस तरह से विकसित किया जाएगा जिससे रोजगार मिलने में आसानी हो और वे अपना खुद का व्यापार स्थापित कर सकें।
- रियल एस्टेट, परिवहन, कंस्ट्रक्शन, गहनों के उद्योग, बैंकिंग, पर्यटन इत्यादि क्षेत्रों में कौशल को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी, जिससे हमारे युवा सिर्फ देश की ही नहीं, बल्कि दूसरे देश जैसे कि अमेरिका, जपान, चीन, जर्मनी, रूस और पश्चिम एशिया की जरूरतें भी पूरी कर सकें।

कार्यक्रम की उपलब्धियाँ

- पीएमकेवीवाई (1.0) योजना की शुरूआत 2015 में एक प्रायोगिक रूप में हुई, इस दौरान पीएमकेवीवाई (1.0) ने 375 रोजगार सूची में से 18 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया।
- पीएमकेवीवाई (2.0) बड़ी संख्या में दूरदर्शी युवाओं को मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण सहयोगियों/ प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से लघु अवधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) लेने में सक्षम बनाता है, जिसमें जनजातीय समुदाय, विकलांगता और अन्य वंचित युवाओं वाले व्यक्ति भी शामिल हैं।
- यह योजना 250 से ज्यादा रोजगार सूची के लगभग 38 सेक्टर कौशल परिषद से संबंधित लघु अवधि के प्रशिक्षण (एसटीटी), विशेष परियोजनाओं (एसपीएल) और आरपीएल चलाता है, जो कि उद्योग क्षेत्र का विविध और संपूर्ण प्रतिनिधित्व है।

स्किल इंडिया मिशन की समीक्षा

- स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत साल 2016 से 2020 के बीच एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इस योजना के तहत लक्ष्य के आधे युवाओं को रोजगार नसीब तक नहीं

हुआ। आंकड़ों के अनुसार प्रशिक्षण हासिल करने वालों में से सिर्फ एक तिहाई को ही रोजगार मिल पाया है।

- कौशल विकास योजना के तहत महज 33 लाख युवाओं को ही प्रशिक्षण दिया गया और उनमें से भी सिर्फ 20 लाख को सर्टिफिकेट सौंपे गये हैं।
- इसके अलावा अगर युवाओं को नौकरी की मिलने की बात की जाए तो उनमें से सिर्फ 10 लाख युवाओं को ही नौकरी मिल पाई।

निष्कर्ष

- एक राष्ट्र की सफलता हमेशा उसके युवाओं की सफलता पर निर्भर करती है और कौशल भारत अभियान इन युवाओं के बहुत सारे लाभ और अवसरों को सुनिश्चित करेगा। वह समय दूर नहीं है जब भारत एक कुशल समाज के रूप में विकसित होगा जहाँ सभी के लिए समृद्धि और गरिमामय जीवन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- एमएसडीई राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होना चाहिए तथा NSDA, DGE और SSCs की मदद से विकसित होना चाहिए साथ ही जहाँ जरूरत हो वहाँ मंत्रालयों को भी शामिल करना चाहिए या परामर्श लेना चाहिए। ■

नए भारत के निर्माण में भारतीय डायस्पोरा का योगदान

प्र. हाल ही में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन वाराणसी में किया गया। इस संदर्भ में नये भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- प्रवासी भारतीय दिवस के उद्देश्य
- भारतीय डायस्पोरा औ उनका योगदान
- सरकारी प्रयास
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में 15 वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। ऐसा पहली बार हुआ है, जब यह तीन दिवसीय कार्यक्रम 9 जनवरी के बजाय 21 से 23 जनवरी के बीच आयोजित किया गया। इस साल के प्रवासी भारतीय दिवस का विषय 'नये भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका' है।

परिचय

- हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इसका लक्ष्य भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को पहचान दिलाने से है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरूआत 2003 से हुई है और तब से लेकर हर वर्ष भारत सरकार के द्वारा तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन में विदेश में रह रहे उन भारतीयों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल कर भारत का नाम विश्व पटल पर गौरवान्वित किया हो।

प्रवासी भारतीय दिवस के उद्देश्य

- अप्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति सोच, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ ही उनकी अपने देशवासियों के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए मंच उपलब्ध कराना है।
- विश्व के सभी देशों में अप्रवासी भारतीयों का नेटवर्क बनाना।
- युवा पीढ़ी को अप्रवासियों से जोड़ना।
- विदेशों में रह रहे भारतीय श्रमजीवियों की कठिनाइयों को जानना तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करना।
- भारत के प्रति अनिवासियों को आकर्षित करना।

भारतीय डायस्पोरा और उनका योगदान

- भारत विदेशों से मिलने वाले धन के मामले में विश्व में शीर्ष पर है। वर्ष 2018 में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी भारतीयों द्वारा लगभग 69 अरब रुपये भारत में भेजे गये। विश्व बैंक के अनुसार इस रेमिटेंस से देश की घरेलू गरीबी को कम किया जा सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ अन्य उत्पादक गतिविधियों के निवेश को बढ़ाया जा सकता है। बालश्रम में कमी करने के साथ-साथ उद्यमशीलता में वृद्धि की जा सकती है।
- भारतीय डायस्पोरा अपना अहम योगदान, ज्ञान साझा करने के क्षेत्र में दे सकते हैं जिसमें अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा तथा शैक्षणिक आदान-प्रदान शामिल हैं।
- प्रवासी भारतीयों ने अपने देशों में भारतीय वस्तुओं की माँग को बढ़ावा दिया है। इसमें खाने के सामान, फैशन से लेकर भारतीय मनोरंजन उद्योग तक शामिल हैं। इससे भारतीय निर्यात विशेषकर हथरकघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में वृद्धि हुई है।
- प्रवासी भारतीय अनुसंधान एवं विकास और अन्वेषण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि भारत के स्टार्टअप प्रोजेक्ट और उनके एनआरआई मेंटर को एक मंच पर लाया जाए।

सरकारी प्रयास

- **भारत को जाने कार्यक्रम (केआईपी):** यह कार्यक्रम छात्रों और भारतीय मूल के पेशेवर लोगों को भारत भ्रमण करने के लिए मंच प्रदान करता है जिससे वह अपने विचार, आशाएँ और अनुभव साझा कर सकें और समकालीन भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर सकें।
- **भारत अध्ययन कार्यक्रम (एसआईपी):** भारत अध्ययन कार्यक्रम (एसआईपी) के अंतर्गत प्रवासी भारतीय युवाओं को भारत के इतिहास, विरासत, कला, संस्कृति, सामाजिक राजनैतिक, आर्थिक विकास आदि से परिचित कराने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में लघु अवधि के पाठ्यक्रम कराये जाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसंधान और शैक्षणिक अनुकूलन पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।
- **मूल जड़ों की खोजः** भारत में पीआईओ द्वारा उनके मूल वंश के खोज को सुगम बनाने के लिए प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय ने अक्टूबर, 2008 से "मूल जड़ों की खोज" नामक योजना संचालित की है।

चुनौतियाँ

- खाड़ी देशों में जाने वाले श्रमिकों के साथ कंपनियाँ धोखाधड़ी करती हैं।
- काम के दौरान मालिकों द्वारा उनके पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिए जाते हैं, उन्हें पूरी मजदूरी नहीं दी जाती है।
- भारतीय दूतावासों से उन्हें समय पर पर्याप्त मदद नहीं मिल पाती है।
- भारत लौटने पर उन्हें कस्टम अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाता है।
- प्रवासियों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक चिंताओं के समाधान के लिए भारत में उन्हें बहुत भटकना पड़ता है।

आगे की राह

- भारत सरकार का प्रयास यह होना चाहिए कि प्रवासी भारतीय दिवस केवल एक आर्थिक गतिविधि बनकर न रह जाए अपितु इसका सरोकार, प्रवासी भारतीयों की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भावनात्मक चिंताओं से भी बना रहे।
- इसके लिए न केवल प्रवासी भारतीय समुदाय की विशालता, विविधता और उपलब्धियों को भी भारतीय जनता के समक्ष रखना होगा। भारत को न केवल उनकी समस्याओं तथा अपेक्षाओं को भी समझना होगा बल्कि अपने नीतिगत ढांचे में और बदलाव लाकर प्रवासियों के प्रति अनुकूल वातावरण बनाकर तथा उनकी सेवाओं का लाभ उठाते हुए उनके भारत के साथ गहरे अनुराग को सराहा जाना होगा। ■

ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट–2019

प्र. वैश्विक जोखिम रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? वर्तमान वैश्विक जोखिमों का जिक्र करते हुए इस संदर्भ में उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2019 के मुख्य तथ्य
- वैश्विक जोखिम प्रतिवेदन का महत्व
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में वैश्विक जोखिम परिदृश्य के संदर्भ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, 2019 (Global Risk Report-2019) जारी किया गया। विदित हो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी वार्षिक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, 2019 का 14वाँ संस्करण जारी किया है।

परिचय

- विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्विस अधिकारियों द्वारा इसे एक पब्लिक प्राइवेट सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है।

वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2019 के मुख्य तथ्य

- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, 2019 में वैश्विक जोखिम परिदृश्य को दर्शाया गया और इस संदर्भ में कार्यवाही हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है।
- इस वर्ष की रिपोर्ट में "what if" (क्या हो अगर) शब्दों की एक श्रृंखला शामिल की गई है, जिसमें भविष्य में आने वाले जोखिमों जैसे कि- क्वांटम कंप्यूटिंग, मौसम में तात्कालिक परिवर्तन, मौद्रिक लोकलुभावनवाद (Monetary Populism), भावनात्मक रूप से उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य संभावित जोखिमों पर चर्चा की गई है।
- रिपोर्ट में वर्तमान वैश्विक जोखिम सर्वेक्षण के परिणामों को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, शिक्षा और नागरिक समाज से लगभग 1,000 सदस्यों द्वारा दुनिया के सामने आने वाले जोखिमों का आकलन किया गया है।
- वैश्विक जोखिमों के मानवीय कारणों और प्रभावों पर विशेष ध्यान देते हुए दुनिया भर में मनोवैज्ञानिक तनाव के बढ़ते स्तर पर सकारात्मक कदम उठाने पर भी बल दिया गया है।

वैश्विक जोखिम प्रतिवेदन का महत्व

- यह प्रतिवेदन वर्ष दर वर्ष विश्व भर में जोखिम के परिदृश्य में होने वाले परिवर्तनों को बताता है और वैश्विक विध्वंसकारी जोखिमों (catastrophic risks) की जानकारी देता है।
- यह प्रतिवेदन पता लगाता है कि कौन-सा जोखिम किस तरह दूसरे जोखिम से जुड़ा हुआ है।

आगे की राह

- वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने हेतु सामरिक भागीदारी को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए।
- प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समानता एवं न्याय के सिद्धांतों के आधार पर वैश्विक और आर्थिक शासन प्रणाली में सुधार लाने की साझी वचनबद्धता व्यक्त किया जाना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए बिना किसी अपवाद के सभी देशों के लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही अन्य देशों की सुरक्षा की कीमत पर कुछ देशों की सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। ■

बढ़ती असमानता और भारत

प्र. ऑक्सफेम इंटरनेशनल के अनुसार ''भारत में बढ़ती आर्थिक असमानता नैतिक रूप से क्रूर है। अगर यह अंतर इसी तरह बढ़ता गया तो देश की सामाजिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी।'' क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण

- परिचय
- भारत के संदर्भ में रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु
- भारत में बढ़ती आय असमानता के कारण
- असमानता का प्रभाव
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप, ऑक्सफेम ने अपनी वार्षिक असमानता रिपोर्ट जारी की है। ''पब्लिक गुड या प्राइवेट वेल्थ'' (Public Good or private Wealth) शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार कुछ अमीर लोगों की संपत्ति लगातार बढ़ रही है, जबकि गरीबों की बड़ी आबादी की संपत्तियों में लगातार गिरावट आ रही है।

परिचय

- ऑक्सफेम की रिपोर्ट सबसे गरीब लोगों पर विश्व में पूँजीवाद के बढ़ते प्रभाव की याद दिलाती है। इन आँकड़ों से पता चलता है कि इस तरह की आय असमानता लाखों लोगों को दयनीय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर रही है।
- इस तरह की असमानता और ज्यादा बढ़ सकती है, यदि हम उन वृहद आर्थिक नीतियों का अनुसरण करते रहें जो सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन का समर्थन नहीं करती है।
- रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में विश्व के 26 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति दुनिया के आधी आबादी (लगभग 3.8 अरब लोगों) की संपत्ति के बराबर है। साथ ही दुनिया भर के अरबपतियों की संपत्ति में पिछले साल 12 प्रतिशत अर्थात 2.5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। वहीं दुनियाभर में मौजूद गरीब लोगों की 3.8 बिलियन आबादी की संपत्ति में 11 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। इस प्रकार गरीबों की आय में प्रत्येक दिन 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट देखी गई।

भारत के संदर्भ में रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- **आर्थिक असमानताः** भारत की शीर्ष 10 प्रतिशत आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 77.7 प्रतिशत हिस्सा है। इनमें से भी सिर्फ एक प्रतिशत आबादी के पास ही देश की कुल संपत्ति का 51.33 प्रतिशत हिस्सा है।
- **लिंग असमानताः** भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, साथ ही देश के 119 अरबपतियों में केवल 9 महिलाएँ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक असमानता से सबसे ज्यादा महिलाएँ प्रभावित हो रही हैं। ऑक्सफेम रिपोर्ट के अनुसार भारत की महिलाएँ घर और बच्चों की देखभाल संबंधी बिना भुगतान वाले जो काम करती हैं उसका मूल्य देश की जीडीपी के 3.1% के बराबर है।
- ऑक्सफेम की इस रिपोर्ट में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018 में भारत की 108वीं रैंकिंग का भी जिक्र किया गया है।
- **सार्वजनिक व्ययः** ऑक्सफेम के अनुसार वर्ष 2018 से 2022 के दौरान भारत में रोजाना 70 नए करोड़पति बनेंगे। ऑक्सफेम इंडिया के कार्यकारी अधिकारी के अनुसार सरकारें स्वास्थ्य, सेवा और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं का वित्तपोषण कम करके असमानता को बढ़ा रही हैं।
- **स्वास्थ्य देखभालः** भारत में सरकारों की अनदेखी के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में गिरावट आयी है। इसी का लाभ उठाते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर ने अपना दबदबा बढ़ाया है। उच्चतम गुणवत्ता वाली निजी चिकित्सा देखभाल केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास भुगतान करने के लिए पैसा है।
- **शीघ्र मृत्युः** भारत में अमीर परिवारों के बच्चों की तुलना में गरीब परिवारों के बच्चों की मृत्यु दर उनके पहले जन्म दिवस में तीन गुणा ज्यादा है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मरने की दर में हाल के वर्षों में लगभग सभी देशों में गिरावट आयी है।

भारत में बढ़ती आय असमानता के कारण

- **बेरोजगारीः** भारत में एक बड़ी जनसंख्या के आय में कमी का मुख्य कारण बढ़ती बेरोजगारी, अल्प रोजगार सृजन तथा श्रम की उत्पादकता में कमी है।
- **कर चोरीः** भारत में व्यक्तिगत आयकर दरें बहुत अधिक हैं। उच्च कर की दर कर चोरी को बढ़ावा देती है और एक समानान्तर अर्थव्यवस्था को जन्म देती है।
- **मुद्रास्फीतिः** भारत में असमानता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति के दौरान कुल लाभ कमाने वालों को फायदा होता है तथा अधिकांश मजदूरों को हानि होती है।

असमानता का प्रभाव

- उच्च आय, असमानता तथा वर्ग विभाजन को रोकती है, इसके अलावा यह गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेष रूप से मध्यम वर्ग की आय में वृद्धि लोकतांत्रिक संरचनाओं और संस्कृति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन भारत में बढ़ती आय असमानता से मध्यम वर्ग के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है।

आगे की राह

- पिछले तीन दशकों में शानदार आर्थिक विकास ने भारत को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1990 और 2016 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में 7% की दर से वृद्धि हुई है। भारत वर्तमान में चीन और अमेरिका के बाद क्रय शक्ति क्षमता के मामले में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है लेकिन भारत में इस बढ़ती अर्थव्यवस्था के मुख्य लाभ उच्च श्रेणी के ही लोगों तक सीमित रही। साथ ही अन्य पिछड़े वर्गों, एसटी/एससी की तुलना में गरीबी की दर में कमी उच्च वर्गों में ही देखी गई है। ■

भारतीय विमानन क्षेत्र और विजन 2040

प्र. ग्लोबल एविएशन समिट से आप क्या समझते है? विजन 2040 किस तरह वायु यात्रा कनेक्टिविटी को संभव बनाएगा? इस संदर्भ में आने वाली चुनौतियों का जिक्र करते हुए उड़ान की सफलताओं को भी बताइए?

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- विजन 2040 के मुख्य बिन्दु

- उड़ान
- विजन-2040 के फायदे
- चुनौतियाँ
- उपाय
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने हाल ही में वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन, 2019 में विजन 2040 दस्तावेज जारी किया। वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा फिक्की के साथ मिलकर यह आयोजन करवाया गया। वर्ष 2019 के लिए इसका विषय "फ्लाइंग फॉर ऑल" रखा गया।

विजन 2040 के मुख्य बिन्दु

- भारत में नागर विमानन उद्योग के विजन 2040 दस्तावेज के मुताबिक, आने वाले समय में देश के पास अपना किराये पर विमान लेने का उद्योग होगा।
- वर्ष 2040 तक भारत द्वारा कर संरचना और पट्टे पर विमान देने की प्रक्रिया वैश्विक स्तर के बराबर होगी या फिर उससे भी ज्यादा लुभावनी होगी।
- वहीं 2040 में ऐसे करीब 190-200 हवाई अड्डे हो सकते हैं, जिनमें परिचालन हो रहा होगा।
- यह विजन ड्रोन (Drones), एयर टैक्सी (Air Taxis), वोलोकॉप्टर (Volocopters), नए जेट (New Jets) और अल्ट्रा-लाइट एरियल इलेक्ट्रिक वाहनों (Ultra-light aerial electric vehicles) आदि की नवीनतम अवधारणा को विकसित करने का अवसर देगा।

उड़ान

- 21 वीं सदी को कनेक्टिविटी का युग कहा जाता है, जहाँ भौतिक दूरियाँ समाप्त होती जा रही है। तकनीकी नवाचारों और तेज गति वाले संचार के चलते वैश्विक गांव की अवधारणा आज एक वास्तविकता बन गई है। इस वास्तविकता में महत्वपूर्ण भूमिका हवाई संपर्क की रही है। हर देश की सरकार इस महत्व को भली-भाँति समझ रही है। भारत ने इस दिशा में कदम उठाते हुए उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना की शुरूआत की, ताकि हवाई यात्रा आम लोगों के लिए भी सहज हो सके। उड़ान देश में क्षेत्रीय विमानन बाजार को विकसित करने की दिशा में एक नवोन्मेषी कदम है। यह नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (National Civil Aviation Policy - NCAP) का भी एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
- गौरतलब है कि यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है जो क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं लाभप्रद उड़ानों को बढ़ावा देने पर बल देती है ताकि आम आदमी वहनीय कीमत पर हवाई यात्रा कर सके। इस योजना के तहत मौजूदा हवाई-पट्टियों एवं हवाई अड्डों के पुनरुत्थान के माध्यम से देश के उन हवाई अड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान किया जाएगा जिनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इस दिशा में उलेखनीय कार्य गत वर्षो में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया गया है।

विजन-2040 के फायदे

- इस योजना के द्वारा नागरिकों को वायुयात्रा की कनेक्टिविटी मिलेगी।
- यह सभी हितधारकों के लिए एक स्पर्द्धा की स्थिति प्रदान करेगा।
- क्षेत्रीय हवाई संपर्क और बाजार का विस्तार करने में जहाँ केंद्र सक्षम होगा वहीं राज्य सरकार को दूरदराज क्षेत्रों के विकास, व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में लाभ प्राप्त होगा।
- वायुयात्रा कनेक्टिविटी से भविष्य में दूर-दराज के इलाकों में चिकित्सीय सेवाएँ बेहतर होने की उम्मीद है।
- यह विजन देश के भीतरी प्रदेशों में पर्यटन और रोजगार निर्माण को प्रमुख गति देने का काम करेगी। हैलीकॉप्टरों और छोटे विमानों को लाने से दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों, द्वीपों और देश के अन्य क्षेत्रों में यात्रा में लगने वाला समय काफी घट जाएगा। उल्लेखनीय है कि हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए वायु यातायात का ही सहारा लिया जाता है, क्योंकि यहां रेल या सड़क मार्गों का अभाव है। वायु परिवहन द्वारा डाक सामग्री भी तीव्रता से गंतव्य तक पहुंचायी जा सकती है।
- यह भविष्य के हवाई अड्डों (Airports), बचाव और सुरक्षा (Safety & Security), वित्तपोषण और पट्टे (financing & leasing) हेतु सतत विकास (Sustainable Development) एवं सामानों जैसे- कार्गो (cargo), रसद (Logistics) आदि को सुगमता से संचालित करने में सक्षम होगी।

चुनौतियाँ

- यद्यपि 1947 के बाद से देश में हवाई यातायात के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की गयी है फिर भी स्थिति को पूर्णतः संतोषप्रद नहीं माना जा सकता (विशेषतः विकसित देशों के साथ तुलना करने पर)।
- उन चुनौतियों की पहचान व उसका समाधान नहीं किया गया है जिसकी वजह से वायुयात्रा कनेक्टिविटी में रूकावट आती है।
- भारत की वायुयात्रा के विस्तार की योजनाओं में सबसे बड़ी बाधा उच्च ईंधन तथा विमानों के मूल्य के सम्बंध में विदेशी स्रोतों पर निर्भरता होना है। ज्ञातव्य है कि एयर इंडिया को कई विदेशी कंपनियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विमानपत्तन आधार संरचना के लिए भारी निवेश, व्यापक सेवा खर्च, पुनर्स्थापन तथा पुनर्नवीकरण की आवश्यकता होती है।
- एक अन्य मुख्य चुनौती भारतीय पायलटों की कमी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में, भारत में विदेशी पायलटों की औसत संख्या 300 से अधिक रही है जिनको एयरलाइंस द्वारा उनकी सेवा के लिए बड़ी रकम दी गई।

उपाय

- उड्डयन कराधान के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। इससे उड्डयन क्षेत्र में लंबित कार्य सही समय पर हो सकेगा।
- रखरखाव और मरम्मत संगठन (एमआरओ) भारत में शुरू किया जाना चाहिए।
- एयर ट्रैफिक कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम के कुशल कामकाज के लिए और एयरक्राफ्ट में सुरक्षा के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए।
- एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) सहित सभी पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाया जाना चाहिए।

- समयबद्ध तरीके से UDAN पहल के तहत नियोजित हवाई अड्डों को पूरा किया जाए साथ वित्तीय और बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया जाए।

आगे की राह

- भारतीय विमानन का विजन 2040 'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) के सपने को साकार करने में काफी कारगर हो सकती है। इस मार्ग में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार निजी कंपनियों, उद्योग और विमानन सेवा से जुड़े अन्य हितधारकों को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। भारत को दुनिया भर में विमानन क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के साथ मिलकर तकनीक हस्तांतरण पर जोर देना होगा, इसके अलावा भी सही नीतियों और निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, भारत न केवल बैठक विजन 2040 लक्ष्यों को पार कर सकता है बल्कि दुनिया को पर्यटन व निवेश क्षेत्र में अपनी ओर आकर्षित भी कर सकता है। ■

सैन्य आधुनिकीकरण : चुनौतियाँ और संभावनाएँ

प्र. क्या आप सहमत हैं कि वर्तमान समय में युद्ध परंपरागत न होकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर युद्ध आदि का रूप ग्रहण कर चुका है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- आवश्यकता क्यों
- सरकारी प्रयास
- आधुनिकीकरण की चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में जनरल विपिन रावत ने कहा है कि सैन्य साजो-सामान खरीदने के लिए भारतीय सेना में से तकरीबन 1.5 लाख सैनिकों की छटनी की जा सकती है। इससे 5000 से 7000 करोड़ रुपये की बचत की जा सकेगी, जिसका इस्तेमाल सैन्य आधुनिकीकरण और अत्याधुनिक हथियार खरीदने में किया जायेगा।

परिचय

- भारत को पड़ोसी देशों से आंतरिक तथा बाहरी दोनों खतरों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के पास एक मजबूत सैन्य संगठन है। किन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की कमी, बदलते सामरिक दृष्टिकोण के मद्देनजर पर्याप्त आधुनिकीकरण का अभाव तथा कम रक्षा बजट इसे अपने इष्टतम् लाभ प्राप्त करने से रोकता है।

आवश्यकता क्यों?

- 2018 के बजट में रक्षा विभाग को पिछले दो दशकों में कुल बजट का 12.22 फीसद का सबसे छोटा हिस्सा मिला। यह उम्मीद के विपरीत रहा, क्योंकि भारत का रक्षा बजट अब अमेरिका, चीन और ब्रिटेन के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा बजट है।
- सेना के बजट को इसलिए भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कुल रक्षा बजट का 83 फीसदी सैन्य कर्मियों के वेतन और भत्ते में खर्च होता है। ऐसी स्थिति में आधुनिकीकरण और पूंजीगत व्यय के लिए बहुत कम बजट बचता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के रक्षा संबंध बजट में आवंटित बजट का बहुत कम भाग खर्च हो पाया है, लगभग 7000 करोड़ रुपये का उपयोग ही नहीं हुआ है।
- सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में जो कदम तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है, वह काफी पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। आज तकनीक और प्रौद्योगिकी के जमाने में दुनिया के तमाम देश जिस तरह के अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित हो रहे हैं, उनके मुकाबले भारत अभी भी काफी पीछे है।

सरकारी प्रयास

- डोकलाम में चीन और भारत की सेनाओं के बीच गतिरोध के परिण ।ामस्वरूप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम उठाये गए।
- पिछले वर्ष सेना ने M-777 होवित्जर और K-9 वज्र की खरीद की। उल्लेखनीय है कि यह बोफोर्स तोप खरीदे जाने के बाद पहली तोप खरीद थी।
- वायु सेना ने 114 लड़ाकू विमान खरीद की प्रक्रिया शुरू की है जो कि उसके आधुनिकीकरण के लिए लंबे समय से लंबित अभियान का हिस्सा रहा है।

आधुनिकीकरण की चुनौतियाँ

- पुराने पड़ चुके साजो-सामान एवं मानव संसाधन प्रबंधन बड़ी चुनौतियाँ हैं। सेना के मौजूदा 68 प्रतिशत साजो-सामान पुराने पड़ चुके हैं और ये युद्ध में इस्तेमाल के लायक नहीं रह गए हैं। चीन से सटी सीमा पर सड़कों और ढाँचागत सुविधाओं के लिए भी बजट की कमी आड़े आ रही है। रक्षा बजट इस समय देश की जीडीपी का 1.6 फीसदी है, जो 1962 के चीन युद्ध के बाद सबसे कम है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार सैन्य बजट जीडीपी का कम से कम 2.6 फीसदी होना चाहिए।
- ध्यातव्य है कि आज के ज्यादातर हथियार और सैन्य उपकरण नेटवर्क केंद्रित हैं और इसमें हल्की सी चूक हमारी सैन्य प्रणाली को ठप्प कर सकती है। बेशक नए जमाने की इस जंग से निपटने के लिए साइबर कमांड और तकनीकी किलेबंदी की दिशा में काम चल रहा है, मगर यह चीन जैसे प्रतिद्वंद्वी की तुलना में बहुत पीछे है। सेनाओं के आधुनिकीकरण पर अमल की बात तो दूर इसकी शुरूआत भी नहीं हुई है।
- नए दौर की जंग में दुश्मन पर धावा बोलकर उसे अचरज में डालने के लिहाज से ही नहीं, बल्कि जंग जीतने के लिए वायु सेना की भूमिका सबसे अहम हो गई है। अब युद्ध आमने-सामने सैनिकों की जंग नहीं रह गये हैं, बल्कि मिसाइल और लड़ाकू विमान की प्रहार क्षमता जंग जीतने का आधार बन गई है। अफगानिस्तान और इराक की जंग इसके नवीनतम उदाहरण हैं। हालाँकि भारत के लिए चीन और पाकिस्तान की दोहरे मोर्चे की चुनौती में भारतीय वायु सेना की भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मगर लड़ाकू विमानों की खरीद में देरी होने से वायु सेना

को कई मोर्चों पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

- भारतीय नौसेना की भी पराक्रम को लेकर दुनिया में अपनी खास पहचान है। मगर नौसेना भी युद्धपोतों, पनडुब्बी और विमानवाहक पोतों की कमी से जूझ रही है। नौसेना में नए युद्धपोत शामिल तो हो रहे हैं लेकिन उनकी रफ्तार इतनी तेज नहीं है। समुद्र में चीन की बढ़ती गतिविधियाँ खासकर दक्षिण चीन सागर में उसका अधिकार जमाना भारतीय नौसेना के लिए चुनौती से कम नहीं है।

आगे की राह

- सेना के पुनर्गठन के साथ सैनिकों की संख्या घटाने को लेकर शेतकर कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए इस पर अमल किये जाने की आवश्यकता है। रक्षा क्षेत्र की योजनाओं के निर्माण के लिए नये संस्थागत तंत्र के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में रक्षा योजना कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। सैन्य खरीद के लिए वित्तीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण किए जाने की आवश्यकता है।
- रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन चैनल नीति के तहत प्रक्रियात्मक रियायतें दिए जाने की आवश्यकता है।
- वर्तमान समय में युद्ध परंपरागत न होकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस) साइबर युद्ध आदि का रूप ग्रहण कर रहा है। इसलिए सेना का आधुनिकीकरण अब समय की माँग है और भारत जैसे देश के लिए सेना का आधुनिकीकरण अति आवश्यक है। ■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. ‘सी विजिल 2019’ तटीय रक्षा अभ्यास

भारतीय नौसेना ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर बड़े स्तर पर तटीय रक्षा अभ्यास ‘सी विजिल 2019’ का आयोजन किया। इस अभ्यास का आयोजन 22-23 जनवरी, 2019 को किया गया। इस अभ्यास के तहत 7516.6 किलोमीटर लम्बी तटीय सीमा तथा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को कवर किया गया, इसमें 13 राज्यों सहित केंद्रशासित प्रदेश भी शामिल थे। इस अभ्यास का मुख्य लक्ष्य 26/11 जैसे हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना था। इस अभ्यास में मिसाइल हमले को निष्क्रिय करने की तैयारी की समीक्षा भी की गयी।

भारतीय नौसेना

देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा का भार भारतीय नौसेना पर है। मार्च 2018 के अनुसार भारतीय नौसेना के पास एक एयरक्रॉफ्ट कैरिएर, 1 उभयचर परिवहन डॉक, 8 लैंडिंग शिप टैंक, 11 डिस्ट्रॉयर, 13 फ्रिगेट, 1 परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी, 1 बैलिस्टिक मिसाइलयुक्त पनडुब्बी,

14 परंपरागत पनडुब्बियाँ, 22 कार्वेट, 4 फ्लीट टैंकर तथा अन्य कई पोत शामिल हैं। ■

2. ओडिशा में 2300 साल पुरानी कलाकृतियाँ मिलीं

पुरातत्वविदों ने ओडिशा के कालाहांडी जिले के असुरगढ़ किले में खुदाई करने के दौरान 2,300 साल पुरानी कलाकृतियाँ हासिल की हैं। यह माना जा सकता है कि ये वस्तुएँ मौर्यकालीन से कुषाण काल तक की हो सकती हैं। अधिकांश संरचनाओं में टेराकोटा टाइलें हैं जिनमें सॉकेटिंग के लिए खाँचे और छेद हैं। उस समय के असुरगढ़ के लोगों ने अपने घरों और सड़कों पर फर्श के लिए पत्थर के टुकड़े और टाइल के टुकड़े का इस्तेमाल किया था।

इसके अलावा, चांदी के पंच चिह्नित सिक्कों, चांदी और तांबे के पैर की अंगूठी और कान के छल्ले, कार्नेलियन, जैस्पर, बेरिल, गार्नेट, अगेट और मूंगा के मोती पाए गए हैं। इनमें से कुछ कलाकृतियाँ 2,300 साल पुरानी थीं। अन्य खोज की गई कलाकृतियों में शामिल हैं- विभिन्न डिजाइनों और रंगों के काँच की चुड़ियों के टुकड़े, मूसल, लोहे के उपकरण जैसे छोटे पहिया, अंगूठी आदि। शोधकर्ताओं ने बताया कि प्रवाल मोतियों और शाही किस्म के चांदी के पंच मार्क सिक्कों के निष्कर्षों से समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के साथ लंबी दूरी के व्यापार और आतंरिक इलाके के लोगों के जुड़ाव का संकेत मिलता है। ■

3. साइज इंडिया प्रोजेक्ट

सरकार जल्द ही भारतीय इतिहास में अपनी तरह का पहला ‘साइज इंडिया’ प्रोजेक्ट शुरू करेगी, जिसमें भारतीयों के लिए देश का विशिष्ट परिधान का बड़ा आकार होगा। परिधान निर्यात खंड में, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ब्रिटेन का अपना आकार है, अमेरिका का अपना आकार है और यूरोप का भी है लेकिन भारत के पास कोई साइज (40, 42, एक्सल और डबल एक्सएल की तरह) नहीं है। सरकार वस्त्र उद्योग की इस आशंका पर ध्यान देगी कि एम्बेडेड कर्त्तव्यों को पूरी तरह से वापस नहीं किया जाए और देखें कि निर्यात पर कोई कर नहीं लगाया गया है। इसके अलावा, सरकार घरेलू उद्योग के विकास के लिए नीतिगत फैसले लेने के लिए घरेलू बाजार की खपत के आकलन के लिए एक पहल भी कर रही है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें न केवल घरेलू उद्योग के लिए बल्कि विदेशी उद्योग के लिए भी बड़ी मांग पैदा करने की क्षमता है। कपड़ा क्षेत्र में सही नीति लाने के लिए सरकार भारतीय बाजार में घरेलू मांग को लेकर एक सांख्यिकीय अध्ययन शुरू करेगी ताकि यह नीति निर्माण तथा उद्योग और विनिर्माण संभावनाओं को मजबूत करने के लिए एक आधार बन सके। ■

4. फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए ट्रिपल ड्रग थेरेपी

देश भर के 256 जिलों में अभी भी लोगों को फाइलेरिया (हाथी पाँव) की बीमारी का खतरा बना हुआ है। इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भारत अब तीन दवाओं के इस्तेमाल की नीति अपनाएगा। इस बीमारी के उन्मूलन के लिए 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य नीति बनाई गई थी, लेकिन समय पर परिणाम न मिलने की वजह से इसे 2017 तक बढ़ा दिया गया। फाइलेरिया से देश के 256 जिलों में लगभग 65 करोड़ भारतीयों को खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में पाए जाने वाले फाइलेरिया के 40 फीसदी मरीज भारत में हैं।

क्या है लिम्फैटिक फाइलेरिया

फाइलेरिया रोग में हाथ या पैर बहुत अधिक सूज जाते हैं। इसलिए इस रोग को हाथी पाँव भी कहते हैं। हालाँकि इस रोग से पीड़ित हर व्यक्ति के हाथ या पैर नहीं सूजते। यह बीमारी पूर्वी भारत, मालाबार और महाराष्ट्र के पूर्वी इलाकों में ज्यादा फैली हुई है। संक्रमित मच्छर के काटने से बहुत छोटे आकार के कृमि शरीर में प्रवेश करते हैं। ये कृमि लसिका तंत्र की नलियों में होते हैं और उन्हें बंद कर देते हैं।

फाइलेरिया के लक्षण

- फाइलेरिया के बाद सूजन की बीमारी अलग-अलग समय के अंतराल पर होती है।
- यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि कुछ लोगों में यह बीमारी पूरी जिंदगी सामने नहीं आती।
- अकसर पैरों और हाथों की लसिका वाहिकाएँ लाल हो जाती हैं और उनमें दर्द भी होता है। इस स्थिति में लसिका नलियों के बंद होने से लसिका के इकट्ठे हो जाने के कारण सूजन हो जाती है।

ट्रिपल ड्रग थेरेपी

लिम्फैटिक फाइलेरिया का इलाज नहीं है, लेकिन दवाओं के जरिये इसकी रोकथाम की जा सकती है। इस बीमारी के उन्मूलन के लिए पहले 2 दवाओं की नीति अपनायी जाती थी। इसके तहत ऐसे इलाकों में जहाँ फाइलेरिया के संक्रमण की संभावना अधिक है, वहाँ इसकी रोकथाम के लिए दो दवाएँ डाईइथाइल-कार्बामाजीन (डीईसी) और एलबेंडाजोल दी जाती थीं। अब इन दोनों दवाओं के साथ एक और दवा शामिल की गई है। यह दवा है आइवरमेकटिन। इन तीनों दवाओं को देश के संक्रमण प्रभावित इलाकों में लोगों को मुफ्त में देने का अभियान चलाया जाएगा। दो दवा नीति के तहत इन इलाकों में पाँच साल तक ये दोनों दवाएँ दी जाती हैं, जबकि नई दवा नीति अपनाने पर इन इलाकों में सिर्फ दो साल तक दवाएँ देनी होंगी। ■

5. मेकेदातु बहुउद्देश्यीय परियोजना

हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने कर्नाटक सरकार की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट को स्वीकृति देते हुए कावेरी नदी पर बनने वाले मेकेदातु बहुउद्देश्यीय परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से बिजली उत्पादन के अलावा बंगलुरू और रामानगरम जिलों में पीने के पानी की आपूर्ति किये जाने की योजना है। केंद्रीय जल आयोग ने कर्नाटक राज्य को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने को कहा है। फरवरी 2017 में राज्य मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को लागू करने का फैसला किया था, जिसमें रामानगरम जिले के कनकपुरा के पास कावेरी में संतुलित बाँध का निर्माण करना शामिल है। मेकेदातु परियोजना को लेकर कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों के बीच विवाद है।

केन्द्रीय जल आयोग

केन्द्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में देश का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है। आयोग को बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौवहन, पेयजल आपूर्ति और जल-विद्युत विकास के प्रयोजन हेतु समूचे देश के जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपभोग की योजनाओं के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से इन्हें शुरू करने, समन्वित करने तथा आगे बढ़ाने का सामान्य उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस आयोग का प्रमुख एक अध्यक्ष होता है जिसका पद भारत सरकार के पदेन सचिव के स्तर का होता है। आयोग के तीन तकनीकी विंग हैं, जिसमें अभिकल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परियोजना तथा नदी प्रबंधन विंग शामिल हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ■

6. माइक्रोसैट-आर और कलामसैट-वी 2

भारत के प्रक्षेपण यान, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हिकल (पीएसएलवी-सी44) PSLV-C44 ने माइक्रोसैट-आर और कलामसैट-वी2 को उनकी निर्धारित कक्षाओं में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। पीएसएलवी-सी44 ने 24 जनवरी, 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर (एसएचएआर) श्री हरिकोटा के फर्स्ट लॉन्च पैड से उड़ान भरी जो इसकी 46वीं उड़ान थी। उड़ान भरने के लगभग 13 मिनट 26 सेकेंड के बाद माइक्रोसैट-आर को 274 किमी की निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। प्रक्षेपण के बाद सैटेलाइट की दो सौर श्रृंखलाएँ स्वत: स्थापित हो गईं और बंगलुरू स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) ने सैटेलाइट को नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद प्रक्षेपण यान के चौथे चरण (पीएस4) को परीक्षण के उद्देश्य से 453 किमी की अधिक की वृत्ताकार ऊँचाई पर कक्षा-स्थापना के लिए भेजा गया। उड़ान भरने के 1 घंटा 40 मिनट के बाद कलामसैट-वी 2 जो एक छात्र पेलोड है, को पूर्व निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया। इसमें कक्षीय-प्लेटफॉर्म के रूप में पीएस4 का पहली बार उपयोग किया गया। यह उड़ान पीएसएलवी-डीएल का पहला मिशन था, जो पीएसएलवी का नवीन संस्करण है। इसमें मोटर से दो पट्टियाँ जुड़ी हुई हैं।

पीएसएलवी का पिछला लॉन्च 29 नवंबर को हुआ था, जिसमें भारत के एचवाईएस आईएस तथा अन्य देशों के 30 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। ■

7. जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण

हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के मामले में अग्रिम निर्णयों के लिए एक केंद्रीकृत अपीलीय प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी। इस प्राधिकरण में ऐसे मामलों को सुनवाई होगी जिनमें दो राज्यस्तरीय अग्रिम निर्णय प्राधिकरणों (एएआर) के निर्णय एक दूसरे से भिन्न होंगे। हालाँकि इस केंद्रीकृत अपीलीय प्राधिकरण के लिए जीएसटी संबंधी अधिनियमों में संशोधन करने होंगे।

यह केंद्रीकृत प्राधिकरण जो कि एक अपीलीय निकाय होगी। यह उसी सूरत में मामलों की सुनवाई करेगी, जब दो राज्यों के अग्रिम निर्णय प्राधिकरणों (एएआर) के निर्णय एक दूसरे से अलग-अलग होंगे। यह जीएसटी पर निर्णय करने वाली सर्वोच्च इकाई है। समान मसलों पर अलग-अलग राज्यों के एएआर के अलग-अलग विरोधाभासी फैसलों को लेकर उद्योग जगत लंबे समय से एक अपीलीय प्राधिकरण के गठन की मांग कर रहा था।

मुख्य तथ्य

- यह बेंच नई दिल्ली में होगा। इसमें एक अध्यक्ष के अतिरिक्त एक तकनीकी सदस्य (केंद्र) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) होंगे।
- यह बेंच GST कानूनों से संबंधित द्वितीय अपील का मंच होगा।
- केंद्र और राज्यों के बीच GST से संबंधित विवाद के निपटारे के लिए यह बेंच सर्वोपरि मंच होगा।
- अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपील में दिए गये आदेशों के विरुद्ध इस बेंच के समक्ष अपील की जा सकेगी। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. एंड्री राजोएलिना मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति

एंड्री राजोएलिना ने मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति चुनावों में उन्हें 56% वोट प्राप्त हुए थे। वे मेडागास्कर के 6वें राष्ट्रपति बने।

एंड्री राजोएलिना का जन्म 30 मई 1974 को मेडागास्कर के एंट्सिराबे में हुआ था। वे एक उद्योगपति व राजनेता हैं तथा यंग मलागासीज डीटरमिन्ट नामक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। वे दिसम्बर 2007 से फरवरी 2009 तक अंतानान रिवो के मेयर रहे। इसके बाद 21 मार्च 2009 से 25 जनवरी 2014 तक हाई ट्रांजिशनल अथॉरिटी ऑफ मेडागास्कर के अध्यक्ष रहे।

मेडागास्कर हिन्द महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह पूर्वी अफ्रीका से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 5,87,041 वर्ग किलोमीटर है। मेडागास्कर की आधिकारिक भाषा मलागासी और फ्रेंच हैं। मेडागास्कर को फ्रांस से 26 जून, 1960 को स्वतंत्रता मिली थी। ■

2. प्रतिस्पर्धात्मकता के वैश्विक सूचकांक

भारत प्रतिस्पर्धात्मकता के वैश्विक सूचकांक में अपनी स्थिति बेहतर करते हुए 81वें स्थान पर पहुँच गया है हालाँकि, अभी भी वह ब्रिक्स देशों से पीछे है। अध्ययन में यह चेतावनी भी दी गई है कि देश के समक्ष प्रतिभा पलायन की स्थिति और खराब होने का गंभीर जोखिम है।

हर साल विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक के पहले दिन जारी होने वाली इस रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड सूची में पहले स्थान पर बना हुआ है। यह सूचकांक इस बात का आकलन करता है कि आखिर देश कैसे प्रतिभा का विकास करता है, उसे आकर्षित करता है और उसे बनाए रखता है। भारत की रैंकिंग ब्रिक्स देशों में सबसे खराब है। चीन सूची में 45वें, रूस 99वें, दक्षिण अफ्रीका 71वें तथा ब्राजील 72वें स्थान पर है। एडेको, इनसीड तथा टाटा कम्युनिकेशंस द्वारा जारी अध्ययन के अनुसार विकसित और अधिक आय वाले देश अभी वैश्विक प्रतिभा चौंपियन हैं, वहीं शहरों में ज्यूरिख, स्टॉकहोम और ओस्लो शीर्ष पायदान पर हैं। देशों में स्विट्जरलैंड के बाद सिंगापुर (दूसरा) और अमेरिका (तीसरा) का स्थान है। शीर्ष स्थान में यूरोपीय देशों का दबदबा है। ■

3. प्लास्टिक कचरे को समाप्त करने के लिए गठबंधन

प्लास्टिक एवं उपभोक्ता सामान वैल्यू चेन की वैश्विक कम्पनियों के एक गठबंधन ने पर्यावरण, विशेष रूप से महासागरों में प्लास्टिक कचरे को समाप्त करने के लिए उन्नत समाधानों हेतु एक नए संगठन की शुरूआत की है। एलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट के लिए क्रॉस वैल्यू शृंखला में फिलहाल लगभग 30 कम्पनियों ने भागीदारी की है। करीब 1.0 बिलियन यूएस डॉलर देने के वादे के साथ अगले पाँच वर्षो में 1.5 बिलियन डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यह एलायंस ऐसे समाधान विकसित व लागू करेगा जो प्लास्टिक कचरे को कम से कम करके उसका प्रबंधन करेगा। प्रयुक्त प्लास्टिक के समाधानों को प्रोत्साहित करके चक्रीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। गठबंधन की सदस्य कम्पनियों में उत्तर व दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका व मध्य पूर्व की कम्पनियाँ शामिल हैं। गठबंधन के अनुसार प्लास्टिक के कचरे का महानगरों या पर्यावरण में कहीं भी कोई स्थान नहीं है। यह एक जटिल तथा गंभीर वैश्विक चुनौती है, जिसके लिए तत्काल कार्यवाही करने और मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। इस प्रकार नया गठबंधन पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे को समाप्त करने का अब तक का सबसे बड़ा प्रयास है।

यह एलायंस एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिनमें प्लास्टिक का निर्माण, उपयोग, बिक्री, प्रसंस्करण, संग्रहण व पुनर्चक्रीकरण कराने वाली कम्पनियाँ हैं। इनमें रसायन व प्लास्टिक निर्माता, उपभोक्ता वस्तु कम्पनियाँ, रिटेलर, कन्वर्टर व कचरा प्रबंधन कम्पनियाँ शामिल हैं, जिन्हें प्लास्टिक मूल्य शृंखला कहा जाता है। यह एलायंस एक संस्थापक रणनीतिक भागीदार के रूप में वर्ल्ड बिजनेस कौंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहा है। एलायंस ने परियोजनाओं और गठबंधनों के शुरूआती सैट की घोषणा की है। ■

4. चीनी वैज्ञानिकों ने बनाए पाँच क्लोन बंदर

चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर जैसे कई मानवीय रोगों के पहलुओं के अध्ययन के लिए जीन्स में बदलाव कर क्लोन से पाँच बंदरों को जन्म दिया है और दावा किया है कि इससे चिकित्सा अनुसंधान में मदद मिलेगी। चीन ने चिकित्सा शोध के नाम पर अफ्रीका में पाए जाने वाले एक बंदर के जीन में बदलाव कर पाँच क्लोन तैयार किए हैं। दावा किया गया है कि इन क्लोन बंदरों पर जैविक घड़ी यानी सर्केडियन

रिदम संबंधी विकारों को लेकर शोध किया जाएगा। इन विकारों का संबंध कैंसर, नींद संबंधी समस्याओं, डिप्रेशन (अवसाद) और भूलने की बीमारी अल्जाइमर से होता है। सर्केडियन रिदम से ही हमारे सोने और उठने समेत शरीर की तमाम जैविक क्रियाएँ संचालित होती हैं। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि यह पहली बार हुआ है जब बायोमेडिकल रिसर्च के लिए एक जीन परिवर्तित बंदर से कई क्लोन तैयार किए गए हैं। शंघाई स्थित चाइना अकादमी के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस में इन क्लोन बंदरों का जन्म हुआ। एजेंसी ने चीनी जर्नल नेशनल साइंस रिव्यू के हवाले से बताया कि जीन परिवर्तित बंदर में इन विकारों का खतरा होता है और इस बंदर से पाँच क्लोन बंदर तैयार किए गए। कुछ दिन पूर्व ही जीन में परिवर्तन कर दुनिया के पहले मानव शिशु को जन्म देने का दावा चीन के वैज्ञानिकों ने किया था और इस अनाधिकृत प्रयोग को लेकर वैज्ञानिक जगत में उथल-पुथल मच गयी थी। ■

5. अरब आर्थिक और सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन

लेबनान की राजधानी बेरूत में अरब आर्थिक और सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कई अरब देशों के नेताओं ने शिखर सम्मेलन में 29-आइटम एजेंडे पर एक संयुक्त बयान देने का लक्ष्य रखा, जो एक अरब मुक्त व्यापार क्षेत्र पर चर्चा से लेकर मेजबान देशों पर सीरियाई शरणार्थियों के आर्थिक प्रभाव पर केन्द्रित है। बेरूत घोषणापत्र के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं-

- इस घोषणापत्र में अरब मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की अनुशंसा की गयी है।
- इस घोषणापत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शरणार्थियों को पनाह देने वाले देशों का सहयोग करने के लिए आग्रह किया गया है।
- इस घोषणापत्र के अनुसार अरब देशों में शरणार्थी संकट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा मानवीय संकट है। इससे आर्थिक विकास में काफी धीमापन आया है तथा ऋण व व्यय में काफी अधिक वृद्धि हुई है।
- पहले के अरब विकास सम्मेलनों में लिए गये फैसलों के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की गयी।

अगले अरब आर्थिक व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन मॉरिटानिया में 2023 में किया जाएगा। ■

6. अमेरिका-तालिबान में शांति समझौते को लेकर मसौदे की रूपरेखा पर बनी सहमति

अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते के लिए मसौदे की रूपरेखा पर सहमति बन गई है। हालाँकि शांति अभी भी काफी दूर है। अगर समझौता होता है तो हिंसा से बुरी तरह से त्रस्त अफगानिस्तान में 17 साल से चले आ रहे अमेरिका और तालिबान के संघर्ष पर विराम लग सकता है। इन 17 सालों के दौरान जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के आँकड़ों के अनुसार, 2009 से अब तक प्रत्येक साल अफगानिस्तान में 6000-11000 नागरिकों की जान गई है। पिछले सप्ताह कतर में अमेरिकी अधिकारियों और तालिबान के बीच छह दिन तक लगातार बातचीत हुई थी। वहीं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सोमवार को तालिबान से सरकार के साथ 'गंभीर वार्ता शुरू' करने का आह्वान किया, लेकिन तालिबान ने गनी सरकार को कठपुतली करार दिया था। शांति समझौते की बातचीत के दौरान संघर्ष विराम, विदेशी सैनिकों की वापसी की समय सीमा, कैदियों की अदला-बदली और आतंकवादियों के पनाहगाह को नहीं चलने देने की अनुमति जैसे मुद्दों पर काफी तनातनी रही। इससे पहले अफगान प्रशासन ने कतर की लंबी वार्ता से उसे दूर रखने की शिकायत की थी और चेतावनी दी कि अमेरिका और तालिबान के बीच किसी भी समझौते पर काबुल की हामी की जरूरत होगी। अफगानिस्तान पर 1996 से 2001 तक तालिबान का शासन था। हालाँकि 11 सितंबर, 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में दखल दिया और हमले किए थे। इसके चलते तालिबान सत्ता से बेदखल हो गया था, हालाँकि अभी भी यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा विद्रोही गुट है। ट्रंप प्रशासन तालिबान पर लगातार दबाव बना रहा है ताकि वह बातचीत के लिए राजी हो सके। अमेरिका युद्धविराम और सीधे बातचीत के वादे के बदले में अफगानिस्तान से सेना को हटाने का प्रस्ताव दे रहा है, वहीं तालिबान का कहना है कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद ही वह बातचीत के लिए राजी होगा। ■

7. मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल

इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स (IOHR) द्वारा विश्व में पहली बार मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल आरंभ किया गया है। यह चैनल लंदन स्थित ऑफिस से आरंभ किया गया है। मानवाधिकार को समर्पित यह टीवी चैनल वेब आधारित होगा लेकिन यह यूरोप, लैटिन अमेरिका और मध्य-पूर्व समेत 20 देशों के लोगों के लिए मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों पर कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। IOHR द्वारा आरंभ किये गये इस चैनल के ब्रॉडकास्ट को netgem.tv प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। फिलहाल इस चैनल पर अंग्रेजी में कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे हैं लेकिन, आगे चलकर फारसी, तुर्की, अरबी तथा रूसी भाषा में भी कार्यक्रम प्रसारित किये जा सकते हैं। इस चैनल को मुख्य रूप से मानवाधिकार की उन कहानियों को लोगों के सामने लाना है जिसे मुख्य मीडिया चैनल अकसर नजरअंदाज कर देते हैं। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

भारत में खनिज संसाधन

चर्चा का कारण

1.1 नीति आयोग द्वारा जारी स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 में कहा गया है कि भारत में खनिज संसाधनों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है।

1.2 विश्व के बहुत से देशों में खनिज सम्पदा राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक उन्नति उसके अपने प्राकृतिक संसाधनों के युक्तिसंगत उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करता है।

खनिज

2.1 खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप पदार्थ है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है।

2.2 खनिज तीन प्रकार के होते हैं- धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज।

2.3 खनिजों की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक बार उपयोग में आने के पश्चात ये लगभग समाप्त हो जाते हैं। अत: इनके संरक्षण की आवश्यकता बहुत ज्यादा है।

भारत में खनिज संसाधन

3.1 भारत प्रचुर खनिज संसाधन से सम्पन्न है। हमारे देश में 100 से अधिक खनिजों के प्रकार मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सामान ही भारत में लौह-अयस्क, बॉक्साइट कोयला, हीरे और भारी खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं।

3.2 परन्तु पेट्रोलियम तथा अन्य अलौह धातु के अयस्क जैसे ताँबा, जस्ता, टिन, ग्रेफाइट इत्यादि की भारत में स्थिति संतोषप्रद नहीं है।

3.3 भारत ने 5.71 लाख वर्ग किमी क्षेत्र की पहचान की है, जहाँ खनिज भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बावजूद भी कुल क्षेत्रों का केवल 1.5 प्रतिशत भाग पर ही खनिजों का खनन किया जा रहा है।

3.4 इसी कारण भारत महत्वपूर्ण खनिजों का आयात करना पड़ता है, जिसकी कुल कीमत लगभग 3,73,662 करोड़ रुपये है।

3.5 भारत में कच्चे खनिज तेल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं- असम, के लखीमपुर जिले में डिगबोई, ब्रह्मपुत्र घाटी गुजरात के अंकलेश्वर में, मुम्बई के उत्तर पश्चिम में 176 किमी दूर अरब सागर में जिसे 'मुंबई हाई' के नाम से जाना जाता है।

3.6 धातु खनिजों जैसे- बॉक्साइट, क्रोमाइट, लौह-अयस्क और मैंगनीज के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है।

3.7 औद्योगिक खनिजों में भारत जिंक, एल्युमीनियम और स्टील के उत्पादन में विश्व में 5वाँ स्थान रखता है।

3.8 भारत में छह: प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य हैं- ओडिशा, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक।

भारत में प्रमुख खनिज एवं उत्पादक राज्य

4.1 मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें, झारखंड का सिंहभूम जिला और राजस्थान की खेतड़ी खदानें ताँबे के लिए प्रसिद्ध हैं।

4.2 भारत में पाये जाने वाले मुख्य लौह- अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हैं, जिनमें 60 से 70% तक लोहा मिलता है। लौह-अयस्क सिंहभूम (झारखण्ड), उड़ीसा के क्योंझर, तलचर और मयूरभंज में, छत्तीसगढ़ के बैलाडिला में तथा कर्नाटक और गोवा में मिलता है।

4.3 भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यत: अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर-कटनी के पठारी प्रदेश में पाये जाते हैं।

4.4 भारत में मुख्य रूप से सोने की खान कोलार और हट्टी (रायचूर जिला) में हैं। ये दोनों खानें कर्नाटक राज्य में हैं।

4.5 अभ्रक के निक्षेप छोटानागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाये जाते हैं।

4.6 बिहार- हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आस-पास हैं।

4.7 आंध्रप्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है।

4.8 यह अधिकांशत: अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना-पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है।

सुझाव

5.1 निजी कंपनियों की भागीदारी के लिए 'भारत में अन्वेषण करें' जैसे मिशन को प्रारंभ करने की योजना बनाना चाहिए, साथ ही लाइसेंसिंग नीति में आमूल-चूल बदलाव करना चाहिए।

5.2 खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए टैक्स ढाँचे में परिवर्तन किया जाना चाहिए, जिससे एफडीआई (FDI) के माध्यम से निवेश संभव हो। ऐसे निवेश से निर्यात में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होगी।

5.3 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तत्वाधान में 'परिवेश' लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद एक सिंगल विंडो में ही पर्यावरण, वन्यजीव और CRZ को मंजूरी दी जा सके।

5.4 स्थानीय वन अधिकारियों को सशक्त किया जाए।

5.5 भूस्वामियों, किसानों एवं आदिवासियों को अपने जमीन पर लघु खनिजों के लिए खनन के अधिकार दिए जाएँ, जिससे बिना नीलामी या भुगतान के उन्हें लाभ मिल सके।

5.6 मालों की ढुलाई के लिए रेल भाड़ा शुल्क को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए।

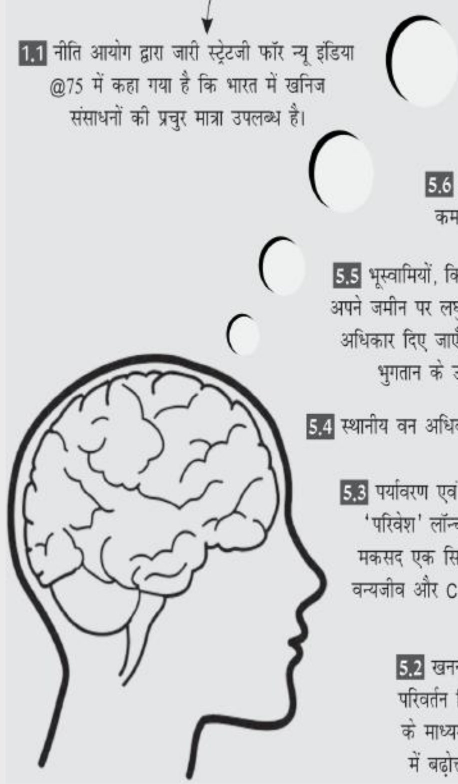

स्वायत्त जिला परिषदें

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में स्वायत्त परिषदों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने तथा असम , मिजोरम और त्रिपुरा में ग्राम पंचायतों तथा निगम परिषदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के लिए संविधान संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

1.2 केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संविधान के अनुच्छेद-280 तथा छठी सूची में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

स्वायत्त जिला परिषदें

2.1 स्वायत्त जिला परिषदों के स्थापन और कार्यकलाप भारत के संविधान की छठी अनुसूची के आधार पर निश्चित किये गये हैं। ये क्षेत्र संबंधित राज्य के कार्यपालक अधिकार के अन्दर तो आते हैं, परन्तु यहाँ की जिला और क्षेत्रीय परिषदों को कुछ विधायी और न्यायिक शक्तियाँ मिली हुई हैं।

2.2 राज्यपाल अधिसूचना निर्गत कर जनजातीय क्षेत्रों की सीमाओं को बाँट सकता है अथवा उनमें परिवर्तन कर सकता है।

प्रस्तावित संशोधन के उद्देश्य

3.1 इस संशोधन के बाद असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में राज्य वित्त आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा।

3.2 वित्त आयोग दस स्वायत्त जिला परिषदों और छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों और निगम परिषदों को वित्तीय अधिकार देने की सिफारिश करेगा। इससे जिला परिषदों और निगम परिषदों के पास पर्याप्त निधि होगी और इससे जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी।

3.3 साथ ही लोक कार्य विभाग, वन, जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शहरी विकास और खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति जैसे 30 विषय असम में कर्बी आंगलोंग स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद तथा दीमा हसाओ प्रादेशिक परिषद के क्षेत्राधिकार में आ जायेंगे।

3.4 संशोधन के बाद असम, मिजोरम और त्रिपुरा के छठी सूची में उल्लिखित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों तथा निगम परिषदों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित करनी होंगी। साथ ही इन परिषदों में कम से कम दो सदस्यों को नामित भी करना होगा। मेघालय में अभी महिलाओं को परिषदों में आरक्षण के प्रावधान से बाहर रखा गया है।

3.5 संशोधन में स्वायत्त परिषदों के क्षेत्राधिकारों के बढ़ने के बाद इनके पुन: नामकरण का भी प्रस्ताव किया गया है। साथ ही इनमें सीटें भी बढ़ायी जायेंगी।

वर्तमान स्थिति

4.1 असम में स्वायत्त परिषद के अधीन 6 जिलों में पंचायती राज संस्थाएँ नहीं हैं। ये 6 जिले हैं: कारबी आंगलोंग, उत्तरी कछार, बक्शा, कोकराझार, चिरांग तथा उदलगुड़ी।

4.2 पूरे अरूणाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएँ हैं। त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीएएडीसी) के अधीन आने वाले क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएँ नहीं हैं, लेकिन उनमें चुनी हुई ग्राम समितियाँ हैं।

4.3 त्रिपुरा में पंचायती राज संस्थाएँ हैं।

4.4 मणिपुर में पंचायती राज संस्थाएँ हैं। मेघालय, नागालैंड तथा मिजोरम में पंचायती राज संस्थाएँ नहीं हैं किन्तु मिजोरम में चुनी हुई ग्राम परिषदें हैं।

पूर्वोत्तर में विकेन्द्रीकृत शासन की पृष्ठभूमि

5.1 पंचायत राज मंत्रालय, पूर्वोत्तर राज्यों के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पंचायती राज संस्थाएँ अस्तित्व में नहीं है, वहाँ विकेन्द्रीकृत शासन को गहन बनाने की प्रक्रिया में जुटा है।

5.2 इस मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श की प्रक्रिया आरंभ की थी, जो क्षेत्र संविधान के भाग-9 से बाहर हैं, वे असम और त्रिपुरा के छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्र, संपूर्ण मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र हैं।

5.3 पंचायती राज, गृह, जनजातीय कार्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालयों के सदस्यों का एक दल अगस्त, 2010 से इन राज्यों का दौरा कर रहा है।

5.4 ग्राम परिषदों के गठन के लिए विधान भी तैयार किए गए हैं जिन्हें उन क्षेत्रों के लिए अपनाया जाएगा जहाँ न तो ग्राम परिषदें विद्यमान हैं और न ही ग्राम पंचायत।

प्रोजेक्ट री-वीव

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने हथकरघा बुनकरों के लिए एक नया ई-वाणिज्य मंच 'री-वीव डॉट इन' शुरू किया है। नये ई-वाणिज्य मंच से बुनकरों और ग्राहकों को एक-दूसरे से सीधे जुड़ने में मदद मिलेगी। इस वेबसाइट पर बुनकरों द्वारा तैयार कपड़ों के कई मशहूर संग्रह होंगे।

1.2 इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट ने 'कैड एंड कलर फॉर हैंडलूम वीविंग' (कैड और हथकरघा बुनाई के लिए रंग) शीर्षक से एक नया पाठ्यक्रम विकसित किया है। इसका उद्देश्य हैंडलूम डिजाइन में डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करना है।

पृष्ठभूमि

2.1 हथकरघा वस्त्र और हथकरघा बुनकर भारतीय सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग रहे हैं। भारत में कृषि के बाद हथकरघा एक महत्वपूर्ण लघु उद्योग के रूप में जाना जाता है।

2.2 हथकरघा उद्योग (जिसमें कपड़ा हाथ से बुना जाता है) भारत के प्राचीन और समृद्ध उद्योगों में से एक है, लेकिन पावरलूम के आने से इस उद्योग को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा जिसका सीधा असर बुनाई करके आमदनी कमाने वाले बुनकर परिवारों पर पड़ा।

2.3 इसके अंतर्गत मलमल छींट, दरी, खादी जैसी वस्तुएँ बनाई जाती हैं और हथकरघा उद्योग से निर्मित सामानों का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है, लेकिन वर्तमान में लोगों का मन हथकरघा उद्योग से भंग हो रहा है।

उद्देश्य

3.1 कारीगरों को मालों की खरीद व बिक्री के लिए लोगों को सीधे जोड़ना जिससे कि वे नए-नए ग्राहकों और बाजारों तक पहुँच बना सकें।

3.2 बुनकर समुदायों द्वारा बनाए गये उत्तम उत्पादों जैसे साड़ी, मलमल, छींट, दरी, खादी जैसी वस्तुओं को वैश्विक बाजार के सामने प्रस्तुत करना।

3.3 प्राकृतिक रंगों से तैयार किये गये पारम्परिक शैलियों और उत्पादों को अधिक से अधिक ग्राहकों के समक्ष रखना।

3.4 बुनकरों को अपनी आय बढ़ाने में तथा उनकी सतत आजीविका के लिए उन्हें सहायता पहुँचाना।

3.5 भारत की पुरानी पारम्परिक कला को फिर से जीवित करना ताकि उससे जुड़े हुए लोगों का इस उद्योग से मोहभंग ना हो।

चुनौतियाँ

4.1 कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा समूह है जिसमें मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये क्षेत्र करीब 6.5 मिलियन से अधिक परिवारों को रोजगार देता है। इसके बावजूद भी नीति-स्तर तथा आर्थिक विकास और सरकार द्वारा किए गए परिवर्तन बुनकरों की आवश्यकताओं और अस्तित्व के लिए बुनियादी जरूरतों के प्रति उदासीन रहे हैं।

4.2 वर्तमान में हथकरघा बुनकर जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उन्हें रेशम, कपास और अन्य प्रकार के सूत ऊँचे दाम पर मिलते हैं, जिससे इस उद्योग से जुड़े लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है।

4.3 इसके अलावा, हालिया आर्थिक नीतियों के अनुसार उत्पाद के प्रत्येक स्तर पर और साथ ही अंतिम उत्पाद पर जीएसटी लगाया जा रहा है। इससे पहले इस उद्योग से जुड़े हुए लोग व्यापारियों से बुनकर क्रेडिट के आधार पर सूत प्राप्त करते थे। लेकिन जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद से पहले जैसे इस बाजार में क्रेडिट के आधार पर काम करना असंभव हो गया है।

समाधान

5.1 वैश्विक स्तर पर नए-नए बाजारों की तलाश और हथकरघा उद्योग से जुड़े लोगों को सशक्त बना कर एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। ऐसे में नए सिरे से प्रयास किए जाने जरूरी हैं जो इस उद्योग और इससे जुड़े कारीगरों की बेहतरी की राह सुझाएँ।

5.2 वर्ष 2015-16 के दौरान हस्तशिल्प कारोबार में बीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस परंपरागत व्यवसाय को सहेजते हुए देश और इस उद्योग से जुड़े लोगों की खातिर बेहतरी की राहें खोलने के लिए प्रयास किए जाने आवश्यक हैं, न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि आमजन को भी इन उत्पादों से जोड़ने की दरकरार है।

5.3 हथकरघा उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए जन जागरूकता लाना जरूरी है।

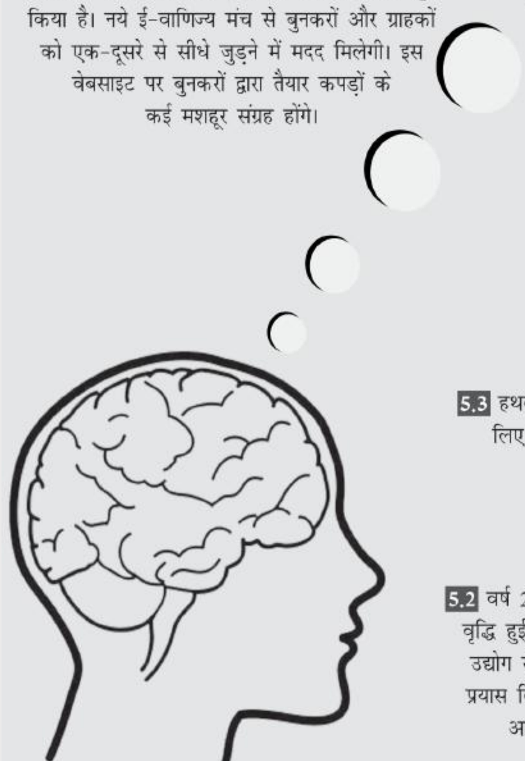

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme– NSAP) के अन्दर दिए जाने वाले मासिक पेंशन में कुछ परिवर्तन के सुझाव दिए हैं। इस प्रकार सरकार सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं पर अपना खर्च बढ़ा सकती है।

पृष्ठभूमि

2.1 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) एक कल्याणकारी कार्यक्रम है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। यह कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है।

2.2 संविधान का अनुच्छेद-41 राज्य को अपने नागरिकों को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले और अन्य अवांछित परिस्थितियों में अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर सरकारी सहायता प्रदान करने के लिए निर्देश देता है।

2.3 इन बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त, 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था।

2.4 इसके अंतर्गत निर्धन परिवारों को, वृद्धावस्था, प्रमुख जीविकोपार्जन तथा मातृत्व के मामले में सामाजिक सहायता के लिए एक राष्ट्रीय नीति शुरू की गई है।

उद्देश्य

3.1 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शत-प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे लाभ के अतिरिक्त सामाजिक सहायता का न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना है, जो राज्य पहले से दे रहे हैं अथवा भविष्य में प्रदान करेंगे।

3.2 यह कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन और बुनियादी आवश्यकताओं की व्यवस्था हेतु संचालित योजनाओं के साथ सामाजिक सहायता उपायों को जोड़ने के अवसर प्रदान करता है। विशेष रूप से वृद्धावस्था पेंशन को वृद्ध गरीबों के लिए चिकित्सा देखभाल और अन्य लाभों के साथ जोड़ा जा सकता है।

3.3 ऐसे गरीब परिवारों, जिनका आजीविका कमाने वाला नहीं रहा हो, को परिवार लाभ योजना के अतिरिक्त स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी सहायता दी जा सकती है। मातृत्व सहायता को जच्चा-बच्चा देखभाल कार्यक्रम से जोड़ा गया है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

4.1 भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 65 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन देने की पात्रता में सरकार ने 13 सितंबर, 2007 को संशोधन किया। इस प्रकार पेंशन योजना को सबके लिए सुगम किया गया।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

5.1 फरवरी 2009 में सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली 40 से 64 वर्ष के आयुवर्ग की विधवाओं को प्रतिमाह 200 रुपये पेंशन देने को मंजूरी दी।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना

6.1 गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 18 से 64 साल के आयु समूह के उन लोगों के लिए जो गंभीर और एकाधिक विकलांगता के शिकार हैं, सरकार ने फरवरी 2009 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) के तहत प्रतिमाह 200 रुपये पेंशन दिये जाने का शुभारंभ किया।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

7.1 इस योजना की शुरूआत के समय परिवार में जीविकोपार्जन करने वाले प्रथम सदस्य की प्राकृतिक कारणों से मौत की स्थिति में 5000 रुपये और दुर्घटना की वजह से मौत की स्थिति में 10,000 रुपए का अनुदान शोक संतप्त परिवार को प्रदान किया जाता है।

7.2 योजना में जीविकोपार्जन करने वाले प्रथम सदस्य के रूप में जिसे परिभाषित किया गया, चाहे वह पुरुष हो या महिला।

7.3 मौत के समय ऐसे सदस्य की उम्र 18 से 64 वर्ष के बीच अर्थात 18 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से कम होने पर उसका परिवार योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने का पात्र होता है।

एनएसएपी के तहत पारदर्शिता

8.1 पात्र व्यक्तियों को पेंशन के वितरण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया है कि राज्य लाभार्थियों का एक डेटाबेस तैयार रखेंगे और इसे सार्वजनिक किया जाएगा। डेटाबेस में लाभार्थी की तस्वीर सहित उनके सभी आवश्यक विवरण शामिल होंगे।

लोकपाल

चर्चा का कारण

1.1 लोकपाल की नियुक्ति में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केन्द्र सरकार से पूछा है कि आखिर लोकपाल की नियुक्ति में देरी क्यों हो रही है? साथ ही जवाब मांगा है कि अब तक इस सिलसिले में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

समस्या क्या?

2.1 केंद्र की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने पीठ से कहा था कि आधारभूत सुविधाओं की कमी और मैनपावर जैसी कुछ समस्याएँ हैं, जिस कारण से सर्च कमेटी इस मुद्दे पर विचार-विमर्श नहीं कर पा रही है।

पृष्ठभूमि

3.1 2013 में लागू किए गए लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट को 1 जनवरी, 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी और 16 जनवरी, 2014 को ये लागू किया गया था। हालाँकि पहले लोकपाल की नियुक्ति होनी अभी भी बाकी है, वहीं कुछ राज्यों में अभी तक लोकायुक्त तक को नियुक्त नहीं किया गया है।

क्या है लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम-2013

4.1 इस अधिनियम के तहत लोकपाल केंद्र व लोकायुक्त राज्य के लिए उत्तरदायी होगा और संबंधित क्षेत्र के कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और इससे संबंधित मामलों की जाँच करेगा।

4.2 यह अधिनियम पूरे भारत में, यहाँ तक कि जम्मू और कश्मीर सहित देश से बाहर रह रहे लोकसेवकों पर भी लागू होगा।

4.3 लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों, लोक प्रशासन, निगरानी, वित्त आदि से संबंधित मामलों का विशेषज्ञ व 25 साल का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात व्यक्ति लोकपाल का अध्यक्ष हो सकता है।

कौन लोकपाल नहीं हो सकता?

5.1 संसद सदस्य या किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की विधानसभा का सदस्य।

5.2 ऐसा व्यक्ति जिसे किसी प्रकार के नैतिक भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया हो।

5.3 ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र अध्यक्ष या सदस्य का पद ग्रहण करने तक 45 साल न हुई हो।

5.4 किसी पंचायत या निगम का सदस्य।

5.5 ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य या केंद्र सरकार की नौकरी से बर्खास्त या हटाया गया हो।

लोकपाल के अधिकार

6.1 कुछ मामलों में लोकपाल के पास दीवानी अदालत के अधिकार भी होंगे।

6.2 लोकपाल के पास केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवा का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा।

6.3 संपति को अस्थायी तौर पर नत्थी (अटैच) करने का अधिकार।

6.4 विशेष परिस्थितियों में भ्रष्ट तरीके से कमाई गई संपति, आय, प्राप्तियों या फायदों को जब्त करने का अधिकार।

6.5 भ्रष्टाचार के आरोप वाले सरकारी कर्मचारी के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार।

6.6 शुरुआती जाँच के दौरान उपलब्ध रिकॉर्ड को नष्ट होने से बचाने के लिए निर्देश देने का अधिकार।

6.7 अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार।

6.8 केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए उतनी विशेष अदालतों का गठन करना होगा, जितनी लोकपाल बताए।

6.9 विशेष अदालतों को मामला दायर होने के एक साल के अंदर उसकी सुनवाई पूरी करना सुनिश्चित करना होगा।

6.10 अगर एक साल में यह सुनवाई पूरी नहीं हो पाती तो विशेष अदालत इसके कारणों को दर्ज करेगी और सुनवाई तीन महीने में पूरी करेगी। यह अवधि तीन-तीन महीने के हिसाब से बढ़ाई जा सकती है।

जाँच शाखा

7.1 अगर कोई जाँच कमेटी मौजूद नहीं है तो भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शुरुआती जाँच के लिए लोकपाल एक जाँच शाखा का गठन कर सकता है, जिसका नेतृत्व एक निदेशक करेगा।

अभियोजन शाखा

8.1 किसी सरकारी कर्मचारी पर लोकपाल की शिकायत की पैरवी के लिए लोकपाल एक अभियोजन शाखा का गठन करेगा जिसका नेतृत्व एक निदेशक करेगा।

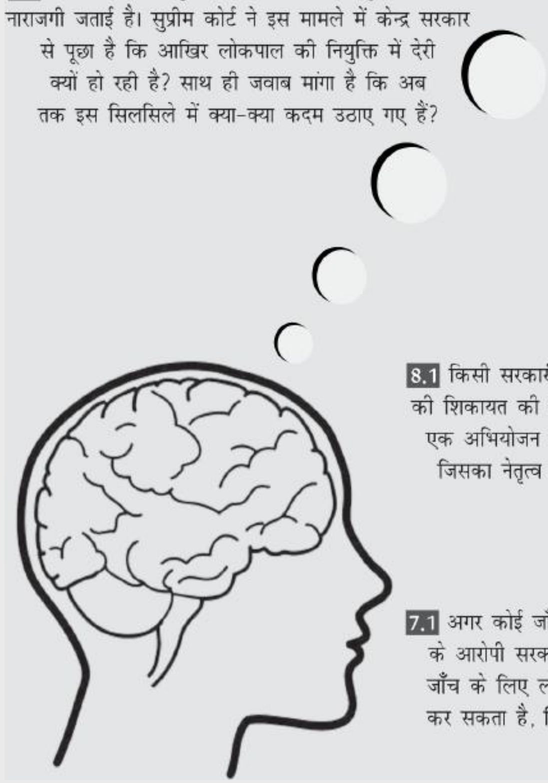

वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2018

चर्चा का कारण

1.1 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपने आउटलुक में कहा है कि 2019 में तेल की कीमतें अमेरिका-चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर और अमेरिकी डॉलर के रुख से प्रभावित होंगी।

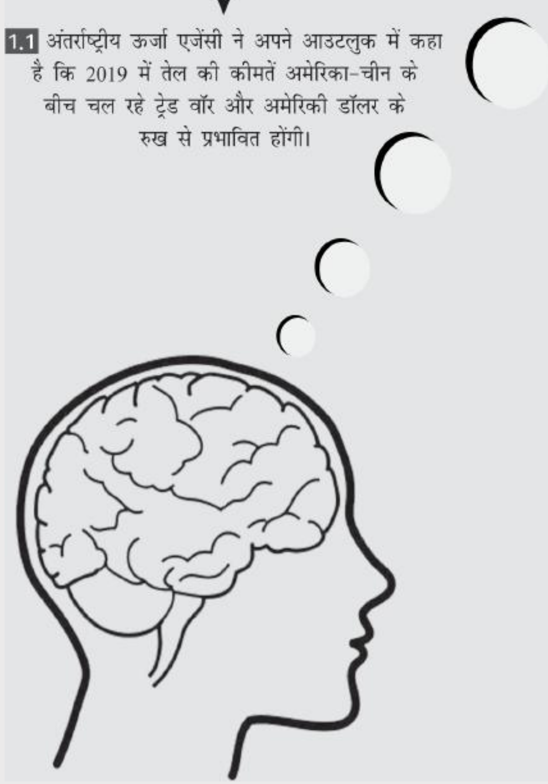

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी

2.1 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी तेल, गैस, कोयले की आपूर्ति और मांग, नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक, विद्युत बाजार, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा तक पहुँच सहित आदि मुद्दों का परीक्षण करता है। इसमें 30 सदस्य देश शामिल हैं, जबकि 8 सहयोगी देश सम्मिलित हैं।

2.2 इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। भारत 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का एक सहयोगी देश बना।

2.3 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के चार प्रमुख कार्य हैं-

2.3.1 ऊर्जा सुरक्षा- इसके लिए विविधता को प्रोत्साहन देना, दक्षता ऊर्जा के सभी स्रोतों तक पहुँच एवं विश्वसनीयता को बढ़ावा देना शामिल है।

2.3.2 आर्थिक विकास- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुक्त बाजारों का समर्थन करना तथा ऊर्जा की कमी को समाप्त करना।

2.3.3 पर्यावरण जागरूकता- वायु प्रदूषक एवं जलवायु परिवर्तन के कारकों का अध्ययन करना। इसके अलावा पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से निपटने के लिए रणनीति बनाना।

2.3.4 विश्व के देशों के साथ समन्वय- विश्व के प्रमुख देशों के संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए नवोन्मेष स्थापित करना।

वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के प्रमुख बिंदु

3.1 वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जारी अभियानों और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के बढ़ते इस्तेमाल के कारण वर्ष 2030 तक कोयले की जगह ऊर्जा के दूसरे बड़े स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग होने लगेगा।

3.2 वर्ष 2040 तक ऊर्जा की मांग में चौगुनी बढ़ौतरी हो जाएगी। इस दौरान वैश्विक गैस की मांग भी 1.6 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ेगी और आज के मुकाबले यह मांग 45 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

3.3 आईईए ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2018 में अपने नवीनतम एसेसमेंट में कहा कि पहली बार बिजली की सुविधा नहीं पाने वाले लोगों की संख्या एक अरब से कम हुई है।

3.4 नीति नियंताओं को कीमती पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए सामुदायिक स्तरीय नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था करने पर विचार करना चाहिए।

3.5 तेल और कोयले का सबसे बड़ा आयातक देश चीन जल्द ही प्राकृतिक गैस का भी सबसे बड़ा आयातक होगा और वर्ष 2040 तक इसका कुल आयात बढ़कर यूरोपीय संघ के स्तर पर पहुँच जाएगा। प्राकृतिक गैस की खपत के मामले में फिलहाल चीन का स्थान तीसरा है। पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे पर रूस हैं।

3.6 कोयले के इस्तेमाल में पिछले दो वर्षों में गिरावट देखे जाने के बाद इसका इस्तेमाल पुन: बढ़ गया है।

3.7 2017 में CO_2 के उत्सर्जन में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा उत्सर्जन की मात्रा 2018 में भी बढ़ी है। वायु प्रदूषण के कारण लाखों लोग समय से पहले मृत्यु का शिकार हो रहे हैं।

भारत सरकार के प्रयास

4.1 सरकार हर गांव के प्रशासनिक केंद्रों व महत्वपूर्ण संस्थानों के साथ ही हर परिवार को बिजली सुनिश्चित करते हुए घर-घर को बिजली पहुंचाने की अपनी योजना के अगले चरण में तेजी से आगे बढ़ रही है।

शीर्ष दस वैश्विक खतरे

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में डब्ल्यूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) की आधिकारिक वेबसाइट पर 2019 में स्वास्थ्य संबंधित शीर्ष दस वैश्विक खतरों की सूची जारी की गई है, जिसमें इंसानों पर पड़ने वाले उनके स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर चेताया गया है।

वायु प्रदूषण

2.1 डब्ल्यूएचओ के मुताबिक शीर्ष दस स्वास्थ्य खतरों में वायु प्रदूषण सबसे बड़ा पर्यावरणीय खतरा है। दुनिया में दस में से नौ लोग हर दिन प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से 2030 से 2050 के बीच 2.50 लाख मौतें अनुमानित हैं।

गैर संक्रामक रोग

3.1 संक्रमण रोगों के खतरों से इतर दुनिया भर में हर साल तकरीबन 70 फीसद मौतें गैर संक्रामक रोगों जैसे मधुमेह, कैंसर और हृदय की बीमारियों से होती हैं, जो तंबाकू व शराब के सेवन, बिगड़ी हुई जीवनशैली, शारीरिक निष्क्रियता, गैर स्वास्थ्यकर खान-पान और वायु प्रदूषण से जन्म लेती हैं। हर साल 30 से 69 साल की उम्र के 1.5 करोड़ लोग इन बीमारियों की चपेट में आकर मर जाते हैं।

एंटीबॉयोटिक का अधिक इस्तेमाल

4.1 दुनिया भर में लोग गैरजरूरी और छोटी-मोटी शारीरिक परेशानियों में एंटीबॉयोटिक दवाओं का सेवन करने से नहीं चूकते हैं, जिस वजह से शरीर पर इनका असर होना बंद हो जाता है। नतीजतन सामान्य संक्रमण और बीमारियाँ भी प्राणघातक बन जाती हैं।

इनफ्लूएंजा महामारी

5.1 इनफ्लूएंजा वायरस भविष्य में महामारी के रूप में सामने आ सकता है। डब्ल्यूएचओ संभावित महामारी की वजहों का पता लगाने के लिए इनफ्लूएंजा वायरस के प्रसार की लगातार निगरानी कर रहा है।

आपदा और संकट

6.1 1.6 अरब से अधिक लोग (तकरीबन 1/5 वैश्विक आबादी) सूखा, अकाल, संघर्ष और विस्थापन जैसे संकटग्रस्त स्थानों पर रहने के लिए मजबूर हैं।

इबोला

7.1 दुनिया के सबसे खतरनाक रोगों में से एक, इबोला वायरस एक संकट बना हुआ है। अफ्रीका के ग्रामीण क्षेत्रों से फैला इबोला मौजूदा समय में घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में लोगों को चपेट में ले चुका है। इबोला के अलावा, वैज्ञानिक संक्रमण, बुखार, जीका, निपाह वायरस को लेकर भी चेता चुके हैं।

टीकाकरण में संकोच

8.1 आसानी से टीकाकरण की उपलब्धता के बावजूद टीकाकरण कराने में संकोच अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। बीमारी से बचाव के सबसे किफायती तरीकों में से एक टीकाकरण हर साल 20 से 30 लाख मौतों को रोकता है। इस प्रवृति में सुधार लाकर इस साल 15 लाख मौतों को टाला जा सकता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव

9.1 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित जरूरतों को पूरा कर सकती है और कई गंभीर बीमारियों की रोकथाम हो सकती है। कई देशों में पर्याप्त प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ नहीं हैं।

डेंगू

10.1 मच्छरों द्वारा जनित ये बीमारी पिछले दो दशकों से खतरा बनी हुई है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इस साल डेंगू के अनुमानित 39 करोड़ मामले सामने आ सकते हैं और दुनिया की 40 फीसद आबादी डेंगू के खतरे में हैं।

एचआइवी

11.1 लगभग 2.2 करोड़ लोग वर्तमान में एचआइवी का इलाज करा रहे हैं। 3.7 करोड़ लोग दुनिया भर में एचआइवी से पीड़ित हैं जिनमें से 30 लाख बच्चे और किशोर हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया 2030 तक बच्चों और किशोरों के बीच एड्स को खत्म करने का प्रयास पटरी पर नहीं हैं।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. भारत में खनिज संसाधन

प्र. भारत में खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. क्रोमाइट, बॉक्साइट, लौह-अयस्क और मैंगनीज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है।
2. 'परिवेश' एक पहल है जिसका उद्देश्य एक सिंगल विंडो में ही पर्यावरण, वन्यजीव और सीआरजेड (CRZ) को मंजूरी प्रदान करना है।
3. भारत में सोने के खान कोलार तथा हट्टी में हैं, जो तेलंगाना में स्थित हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (c)

व्याख्याः धातु खनिजों जैसे- बॉक्साइट, क्रोमाइट, लौह-अयस्क और मैंगनीज के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तत्वावधान में 'परिवेश' लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद एक सिंगल विंडो में ही पर्यावरण, वन्यजीव और सीआरजेड (CRZ) को मंजूरी मिल सके। भारत में सोने की खान कोलार तथा हट्टी (रायचूर जिला) में पाये जाते हैं जो कर्नाटक में स्थित हैं। इस प्रकार कथन (2) सही है जबकि अन्य कथन गलत हैं। ■

2. स्वायत्त जिला परिषदें

प्र. स्वायत्त जिला परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापन और कार्यकलाप भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के आधार पर निश्चित किये जाते हैं।
2. मुख्यमंत्री अधिसूचना द्वारा जनजातीय क्षेत्रों की सीमाओं को बाँट सकता है, अथवा उनमें परिवर्तन कर सकता है।
3. अरुणाचल प्रदेश व मणिपुर में पंचायती राज संस्थाएँ विद्यमान हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) केवल 2 और 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः भारत में स्वायत्त परिषदों के स्थापन और कार्यकलाप भारत के संविधान की छठी अनुसूची के आधार पर निश्चित किये गए हैं, न कि पाँचवीं अनुसूची के आधार पर। राज्यपाल अधिसूचना निर्गत कर जनजातीय क्षेत्रों की सीमाओं को बाँट सकता है अथवा उनमें परिवर्तन कर सकता है। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश व मणिपुर में पंचायती राज संस्थाएँ विद्यमान हैं। इस प्रकार कथन 1 व 2 गलत हैं, जबकि कथन 3 सही है। ■

3. प्रोजेक्ट री-वीव

प्र. प्रोजेक्ट री-वीव (Re-weave) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. गूगल ने हथकरघा बुनकरों के लिए एक नया ई-वाणिज्य मंच री-वीव डॉट इन शुरू किया है।
2. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत की हथकरघा उद्योग जैसी पुरानी पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करना है।
3. कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा समूह है जिसमें मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने हथकरघा बुनकरों को सहायता पहुँचाने के लिए री-वीव परियोजना के अंदर एक नये ई-वाणिज्य मंच का अनावरण किया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत की हथकरघा उद्योग जैसी पुरानी पारम्परिक कला को पुनर्जीवित करना है, ताकि बुनकरों को अपनी आय बढ़ाने में मदद मिल सके। यह क्षेत्र करीब 6.5 मिलियन से अधिक परिवारों को रोजगार देता है, जो कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा बड़ा उद्योग है। इस प्रकार कथन 2 व 3 सही हैं जबकि कथन 3 गलत है। ■

4. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

प्र. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह एक कल्याणकारी कार्यक्रम है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 15 अगस्त, 1995 में प्रारंभ किया गया था।
3. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3 (d) केवल 1 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक कल्याणकारी कार्यक्रम है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। यह कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी लागू है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि अन्य दोनों कथन सही हैं। ■

5. लोकपाल

प्र. लोकपाल अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस अधिनियम के तहत लोकपाल केन्द्र व राज्य के लिए उत्तरदायी होगा।
2. यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा।
3. कुछ मामलों में लोकपाल के पास दीवानी अदालत के अधिकार भी होंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/ हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: लोकपाल अधिनियम के तहत लोकपाल केन्द्र के लिए उत्तरदायी होगा, न कि राज्य के लिए। लोकायुक्त अधिनियम-2013 के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है। लोकपाल अधिनियम पूरे भारत (जम्मू-कश्मीर सहित) यहाँ तक कि देश से बाहर रह रहे लोकसेवकों पर भी लागू होगा। इस प्रकार कथन 1 व 2 गलत हैं, जबकि कथन 3 सही है। ■

6. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी

प्र. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1976 में हुई थी, तथा इसका मुख्यालय नीदरलैण्ड के हेग में स्थित है।
2. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख कार्यों में ऊर्जा की दक्षता, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता व विभिन्न देशों के साथ समन्वय स्थापित करना शामिल हैं।
3. भारत 2010 में इस संगठन में शामिल हुआ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 3

उत्तर: (c)

व्याख्या: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। भारत 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सहयोगी देश बना। उक्त संदर्भ में दिये गए कथनों में कथन (2) सही है, जबकि अन्य कथन गलत हैं। ■

7. विश्व स्वास्थ्य संगठन

प्र. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शीर्ष दस वैश्विक खतरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. शीर्ष दस वैश्विक खतरों में इबोला वायरस का नाम नहीं है।
2. डब्ल्यूएचओ, इनफ्लूएंजा वायरस के प्रसार की लगातार निगरानी कर रहा है।
3. डब्ल्यूएचओ के अनुसार शीर्ष स्वास्थ्य खतरों में एचआइवी सबसे बड़ा खतरा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2

(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 1 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: डब्ल्यूएचओ के मुताबिक शीर्ष दस स्वास्थ्य खतरों में वायु प्रदूषण सबसे बड़ा पर्यावरणीय खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर 2019 में स्वास्थ्य से संबंधित शीर्ष दस वैश्विक खतरों में इबोला वायरस भी शामिल है, जिसका सबसे ज्यादा प्रसार अफ्रीका महाद्वीप के ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। इस प्रकार दिये गए कथनों में कथन (2) सही है, जबकि अन्य दो कथन गलत हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में किस प्रसिद्ध साहित्यकार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया?

   –कृष्णा सोबती

2. हाल ही में केन्द्रीय कैबिनेट ने उत्तर पूर्वी भारत में स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों को मजबूत बनाने के लिए किस अनुच्छेद में संशोधन को मंजूरी दी है?

   –अनुच्छेद 280

3. हाल ही में मतदाता दिवस मनाया गया। यह दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है?

   –25 जनवरी

4. हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ सभी प्रकार के राजनीतिक संबंध समाप्त किये जाने की घोषणा की है?

   –वेनेजुएला

5. हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। यह प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है?

   –24 जनवरी

6. नासा का वह मिशन जिसके द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर नासा ने शनि ग्रह के छल्लों की आयु 1 से 10 करोड़ वर्ष के बीच बताई है।

   –कैसिनी मिशन

7. वह शहर जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए विश्व की पहली आर्किटेक्चर राजधानी घोषित किया गया है।

   –रियो डी जेनेरियो

सात महत्वपूर्ण पुरस्कार

1. भारत रत्न

- भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है।
- इस पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी।
- अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। प्रारम्भ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, यह प्रावधान 1955 में बाद में जोड़ा गया।
- एक वर्ष में अधिकतम तीन व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है।

भारत रत्न- 2019, वर्ष 2019 का यह सम्मान 26 जनवरी, 2019 को तीन लोगों को प्रदान किया गया है:

प्रणव कुमार मुखर्जी (जन्म: 11 दिसम्बर 1935, पश्चिम बंगाल)

- भारत के तेरहवें राष्ट्रपति रह चुके हैं। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।

भूपेन हजारिका (8 सितंबर, 1926- 5 नवम्बर 2011)

- भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम से एक बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार और गायक थे। इसके अलावा वे असमिया भाषा के कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति और संगीत के अच्छे जानकार भी रहे थे।

नानाजी देशमुख (जन्म :11 अक्टूबर 1916,27 फरवरी 2010)

- नानाजी देशमुख एक भारतीय समाजसेवी थे। वे पूर्व में भारतीय जनसंघ के नेता थे।

अन्य तथ्य

- मूल रूप में इस सम्मान के पदक का डिजाइन 35 मिमि गोलाकार स्वर्ण मैडल था जिसमें सामने सूर्य बना था, ऊपर हिन्दी में भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्प हार था और पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिह्न था, फिर इस पदक के डिजाइन को बदल कर तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना दिया गया जिसके नीचे चाँदी में लिखा रहता है 'भारत रत्न' और यह सफेद फीते के साथ गले में पहना जाता है।
- अब तक कुल 48 हस्तियों को भारत रत्न से पुरस्कृत किया जा चुका है।

2. पद्म विभूषण–2018

- पद्म पुरस्कार कई क्षेत्रों में दिए जाते हैं, इसमें शामिल हैं: सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान व इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, औषधि, साहित्य व शिक्षा, खेल व सिविल सेवा। यह पुरस्कार तीन श्रेणियों मे दिए जाते हैं-
  - पद्म विभूषण अद्वितीय व विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।
  - पद्म भूषण उत्कृष्ठ सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।
  - पद्म श्री किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

पद्मविभूषण–2019

- विजेता का नाम - क्षेत्र - राज्य/देश
  - तीजन बाई - कला क्षेत्र - लोकगीत - छत्तीसगढ़
  - इस्माइल उमर गुलेह - सार्वजनिक मामले - जिबूती के राष्ट्रपति
  - अनिल कुमार मिणभाई नाइक - व्यापार व उद्योग - महाराष्ट्र
  - बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे - अभिनय - थिएटर - महाराष्ट्र

3. साहित्य अकादमी पुरस्कार

- इस पुरस्कार को साहित्य अकादमी द्वारा 1954 से दिया जाता है। अंग्रेजी सहित 22 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है।
- पुरस्कार के रूप में इनाम राशि 1 लाख रुपये दी जाती है। एक उत्कीर्ण ताम्र फलक तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है।
- 29 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित हुए विशेष समारोह में विजेताओं को पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये की राशि, एक उत्कीर्ण ताम्रफलक और शॉल प्रदान की गयी।

- हिन्दी में चित्रा मुद्गल, अंग्रेजी में अनीस सलीम, उर्दू में रहमान अब्बास, संस्कृत में रमाकांत शुक्ल और पंजाबी में मोहनजीत सहित कुल 24, भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई।

4. राजीव गांधी खेल रत्न

- राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार की शुरूआत 1991-92 में हुई।
- इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख रुपये पुरस्कृत व्यक्ति को दिये जाते है।
- राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को पाने वाले पहले व्यक्ति विश्वनाथन आनंद (शतरंज) हैं।
- 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और स्टार महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है।

5. सयुंक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार

- मानव अधिकारों की रक्षा में सबसे अधिक समर्थन देने वाले संगठनों और व्यक्तियों को मानवाधिकार के क्षेत्र में, संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार द्वारा हर 5 साल में सम्मानित किया जाता है।
- पाकिस्तान की साहसी मानव अधिकार कार्यकर्ता एवं वकील स्वर्गीय असमा जहांगीर (मरणोपरांत) को तीन अन्य लोगों एवं संगठनों के साथ मानव अधिकार के क्षेत्र में 2018 का संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीन अन्य विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं-
    - तंजानिया की महिला एवं बालिक अधिकार कार्यकत्री रेबेका जियूमी।
    - ब्राजील की स्वदेशी समुदायों के अधिकारों के लिए कार्य करने वाली जोनिया वापीचाना तथा
    - आयरलैंड के मानवाधिकार संगठन फ्रंटलाइन डिफेंडर।
- 2018 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 70वीं वर्षगांठ पर, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को 18 दिसंबर को जनरल असेंबली हॉल में सम्मानित किया गया।

6. गांधी शांति पुरस्कार

- भारत सरकार द्वारा गाँधी शांति पुरस्कार भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। गांधी जी के शांति सिद्धांतों को श्रद्धांजलि स्वरूप, भारत सरकार ने यह पुरस्कार 1995 में उनके 125वें जन्म-दिवस पर आरंभ किया था।
- यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलावों के लिए अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों द्वारा योगदान किया है।
- इस पुरस्कार में एक करोड़ रुपये नकद और प्रशस्तिपत्र दिया जाता है।
- पुरस्कार विजेता का फैसला एक जूरी द्वारा किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधान न्यायाधीश और दो अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं।
- इस पुरस्कार से अंतिम बार वर्ष 2014 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को सम्मानित किया गया था।
- वर्ष 2015 के लिए कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र
- वर्ष 2016 के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को संयुक्त रूप से,
- वर्ष 2017 के लिए एकल अभियान ट्रस्ट और,
- वर्ष 2018 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत योहेई ससाकावा को इस पुरस्कार से नवाजा गया है।
- विवेकानंद केंद्र को शिक्षा एवं ग्रामीण विकास, अक्षय पात्र को देशभर में बच्चों को मिड डे मील वितरण, सुलभ इंटरनेशनल को सिर पर मैला ढोने से मुक्ति दिलाने, एकल को आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार तथा योहेई को कुष्ठरोग उन्मूलन में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है।

7. सरस्वती सम्मान

- सरस्वती सम्मान के.के. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के भारतीय लेखकों की पिछले 10 सालों में प्रकाशित साहित्यिक कृति को पुरस्कृत किया जाता है।
- सरस्वती सम्मान में शॉल, प्रशस्ति चिह्न और पंद्रह लाख रूपये की राशि दी जाती है।
- सरस्वती सम्मान का आरम्भ 1991 में किया गया था।
- पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉ. हरिवंश राय बच्चन को उनकी चार खंड़ों की आत्मकथा के लिए दिया गया था।
- डोगरी की साहित्यकार पद्मा सचदेव को वर्ष 2015 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान उनकी आत्मकथा चित्त-चेत के लिए दिया गया।
- सरस्वती सम्मान वर्ष 2016 के लिए कोंकणी के जाने-माने साहित्यकार महाबलेश्वर सैल को चुना गया था। उनके उपन्यास 'हाउटन' के लिए उनको यह सम्मान दिया गया।
- 27 अप्रैल, 2018 को प्रसिद्ध गुजराती कवि सीतांशु यशचंद्र को साल 2017 के 27वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था। सीताशु यशचंद्र को यह सम्मान उनके कविता संग्रह 'वखार' के लिए यह पुरस्कार दिया गया।

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. विकासशील और विकसित देशों के बीच सब्सिडी के मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन में क्या गतिरोध है? विवेचना कीजिए।

2. डिजिटल इंडिया से आप क्या समझते हैं? इस कार्यक्रम के मार्ग में आने वाली चुनौतियों की चर्चा करते हुए इसे दूर करने के उपाय बताइए?

3. भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय होने के कारणों को बताते हुए उसके प्रभाव की चर्चा करें?

4. उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? भारत में उपनिवेशवाद ने किस तरह से औद्योगीकरण और शहरीकरण को प्रभावित किया? चर्चा करें।

5. नीली क्रांति को परिभाषित करते हुए, भारत में मत्स्यपालन की समस्याओं और सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की चर्चा करें।

6. क्या आप इस कथन से सहमत है कि ''भारत में कॉपोरेट प्रशासन के मानदंडों में गिरावट आयी है जबकि विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के कॉरपोरेट प्रशासन के मानदंडों में सुधार हुआ है।'' अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

7. गैर-सरकारी भागीदारी योजना (PPP) मॉडल से आप क्या समझते हैं? देश के आधारभूत संरचना के निर्माण में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें।

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

Dhyeya IAS has been writing success stories for one and a half decades. Once again Dhyeya IAS has scripted new saga of success with 120+ selections.

SHIVANI GOYAL
AIR-15

GAURAV KUMAR
AIR-34

VISHAL MISHRA
AIR-49

AMOL SHRIVASTAVA
AIR-83

PRATEEK JAIN
AIR-86

SUNNY KUMAR SINGH
AIR-91

PRIYANKA BOTHRA
AIR-106

SURAJ KUMAR RAI
AIR-117

DEEPANSHU KHURANA
AIR-120

SAURABH SABHLOK
AIR-124

ABHINAV CHOUKSEY
AIR-143

ANIRUDH
AIR-146

DESHMUKH YATISH VAJIRAO
AIR159

SAURABH GUPTA
AIR-192

SAI PRANEETH
AIR-196

SHUBHAM AGGARWAL
AIR-202

HARSH SINGH
AIR-244

KATYAYANI BHATIA
AIR-246

SHIV NARAYAN SHARMA
AIR-278

SHAKTI MOHAN AWASTHY
AIR-296

LAVANYA GUPTA
AIR-298

BUDUMAJJI SATYA PRASAD
AIR-313

GAURAV GARG
AIR-315

SHAIKH SALMAN
AIR-339

YOGNIK BHAGEL
AIR-340

SAKSHI GARG
AIR-350

AMIT KUMAR
AIR-361

PUNEET SINGH
AIR-383

ANUPAMA ANJALI
AIR-386

VIJAY TANEJA
AIR-388

NSR REDDY
AIR-417

DHEERAJ AGARWAL
AIR-423

VIKRANT SAHDEO MORE
AIR-430

ADITYA JHA
AIR-431

KIRTI GOYAL
AIR-432

VIKAS SINGH
AIR-438

FURQAN AKHTAR
AIR-444

SHIVANI KAPUR
AIR-469

P SAINATH
AIR-480

JAGPRAVESH
AIR-483

POOJA SHOKEEN
AIR-516

ASHUTOSH SHUKLA
AIR-548

LAKHAN SINGH YADAV
AIR-565

VIKAS MEENA
AIR-568

MONIKA RANA
AIR-577

OMPRAKASH JAT
AIR-582

SWAPNIL YADAV
AIR-591

CHETAN KUMAR MEENA
AIR-594

UTSAHA CHAUDHARY
AIR-599

MALYAJ SINGH
AIR-601

GANESH TENGALE
AIR-614

AKSHAY KUMAR TEMRAWAL
AIR-615

DINESH KUMAR
AIR-638

VIJAYNDRA R
AIR-666

J SONAL
AIR-638

SHAHID T KOMATH
AIR-693

SHINDE AMIT LAXMAN
AIR-705

ANIL KUMAR VERMA
AIR-732

NILESH TAMBE
AIR-733

ANUPAM JAKHAR
AIR-739

RATANDEEP GUPTA
AIR-767

JAI KISHAN
AIR-768

PANKAJ YADAV
AIR-782

SHEERAT FATIMA
AIR-810

MANOJ KUMAR RAWAT
AIR-824

ARIF KHAN
AIR-850

SANDEEP MEENA
AIR-852

ABHINAV GOPAL
AIR-865

SHIV SINGH MEENA
AIR-909

& many more...

ध्येय IAS most trusted since 2003

EDGE for IAS

Dhyeya Student Portal

FREE REGISTRATION

ध्येय IAS (most trusted since 2003) संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान मांगों को समझते हुए अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम, विशेषकर **ग्रामीण पृष्ठभूमि** के अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने हेतु, ''ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल'' के रूप में एक ई-प्लेटफार्म का प्रारंभ किया है।

''ध्येय स्टुडेंट पोर्टल'', अंग्रेजी एवं विशेषकर हिन्दी में, **प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास** एवं उनका **मूल्यांकन** तथा **निबंध लेखन** व **समसामयिक मुद्दों** पर सटीक सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनकी चर्चा के लिए एक प्रभावी प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है।

ON LINE TEST : VIDEOS: CURRENT AFFAIRS: DISCUSSION	DAILY Q & A CHECKING ARTICLE ANALYSIS ESSAY AND MUCH MORE

अन्य संस्थानों एवं ई-पोर्टलों की अपेक्षा ध्येय पोर्टल की विशिष्टता–

IAS/PCS परीक्षाओं में सफलता हेतु अपेक्षित मानदण्ड		ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल	अन्य पोर्टल एवं साइट्स
● उत्तर लेखन अभ्यास (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✓
● उत्तर का मूल्याकंन (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✓(कुछ साइट्स)
● मॉडल उत्तर (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✗
समसामयिक घटनाएं/मुद्दे ● विश्लेषण व प्रश्नोत्तर (दैनिक एवं साप्ताहिक)	हिन्दी	✓	✓(कुछ साइट्स)
	अंग्रेजी	✓	✓
निबंध-लेखन और Ethics case study ● अभ्यास एवं मूल्यांकन (पाक्षिक)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✗

For details Login www.Dhyeyaias.com ⟶ Students Portal Login

Toll Free: 18004194445, 9205274741/42/43/44

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

UPPCS Mains Test Series 2018

Date	Test	Subjects
02 Dec.	Test-1 - (12:00Noon-3:00pm)	Modern India, India After Independence, World History, History of Uttar Pradesh
09 Dec.	Test-2 - (12:00Noon-3:00pm)	Social Issues, Art & Culture , Uttar Pradesh (Social Issues, Art & Culture)
16 Dec.	Test-3 - (12:00Noon-3:00pm)	World Geography, Indian Geography, Geography of Uttar Pradesh
23 Dec.	Test-4 - (12:00Noon-3:00pm)	Indian Polity, Constitution, In special reference of Uttar Pradesh
30 Dec.	Test-5 - (12:00Noon-3:00pm)	Governance and Public Policy, International Relation In Special Reference of Uttar Pradesh
06 Jan.	Test-6 - (12:00Noon-3:00pm)	Indian Economy, Internal Security in Special Reference of Uttar Pradesh
13 Jan.	Test-7 - (12:00Noon-3:00pm)	Science & Tech., Disaster Management, Ecology & Environment
20 Jan.	Test-8 - (12:00Noon-3:00pm)	Ethics (Paper-I) Ethics and Human Interface, Attitude, E.I. and Thinkers with Case Study
27 Jan.	Test-9 - (12:00Noon-3:00pm)	Ethics (Paper-II) Aptitude and Value of Civil Services, Ethics in P.A., Probity in Govt. with Case Study
03 Feb.	Test-10 - (12:00Noon-3:00pm)	General Studies (Paper-I) Full Test
	Test-11 - (3:30pm-6:30pm)	Hindi Full Test
10 Feb.	Test-12 - (12:00Noon-3:00pm)	General Studies (Paper-II) Full Test
	Test-13 - (3:30pm-6:30pm)	Essay
17 Feb.	Test-14 - (12:00Noon-3:00pm)	General Studies (Paper-III) Full Test
	Test-15 - (3:30pm-6:30pm)	Hindi Full Test
24 Feb.	Test-16 - (12:00Noon-3:00pm)	General Studies (Paper-IV) Full Test
	Test-17 - (3:30pm-6:30pm)	Essay

635, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

011-49274400 | dhyeyaias.com

Registration Starts

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 50

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9205336069 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400